लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित सस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd
LOK SABHA DEBATES

[दसवां सत्र
Tenth Session]

[खंड 36 में अंक 21 से 29 तक हैं
Vol. XXXVI contains Nos. 21—29]

Gazettes & Debates U
Parliament Library Buil
Room No. FB-025
Block 'G'

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची

अंक 25, शुक्रवार, 18 दिसम्बर, 1964/27 अग्रहायण, 1886 (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

*तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
567	छपाई की मशीनों का आयात	2185–86
568	औद्योगिक उपक्रमों के लिये पुरस्कार	2186–88
569	अखबारी कागज का कारखाना	2188–90
570	रेलवे माल भाड़ा दरें	2191–93
571	बेबी फूड की कमी	2193–95
572	व्यापार तथा प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य करार	2195–97
574	दिल्ली में इस्पात का काला बाजार	2198–99
575	कोयले का उत्पादन	2199–2201
576	अलौह धातुओं का आवंटन	2201–03
577	बिहार में रामगढ़ कोयला क्षेत्र	2203–04
578	विदेशों में भारतीय व्यापार गृह	2204–05
580	रेलवे विद्युतीकरण परियोजना मुगलसराय के कर्मचारी	2205–06
581	नीलगिरी में चाय उगाने वाले	2206–07
582	नये अल्युमिनियम कारखाने	2207–08

अल्पसूचना प्रश्न—

संख्या		
7	तिलहन का निर्यात	2208–11

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या		
573	स्कूटरों का अलाटमेंट	2211–12
579	खासी तथा जयंतिया पहाड़ियों में सीमेंट फैक्टरी	2212
583	रूस से व्यापार प्रतिनिधि मंडल	2212–13
584	निर्यात ऋण पर ब्याज	2213–14
585	इस्पात निर्मित वस्तुओं की बिक्री	2214
586	किसान स्पेशल	2214–15
587	निर्यातकर्ताओं को सहायता	2215

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

CONTENTS

Volume 25, *Friday, December* 18, 1964/*Agrahayana* 27, 1886 (*Saka*)

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS—

**Starred Question Nos.*	*Subject*	*Pages*
567	Import of Printing Machinery	2185–86
568	Awards for Industrial Undertakings	2186–88
569	Newsprint Plant	2188–90
570	Railway Freight Rates	2191–93
571	Scarcity of Baby Food	2193–95
572	GATT	2195–97
574	Black Market in Steel in Delhi . .	2198–99
575	Production of Coal .	2199–2201
576	Allotment of Non-ferrous Metals .	2201–03
577	Ramgarh Coal Fields in Bihar .	2203–04
578	Indian Trading Houses Abroad	2204–05
580	Employees of Railway Electrification Project, Moghalsarai	2205–06
581	Tea Growers in Nilgiris . .	2206–07
582	New Aluminium Plants	2207–08

SHORT NOTICE QUESTION—

No.		
7	Export of oil seeds	2208–11

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—

Starred Question Nos.		
573	Allotment of Scooters	2211–12
579	Cement Factory in Khasi and Jaintia Hills . . .	2212
583	Trade Delegation from U.S.S.R.	2212–13
584	Cost of Export Credit	2213–14
585	Sale of Finished Steel Products	2214
586	"Kisan Specials"	2214–15
587	Assistance to Exporters	2215

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमश:

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
1519	दक्षिण-पूर्वी रेलवें में यात्रियों के लिए सुविधायें . .	2215–16
1520	बम्बई सेक्शन की नेरल-माथेरान लाइन . .	2217
1521	बंबई डिवीजन में स्टेशनों का पुनर्नवीकरण . .	2217
1522	बंबई के पास पश्चिम रेलवे और मध्य रेलवे के बीच रेल सम्बन्ध	2217–18
1523	कांडला अबाध वाणिज्य कटिबन्ध . .	2218
1524	देहली से रोहतक तक 2 डी. के. एस. रेल शटल .	2218–19
1525	दिल्ली-रोहतक यात्री गाड़ियां . . .	2219
1526	जौनपुर–सुलतानपुर–लखनऊ सेक्शन	2219–20
1528	कताई-कारखाने . . .	2220
1529	दक्षिण रेलवे में भ्रष्टाचार के मामले . .	2220
1530	तम्बाकू का निर्यात	2221
1531	अमरोहा-हापुड़ सेक्शन में रेल गाड़ियों में जंजीर खींचने की घटनायें .	2221
1532	आन्ध्र-प्रदेश में औद्योगिक बस्तियां . . .	2221–22
1533	क्षय रोग से पीड़ित दक्षिण-पूर्वी रेलवे के कर्मचारी . .	2222
1534	कोल फाइंज़ पैलेटाइनिंग प्लांट	2223
1535	नई लाइनों का सर्वेक्षण . . .	2223
1536	चित्तरंजन में निर्मित रेलवे इंजन . .	2224
1537	भारतीय खान ब्यूरो	2224
1538	उत्तर रेलवे में अनियमित पदोन्नतियां	2224–25
1539	देहरादून जाने वाली मसूरी ऐक्सप्रेस . . .	2225
1540	निर्यात संवर्धन	2225
1541	मिट्टी हटाने की मशीनों का आयात .	2225–26
1542	औद्योगिक उपक्रमों का अनुज्ञापन (लाइसेंसिंग) . .	2226–27
1543	मसालों का निर्यात	2227
1544	रेल के डिब्बों में खराब पंखे तथा रोशनी	2227
1545	इस्पात का मूल्य . . .	2227–28
1546	कपड़ा मिलों के श्रमिकों की कम उत्पादन क्षमता	2228
1547	खनन परियोजनाओं के लिये अमरीकी सहायता	2228
1548	चमड़े तथा कपड़े की वस्तुओं का निर्यात	2229
1549	मूंगफली के तेल का निर्यात	2229
1550	हथकरघा उद्योग . .	2229–30
1551	लौह अयस्क और मैंगनीज़ अयस्क .	2230
1552	सोन्दूर में मैंगनीज का कारखाना .	2230
1553	तुरंत तैयार होने वाली चाय	2230–31
1554	एकसमान वस्तुओं का निर्यात	2231

Unstarred Question Nos.	*Subject*	*Pages*
1519	Amenities for Passengers on S.E. Railway .	2215–16
1520	Neral-Matheran Line of Bombay Section	2217
1521	Remodelling of Stations of Bombay Division .	2217
1522	Rail Link Between Western and Central Railway Near Bombay	2217–18
1523	Kandla Free Trade Zone . .	2218
1524	2 DKS Shuttle From Delhi to Rohtak	2218–19
1525	Delhi Rohtak Passenger Trains	2219
1526	Jaunpur-Sultanpur-Lucknow Section	2219–20
1528	Spinning Mills .	2220
1529	Corruption Cases on S. Railway . .	2220
1530	Export of Tobacco . . .	2221
1531	Chain Pulling on Amroha-Hapur Section .	2221
1532	Industrial Estates in Andhra Pradesh . .	2221–22
1533	S. E. Railway Employees Suffering from T. B.	2222
1534	Coal Fines Paillettising Plant	2223
1535	Survey of New Lines . . .	2223
1536	Chittaranjan Manufactured Locomotives	2224
1537	Indian Bureau of Mines . . .	2224
1538	Irregular Promotions on Northern Railway	2224–25
1539	Dehradun Bound Mussoorie Express .	2225
1540	Export Promotion .	2225
1541	Import of Earth Movers . .	2225–26
1542	Licensing of Industrial Undertakings .	2226–27
1543	Export of Spices . . .	2227
1544	Defective Fans and Lights in Bogies .	2277
1545	Pricing of Steel	2227–28
1546	Lower Productivity of Cloth Mills Workers	2228
1547	U. S. Aid for Mining Projects .	2228
1548	Export of Leather and Textile Goods	2229
1549	Export of Ground nut Oil .	2229
1550	Handloom Industry . .	2229–30
1551	Iron ore and Managanese Ore .	2230
1552	Managanese Factory at Sondur	2230
1553	Instant Tea . . .	2230–31
1554	Export of Identical Products	2231

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
1555	दुर्गापुर के आस पास सहायक उद्योग	2231–32
1556	उत्तर प्रदेश में भारी उद्योग	2232
1557	टिस्को का विस्तार	2232
1558	दिल्ली को बुक किये गये रेलवे पार्सलों की प्राप्ति में देरी	2233
1559	चैकोस्लोवाकिया को अखरोटों का निर्यात	2233–34
1560	कपड़े की बुनाई	2234
1561	हथकरघों के माल के लिये निर्यात संवर्धन परिषद्	2234
1562	पूजा की छुट्टियों के दौरान विशेष रेलगाड़ियां	2234
1563	नया कोक भटठी संयंत्र रामगढ़ (बोकारो क्षेत्र)	2235
1564	लिपज़िग मेला	2235
1565	हेलसिंकी मेला	2235–36
1566	औद्योगिक बस्तियां	2236
1567	सिगनेलरों के वेतनक्रम	2236
1568	हैड सिगनेलरों के वेतनक्रम	2237
1569	रेलवे अस्पताल कोटा में रोगियों की खुराक	2237
1570	रेलवे वर्कशाप कोटा में श्रमिक	2237–38
1571	विदेशी व्यापार	2238
1572	अफगानिस्तान से मेवों का आयात	2239
1573	डोलोमाइट में मैग्नेशिया का अंश	2239
1574	खनिजों के खनन पट्टे	2239–40
1575	लाहूरीपारा-रुरकेला सड़क	2240
1576	रेलवे वर्कशाप, अमृतसर	2240
1577	राज-खरसाबन-चैबासा रेल गाड़ी	2241
1578	राज-खरसाबन स्टेशन पर ऊपरी पुल	2241
1579	जापान को चाय का निर्यात	2241–42
1580	रेलवे में रात्रि ड्यूटी भत्ता	2242
1581	दिल्ली स्टेशन के पार्सल कार्यालय पर छापा	2242
1582	उत्तर रेलवे में बुकिंग क्लार्क	2243
1583	सतर्कता निदेशालय की अस्तियां	2243
1584	पूर्वी बोकारो में असनापानी ड्रिफ्ट माइन	2243–44
1585	लौंगों का भाव	2244–45
1586	मोटर गाड़ियों का उत्पादन तथा उनकी कीमतें	2245
1587	विजयनगरम स्टेशन के पास रेल का पटरी से उतर जाना	2245
1588	मथुरा से कोटा तक रेलवे लाइन को दोहरा बनाना	2245–46
1589	ट्रेन क्लर्क के लिये पदोन्नति	2246

Unstarred Question Nos.	*Subject*	*Pages*
1555	Ancillary Industries Around Durgapur	2231–32
1556	Heavy Industries in U. P.	2232
1557	Expansion of TISCO	2232
1558	Delay in Receipt of Railway Parcels Booked to Delhi	2233
1559	Exports of Walnuts to Czechoslovakia	2233–34
1560	Weaving Fabrics	2234
1561	Export Promotion Council for Handloom Product	2234
1562	Special Trains during Puja Holidays	2234
1563	New Coke Oven Plant, Ramgarh (Bakaro Area)	2235
1564	Leipzig Fair	2235
1565	Helsinki Fair .	2235–36
1566	Industrial Estates .	2236
1567	Pay Scales of Signallers .	2236
1568	Pay Scales of Head Signallers .	2237
1569	Patient Diet in Railway Hospital, Kotah. .	2237
1570	Labour in Railway Workshop, Kotah .	2237–38
1571	Foreign Trade . . .	2238
1572	Import of Dry Fruit From Afghanistan	2239
1573	Magnesia Content in Dolomite .	2239
1574	Mining Leases of Minerals .	2239–40
1575	Lahuripura-Rourkela Road .	2240
1576	Railway Workshop, Amritsar . .	2240
1577	Raj-Kharsawan-Chaibasa Railway Train	2241
1578	Over Bridge at Raj-Kharsawan	2241
1579	Export of Tea to Japan .	2241–42
1580	Night Duty Allowance on Railways . .	2242
1581	Raid on Parcel Office, Delhi Station	2242
1582	Booking Clerks on Northern Railway.	2243
1583	Assets of Vigilance Directorate .	2243
1584	Asnapani Drift Mine in East Bokaro .	2243–44
1585	Price of Cloves .	2244–45
1586	Production and Prices of Automobiles	2245
1587	Derailment near Vizianagaram Station .	2245
1588	Doubling of Rail Line from Mathura to Kotah .	2245–46
1589	Promotion for Train Clerk	2246

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमश :

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
1590	ट्रेन क्लर्कों के वेतनमान . .	2246
1591	बंबई मंगलौर के बीच रेल संपर्क	2246–47
1592	डेटोनेटरों का आयात . .	2247
1593	मूंगफली के तेल का निर्यात .	2247
1594	विजयवाडा डिवीजन में रेलवे कर्मचारी	2247–48
1595	रेलवे कालिजों में प्रिंसिपलों के रिक्तस्थान . . .	2248
1596	संसद सदस्यों के लिये रेल गाड़ियों में सीटों का आरक्षण .	2248
1597	हस्तिनापुर में कताई कारखाना .	2249
1598	डेटोनेटरों का निर्माण . . .	2249
1599	रेल के डिब्बे से विस्फोटक पदार्थों की चोरी .	2249
1600	भारतीय रेलवे सम्मेलन संस्था का कार्यालय	2250
1601	सिवान स्टेशन पर गाड़ी की टक्कर .	2250
1602	दिल्ली में गाड़ियों का देर से पहुंचना .	2250–51
1603	निवेली में चीनी मिट्टी . . .	2251
1604	दिल्ली में ऑटो-पार्टस् औद्योगिक बस्ति .	2251
1605	विभिन्न मंत्रालय में हिंदी जानने वाले कर्मचारी .	2252
1606	मंगलौर-हास्सन रेलवे लाइन .	2252
1607	इटारसी स्टेशन के समीप ऊपर का पुल	2252–53
1608	सिंगरैनी कोयला खानें . .	2253
1609	शिमला पहाड़ियों की बुनियाद .	2253

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

टाउन हाल के पास और पार्लियामेंट स्ट्रीट पर पटाखों का विस्फोट

श्री यशपाल सिंह 2254

श्री नन्दा . 2254–56

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . 2256–58

राज्य-सभा से सन्देश 2258

सभा का कार्य . . . 2258–60

दिल्ली स्थित पाकिस्तानी राजनयिक का निष्कासन तथा पाकिस्तान द्वारा बदले की भावना से की गई इस प्रकार की कार्यवाही के बारे में वक्तव्य 2260–62

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*Contd.*

Unstarred Question No.	*Subject*	*Pages*
1590	Pay Scales of Train Clerks .	2246
1591	Bombay-Mangalore Rail Link .	2246–47
1592	Import of Detonators .	2247
1593	Export of Groundnut Oil . . .	2347
1594	Rly. Employees in Vijayawada Division . . .	2247–48
1595	Vacancies of Pricipals in Railway Colleges . . .	2248
1596	Reservation of Railway Seats for Members of Parliament	2248
1597	Spinning Mill at Hastinapur .	2249
1598	Manufacture of Detonators	2249
1599	Theft of Explosives from Rly. Wagon .	2249
1600	Indian Railways Conference Association's Office	2250
1601	Train Collision at Sewan Railway Station .	2250
1602	Late Arrival of Trains in Delhi .	2250–51
1603	China Clay at Neyveli . .	2251
1604	Auto-parts Industrial Estate in Delhi . . .	2251
1605	Hindi Knowing Employees in Commerce Ministry	2252
1606	Mangalore-Hassan Railway Line .	2252
1607	Over-Bridge near Itarsi Station.	2252–53
1608	Singareni Collieries	2253
1609	Foundation of Simla Hills	2253

CALLING-ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE—

Cracker explosions near Town Hall and on Parliament Street

Shri Yashpal Singh 2254
Shri Nanda 2254–56

PAPERS LAID ON THE TABLE 2256–58

MESSAGE FROM RAJYA SABHA . 2258

BUSINESS OF THE HOUSE . 2258–60

STATEMENT RE: EXPULSION OF A PAKISTANI DIPLOMAT IN DELHI AND RETALIATORY ACTION BY PAKISTAN.. 2260–62

विषय	पृष्ठ
भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक—पुर:स्थापित	2262
विनियोग रेलवे संख्या 3 विधेयक, 1964—पारित	2263–64
समवाय (दूसरा संशोधन) विधेयक —	
संयुक्त समिति को सौंपने संबंधी प्रस्ताव	
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी .	2264–65
श्रीमती रेणुका राय .	2265–66
श्रीमती शारदा मुकर्जी .	2266–67
श्री उ० मू० त्रिवेदी . .	2267–68
श्री व० बा० गांधी . . .	2268
श्री नम्बियार	2268–69
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	
चौवनवां प्रतिवेदन .	2269
विधेयक पुर:स्थापित	
(एक) भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक (नई धारा 298-क आदि का रखा जाना)	
श्री गोपाल दत्त मैंगी . . .	2270
(दो) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 आदि का संशोधन)	
श्री प्रकाश वीर शास्त्री .	2270
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—वापस लिया गया (धारा 7 का संशोधन) —	
श्री दी० चं० शर्मा .	2270
विचार करने का प्रस्ताव	
श्री दी० चं० शर्मा	2271
श्री नम्बियार	2271
श्री यशपाल सिंह .	2271
श्री मा० ल० जाधव .	2271
श्री मान सिंह पु० पटेल .	2272
श्री नारायण दांडेकर .	2272–73
श्री अन्सार हरवानी .	2273
श्री श्यामलाल सर्राफ .	2273–74
श्री प्रकाश वीर शास्त्री	2274–75
श्री अ० सिंह सहगल .	2275
श्री रामसेवक यादव . . .	2275
श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा	2275
श्री प० ला० बारूपाल	2276
डा० मा० श्री० अणे	2276
श्री काशी राम गुप्त . .	2276–77

Subject	Pages
INDIAN TARIFF (AMENDMENT) BILL—INTRODUCED	2262
APPROPRIATION (RAILWAYS) NO. 3 BILL, 1964—PASSED	
COMPANIES (SECOND AMENDMENT) BILL—	2263–64
Motion to refer to Joint Committee	
Shri Surendranath Dwivedy	2264–65
Shrimati Renuka Ray . .	2265–66
Shrimati Sarda Mukerjee .	2266–67
Shri U. M. Trivedi .	2267–68
Shri V. B. Gandhi	2268
Shri Nambiar	2268–69
COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS—	
Fifty-fourth Report	2269
BILLS INTRODUCED	
(i) Indian Penal Code (Amendment) Bill (*Insertion of new sections* 298-A *etc.*)	
Shri Gopal Dutt Mengi	2270
(ii) Constitution (Amendment) Bill (*Amendment of articles* 1, 2, 3, 4, *etc.*)	
Shri Prakash Vir Shastri	2270
REPRESENTATION OF THE PEOPLE (AMENDMENT) BILL—	
Withdrawn (*Amendment of section* 7)	
Shri D.C. Sharma . .	2270
Motion to consider	
Shri D. C. Sharma	2271
Shri Nambiar .	2271
Shri Yashpal Singh	2271
Shri M. L. Jadhav .	2271
Shri Man Sinh P. Patel	2272
Shri N. Dandeker	2272–73
Shri Ansar Harwani	2273
Shri Sham Lal Saraf .	2273–74
Shri Prakash Vir Shastri	2274–75
Shri A. S. Saigal . .	2275
Shri Ram Sewak Yadav .	2275
Shrimati Lakshmikanthamma	2275
Shri P. L. Barupal	2276
Dr. M. S. Aney .	2276
Shri Kashi Ram Gupta	2276–77

विषय	पृष्ठ
श्रीमती सहोदराबाई राय . . .	2277
श्री रघुनाथ सिंह	2277
श्री रा० स० तिवारी	2277–78
श्री अ० कु० सेन	2278
राजनीतिक पीड़ित सहायता विधेयक के बारे में . .	2279
मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक---- (धारा 3, 4 आदि का संशोधन)	
श्री हरि विष्णु कामत	2280
विचार करने का प्रस्ताव	
श्री हरि विष्णु कामत	2280–81

REPRESENTATION OF THE PEOPLE (AMENDMENT) BILL—*Contd.*

Subjects — *Pages*

Shrimati Sahodrabai Rai — 2277

Shri Raghunath Singh — 2277

Shri R. S. Tiwary — 2277–78

Shri A. K. Sen . — 2278

RE : POLITICAL SUFFERERS AID BILL . . — 2279

SALARIES AND ALLOWANCES OF MINISTERS (AMENDMENT) BILL

(*Amendment of sections* 3, 4, *etc.*)

Shri Hari Vishnu Kamath — 2280

Motion to consider

Shri Hari Vishnu Kamath . . . — 2280–81

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

लोक-सभा

LOK-SABHA

शुक्रवार, 18 दिसम्बर, 1964/27 अग्रहायण, 1886 (शक)

Friday, December 18, 1964/*Agrahayana* 27, 1886 (*Saka*)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[The Lok Sabha met at Eleven of the clock.]

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए । Mr. Speaker in the Chair.]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

छपाई की मशीनों का आयात

*567. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय छोटे तथा बीच के दर्जे के समाचार-पत्र सम्पादक संस्था ने सरकार से कहा है कि छोटे समाचारपत्रों को आयात सम्बन्धी सुविधायें दी जानी चाहियें ताकि वे अपनी छपाई की मशीनों का सुधार कर सकें ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) तथा (ख) एक विवरण सभा की मेज़ पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) जी, हां ।

(ख) छोटे तथा बीच के दर्जे के समाचार पत्रों को बदलने के लिये छपाई की मशीनों को प्राथमिकता के आधार पर आयात की आज्ञा दी जा रही है ताकि वे अपने छपाई के प्रबन्ध में सुधार कर सकें । देश में छोटे समाचार पत्र और पत्रिकाओं की वर्तमान अवस्थाओं की जांच करने तथा ऐसे समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं के विकास हेतु सरकार द्वारा उठाये जाने वाले कदमों की सिफारिश करने के लिये भारत सरकार ने श्री आर० आर० दिवाकर संसद सदस्य की अध्यक्षता में एक जांच समिति भी गठित की है । आशा है कि यह समिति छोटे समाचार पत्र व पत्रिकाओं द्वारा छपाई की मशीनों सम्बन्धी अनुभव की गई कठिनाइयों पर विचार करेगी । इस जांच समिति की सिफारिशों के उपलब्ध होने पर, छोटे तथा बीच के दर्जे के समाचार पत्रों द्वारा छपाई की मशीनों के आयात के सम्बन्ध में अपेक्षित किसी भी प्रकार के सुधार सम्बन्धी कार्यवाही पर सरकार विचार करने की स्थिति में हो सकेगी ।

Shri Yashpal Singh : It is not clear from the statement that instead of making more efforts to get foreign exchange, are we trying to contact Rupee-payment are as for this purpose ?

Shri Manubhai Shah : Machines valued at Rs. 2,10,00,000 and Rs. 80,00,000 are imported against rupee payment and free foreign exchange respectively. All these licences are issued out of Rs. 299,000,000.

Shri Yashpal Singh : What is the value of machinery being imported separately for public sector and private sector enough to meet their requirements?

Shri Manubhai Shah : There is no question of public sector as the printing paper and newspaper industries are all in private sector.

Shri Gulshan : May I know the policy of the Government in regard to regional newspapers ?

Shri Manubhai Shah : If the question of the hon. Member relates to languages' newspapers, it may be pointed out that this will be considered after the recommendations of the Diwakar Committee, which has been constituted, are received.

Shri Onkar Lal Berwa : May I know up to which category newspapers are considered to be small newspapers ?

Shri Manubhai Shah : All those newspapers, the circulation of which is less than 10 thousand and the languages' newspapers are clubed together.

Shri Brij Bihari Mehrotra : Can this printing machinery not be manufactured in the Hindustan Machine Tools Factory ?

Shri Manubhai Shah : In view of a number of varieties in printing and also since this line has become very sophisticated and diversified, indigenous production to that extent cannot be achieved.

Shri M. L. Dwivedi : In view of the fact that the number of small newspapers has greatly increased, whether Government is thinking of manufacturing printing machinery in public sector and if so, what action has been taken by the Government in this connection ?

Shri Manubhai Shah : We have thought of this idea a number of times, but as I said that there are a number of varieties in printing—monotype, linotype—that a small machine of any single unit cannot meet the requirements of the whole country.

Awards for Industrial Undertakings

\+

*568. { **Shri K. N. Tiwary :**
Shri Bibhuti Mishra :

Will the Minister of **Industry** and **Supply** be pleased to state the extent of success achieved or likely to be achieved as a result of the introduction of the scheme for giving awards to various Central Government industrial undertakings for increasing production, reducing expenditure and increasing efficiency in those undertakings ?

The Minister of Heavy Engineering and Industry in the Ministry of Industry and Supply (Shri T. N. Singh) : The impact of this scheme on the various industrial undertakings of Central Government is under examination.

Shri K. N. Tiwary : The hon. Minister has said in his reply that the matter is under consideration, May I know as to when it would be completed and whether these awards are given according to the hours of work or on the basis of production output of an individual ?

Shri T. N. Singh : The main reason for not arriving at a decision is this that it has not so far been decided as to what should be the basis on which the awards are to be given. Since different types of procedures are adopted by big factories, it takes time to come at any relative decision, but as I said the matter is being investigated and a decision will be taken soon in this connection.

Shri K. N. Tiwary : Have Government framed any terms of reference and if so, what are the terms of reference ?

Shri T. N. Singh : We have not constituted any committee and therefore the question of terms of reference does not arise.

Shri D. N. Tiwary : May I know whether any award has been given, or not, under this scheme ?

Shri T. N. Singh : This scheme was introduced in 1961. The awards for the year 1961-1962 have already been given, and the awards for the years 1962-63 are yet to be distributed.

Shri Bibhuti Mishra : Is it a fact that the production in the public undertakings suffers due to delay in giving awards ?

Shri T. N. Singh : No, there has been no delay. As people are aware that there is a committee which takes decision in this connection. Therefore, there is no question of delay here.

श्री दी० चं० शर्मा : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकारी उपक्रमों की कार्यपूर्ति को आंकने के लिए सरकार के रास्ते में कौन सी रूकावट है, जब कि इस के लिये तीन मापदंड अर्थात उत्पादन बढ़ाना, व्यय कम करना तथा दक्षता बढ़ाना, बिलकुल स्पष्ट हैं ? मैं नहीं जानता कि सरकार के रास्ते में, कौन सी बाधा है जिससे सरकार पुरस्कार के योग्य उपक्रम के चुनाव और पुरस्कार देने में तत्परतापूर्ण निर्णय नहीं कर पा रही है ?

श्री त्रि० ना० सिंह : पुरस्कार दिये जा रहे हैं। इस कार्य के लिये एक नियमित समिति है जो इस बारे में निर्णय करती है और पुरस्कार दिये जाते हैं।

श्री कपूर सिंह : क्या सरकार ने ऐसे अन्य देशों के, जिन में अधिकतम अथवा पूर्णरुपेण सरकारी क्षेत्र हैं, इस अनुभव से अवगत है कि पुरस्कार इतने अच्छे उत्प्रेरक नहीं हैं जितने कि पारितोषिक, जो कि लाभ कमाने के उद्देश्य का दूसरा नाम है और यदि हो तो सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री त्रि० ना० सिंह : मेरे विचार में पुरस्कार भी अच्छे उत्प्रेरक हैं।

श्री कपूर सिंह : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया। मेरा प्रश्न था कि क्या सरकार दूसरें देशों के अनुभव से अवगत है ?

श्री त्रि० ना० सिंह : दूसरे देशों के अनुभव से हम पूरी तरह से अवगत हैं।

श्री क० प्र० शर्मा : क्या उत्पादन बढ़ाने, व्यय कम करने और दक्षता बढ़ाने के लिये पुरस्कार केवल सरकारी क्षेत्र में दिये जाते हैं अथवा रेलवे और प्रतिरक्षा सम्बन्धी उत्पादन जैसे वैभागिक उपक्रमो में भी दिये जाते ? हैं

श्री त्रि० ना० सिंह : पुरस्कार केवल सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में ही दिये जाते हैं।

Shri Yogendra Zha : Will the Government consider to introduce piece-rate wages system in the public undertakings with a view to encourage the labourers to do more work. ?

Mr. Speaker : It is another question.

अखबारी कागज का कारखाना

+

*569. { **श्री यशपाल सिंह :**
श्री नारायण दास :
श्री दे० द० पुरी : }

क्या **उद्योग तथा सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी ऐसे अखबारी कागज के कारखाने को चालू करना संभव हो सका है जिसमें कच्चे माल के रूप में जूट "स्टिक्स" काम में लाई जा सके ;

(ख) क्या इस बारे में किये गये प्रयोगों का कोई परिणाम निकला है ;

(ग) क्या वाणिज्यिक आधार पर अखबारी कागज तैयार करने के लिये गन्ने की खोई जैसे अन्य महत्वपूर्ण कच्चे पदार्थों को काम में लाने के लिये कोई कदम उठाय गये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उनके क्या परिणाम निकले ?

उद्योग तथा सम्भरण मंत्रालय में उद्योग और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) से (घ) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है।

विवरण

(क) जी नहीं।

(ख) यद्यपि जूट 'स्टिक्स' को काम में लाये जाने के बारे में कुछ प्रारम्भिक प्रयोगशाला संबंधी तथा मार्ग-दर्शक संयंत्र परीक्षण किये गय है तो भी अखबारी कागज बनाने के लिये जूट 'स्टिक्स' का वाणिज्यिक स्तर पर इस्तेमाल किया जाना तकनिकी और बचत पूर्ण ढंग से सम्भव हो सकेगा, इसका निश्चय अभी नही किया जा सका है।

(ग) गैर-सरकारी क्षेत्र में एक योजना के लिये स्वीकृती दे दी गई है जिसके अनुसार खास तौरसे गन्ने को खोई का कच्चे माल के रूप इस्तेमाल करके 30,000 मीट्रिक टन अखबारी कागज और 30,000 मीट्रिक टन कागज बनाने की क्षमता हो जायेगी और यह पार्टी तकनिकी सहायता के लिये अमरीका की एक पार्टी के साथ बातचीत कर रही है।

(घ) अखबारी कागज का निर्माण किसी भी अन्य स्थान पर जूट 'स्टिक्स' और गन्ने की खोई आदि का कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल करके वाणिज्यिक स्तर पर नहीं हो रहा है। इसलिये हमारे देश में इस प्रकार के कच्चे माल पर आधारित जो भी परियोजना शुरू की जायेगी वह मार्गदर्शक किस्म की होगी। फिर भी इन कच्चे मालों का यथासम्भव इस्तेमाल करके इस दिशा में शुरुआत करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

Shri Yashpal Singh : It is not clear from the statement that when sufficient bagasse is available why experiment has not been made to utilise these raw material and why progress has not been made in the direction ?

Shri T. N. Singh : Some work is being done in this connection. An American Company has found out a way to utilise bagasse for newsprint production and on that basis some work is to be done here. It is heard that newsprint will be manufactured from 40 to 60% of the pulp of bagasse mixed with the pulp of jute sticks.

Shri Yashpal Singh : How many concerns have been issued with letters of indents ?

Shri T. N. Singh : I cannot say exactly but as far as I think, licences have been issued to 3 or 4 concerns.

श्री दे० द० पुरी : विवरण के भाग (ग) में कहा गया है कि गन्ने की खोई से 30,000 मीट्रिक टन अखबारी कागज़ और 30,000 मीट्रिक टन कागज़ को गैर-सरकारी क्षेत्र में तैयार करने के लिये लाइसेंस दिया गया है। क्या मैं जान सकता हूं कि इस एकक में कब उत्पादन आरम्भ होने की सम्भावना है और देश का कितना फालतू बगाज़ इस एकक द्वारा प्रयोग में लाये जाने की सम्भावना है ?

[श्री त्रि० ना० सिंह : यह अभी दक्षिण-पश्चिमी प्रदेश में है, परन्तु अब मुझे बताया गया है कि इस को उत्तर की ओर बदला जा रहा है। गन्ने की खोई के उपयोग के बारे में इस कारखाने में कार्य आगे बढ़ रहा है। यह गैर-सरकारी क्षेत्र में है। मैं इस के बारे में पूर्ण रूप से कुछ नहीं कह सकता और हम उन्हें विषयों को अधिक शीघ्रता से करने के लिये कह रहे हैं।

श्री दे० द० पुरी : श्रीमन्, मैंने पूछा था कि इस एकक द्वारा देश के फालतु गन्ने की खोई की कितनी प्रतिशतता उपयोग में लाया जायेगा जब इस में उत्पादन आरम्भ हो जायेगा?

श्री त्रि० ना० सिंह : गन्ने की खोई पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और इस बारे में कोई कठिनाई नहीं है।

श्री हेम बरुआ : क्या सरकार का ध्यान इंडियन एण्ड ईस्टर्न न्यूज़पेपरर्स सोसाइटी की कार्यपालिका समिति द्वारा स्वीकार किये गये उस संकल्प की ओर दिलाया गया है जिस में अखबारी कागज़ के स्टाफ में आवर्धन किया जाये क्योंकि इस समय अखबारी कागज़ के स्टाक में भारी कमी हो गई है और यदि हां, तो सरकार की क्या प्रतीक्रिया है?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : हमे संकल्प प्राप्त हो गया है। गत वर्ष भी ऐसा संकल्प प्राप्त हुआ था। देश की वर्तमान विदेशी मुद्रा की स्थिति ऐसी है कि अधिक मात्रा में अखबारी कागज़ देने की सम्भावनायें बहुत दूरस्थ हैं। फिर भी हम इस की जांच कर रहे हैं।

Shri Onkar Lal Berwa : May I know the quantity of paper being imported and quantity of indigenous being utilised ?

Shri Manubhai Shah : 30,000 tonees of paper is manufactured here and 95,000 tonees is imported.

श्री विश्वनाथ राय : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि देश के कुछ भागों में गन्ने की खोई और अन्य कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, क्या सरकार ने इन एककों की स्थापना के लिये स्थान चुनते समय इस तथ्य पर विचार किया था ?

श्री त्रि० ना० सिंह : यदि तो मैंने भी कहा है कि जहां पर गन्ने की खोई उपलब्ध होगी वहीं कारखाना स्थापित किया जाएगा। अभी हम ने केवल एक ही लायसैंस जारी किया है क्योंकि इस प्रयोजन के लिये अभी एक ही पक्ष आगे आया है।

Shri K. N. Tiwary : May I know the party to whom licence for newsprint has been issued and the place and state where this unit is going to be established ?

श्री त्रि० ना० सिंह : मुझे स्थान का पूरा पता नहीं है परन्तु जैसा मैं जानता हूँ यह स्थान उत्तर में है।

श्री रंगा : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि देश में जो अखबारी कागज़ बनाया जा रहा है वह यहां की खपत का केवल 25 प्रतिशत है और इस मद के आयात के लिये हमें विदेशी मुद्रा की व्यवस्था करनी पड़ती है, तो सरकार ने ऐसे गर-सरकारी उपक्रमियों को, जो ऐसे कारखाने स्थापित करने के लिये इच्छुक हैं, विशेष प्रोत्साहन देना ठीक क्यों नहीं समझा है जिस से वे इन कारखानों को स्थापित कर के देश को अखबारी कागज़ में आत्मनिर्भर बनाने के लिये सहायता कर सके।

श्री त्रि० ना० सिंह : हम ने दूसरी योजना के अन्त में गैर-सरकारी क्षेत्रों के विभिन्न एककों को लायसैंस जारी किये थे।

श्री रंगा : ये पर्याप्त नहीं है।

श्री त्रि० ना० सिंह : हम ने उन्हें हर प्रकार की सहायता जिस में विदेश मुद्रा भी सम्मिलित है, देने की पेशकश की थी। वह आगे नहीं आ रहे हैं। यहां पर किसी व्यापार संस्था में कमियों की चर्चा करना उचित नहीं है।

Shri Gulshan : Is the Government aware that there was a proposal to establish a newsprint factory in Punjab and if so, the position thereof ?

Shri T. N. Singh : Raw material is available in Punjab and licence has been issued to a company in this regard.

श्री मं० रं० कृष्ण : आन्ध्र प्रदेश में निज़ाम चीनी कारखाने में, जोकि सरकारी क्षेत्र में है, गन्ने की खोई पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। सरकार इस का उपयोग किस प्रकार करना चाहती है ?

श्री त्रि० ना० सिंह : अभी मेरे पास इस बारे में कोई जानकारी नहीं है।

Shri M. L. Dwivedi : May I know whether paddy husk is also being utilised for manufacture of newsprint and the action being taken to improve the present quality of the newsprint ?

Shri T. N. Singh : According the scientific information available at present, paddy husk cannot be utilized for manufacture of newsprint.

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि नीलमालाई पहाड़ियों में बांसों का भारी स्टाक उपलब्ध है और उस क्षेत्र में कारखाना लगाने का पहले एक प्रस्ताव भी था, क्या सरकार कर्नूल में एक अखबारी कागज़ का कारखाना स्थापित करना चाहती है ?

श्री त्रि० ना० सिंह : बांस तो एक बहुत मूल्यवान माल है इस का प्रयोग अखबारी कागज़ बनाने में नहीं किया जा सकता।

रेलवे माल भाड़ा दरें

+

*570. { श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती सावित्री निगम : }

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यवहारिक आर्थिक अनुसंधान सम्बन्धी राष्ट्रीय परिषद ने हाल में यह सिफारिश की है कि एक 'ट्रेन लोड' कोयले, लोहे तथा इस्पात के लदान के लिये विशेष भाड़ा दरें लागू की जानी चाहियें तथा थोड़े भार (स्माल्स) के लिये निश्चित् अलाभप्रद रेलवे दरों का पुनरीक्षण किया जाना चाहिये ;

(ख) यदि हां, तो परिषद ने इस बारे में क्या सिफारिशें की हैं ; और

(ग) उन पर सरकार ने क्या निर्णय किये हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) और (ख) "लोहा और इस्पात क्षेत्र की परिवहन सम्बन्धी आवश्यकताएं" विषय पर व्यावहारिक आर्थिक अनुसन्धान की राष्ट्रीय परिषद् (नैशनल कौंसिल आफ ऐप्लाइड इकनामिक रिसर्च) ने जो रिपोर्ट प्रकाशित की है उसकी एक प्रति मिली है। प्रश्न में जो बात पूछी गयी है उस विषय पर इस प्रकाशन में की गयी कुछ टिप्पणियों का एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

1. पूरी गाड़ियों में कोयले, लोहे और इस्पात की ढुलाई में सहायता देने के लिए यह सिफारिश की जाती है कि इन वस्तुओं के लिए 'मल्टिपल कार' और 'पूरी गाड़ी' की भाड़ा दरें जारी करने के सवाल पर विचार किया जाय, जैसा कि दूसरे देशों में हुआ है।

2. "फुटकर माल" के लिए रेलवे के भाड़े की दरों की शीघ्र जांच करके उनमें समुचित परिवर्तन करना चाहिए। इससे रेलवे और सड़क परिवहन के बीच यातायात के युक्तियुक्त बंटवारे में सहायता मिलेगी। इसके अलावा ऐसा करने से रेलवे की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और उसकी क्षमता अधिक उपयुक्त कामों के लिए सुलभ हो सकेगी।

(ग) चूंकि सिफारिशें खास तौर पर रेल मंत्रालय के लिए नहीं है, इसलिये रेल मंत्रालय व्दारा उन पर कोई निर्णय करने की सवाल नहीं उठता।

श्री प्र० चं० बरुआ : मैं जानना चाहता हुँ कि रेल तथा सड़क के यातायात का ठीक बटवारा करने के लिये कोई सिफ़ारिश की गई है ? यदि हां, तो इस समय की व्यवस्था में क्या कमी है और उसे सुधारने को क्या किया जा रहा है ?

डा० राम सुभग सिंह : जिन सिफ़ारिशों से हमारा सम्बन्ध है वह केवल दो हैं जो इस प्रकार हैं : पहली तो कोयला, लोहा और इस्पात को पूरी गाड़ी द्वारा ले जाना। इस ने बहुगुण कारों की प्रचलन करने की सिफ़ारिश की है और रेल का किराया निर्धारित करने के बारे में वे विचार कर रहे हैं ताकि वह ऐसा हो जैसा दूसरे देशों में है। दूसरे रेल के किराये छोटो वस्तुओं को ले जाने के लिये बहुत जल्दी से जांचनें तथा दोहराने पर भी सोचे रहे हैं ताकि रेल तथा मोटर द्वारा यातायात को ठीक ढंग से बांटा जा सके। इस से रेलों की आय में भी वृद्धि होगी तथा रेलों का कुछ भाग दूसरे उपयोगी कामों के लिये मिल सकेगा।

श्री प्र० चं० बरुआ : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि दूर स्थानों पर रेलों द्वारा जो बोझ ले जाया जाता है उसका किराया उन रेल गाड़ियों के चलने के फलस्वरुप खर्च से भी कम है। यदि ऐसा है इस प्रकार रेलों पर प्रति वर्ष कितना घाटा उठाना पड रहा है ?

डा० राम सुभग सिंह : निस्संदेह किराया कम है परन्तु जितना उनके चलने पर खर्च आता है उस से कम नहीं है ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : जिस समय कोयला का किराया कम करने पर विचार हो उस समय क्या सरकार ऐसी योजना पर भी विचार करेगी जिस से रानीगंज-झारिया जो में कोयला निकाला जाता है उसे उत्तर की ओर भेजा जावे ताकि लोग गोबर को ईंधन की जगह काम लेना बंद कर दें और उसे अनाज बढ़ाने पर काम लाया जा सके ?

डा० राम सुभग सिंह : यदि बहुत मांग हुई तो हम विचार करेंगे । इस समय तो यह बहुत है । 1000 किलोमीटर के फासले के लिये 1 टन कोयला ले जाने पर 23 रुपया किराया है यदि इसमें से सुपरचार्ज अलग कर दें ।

श्री विद्या चरण शुक्ल : यद्यपि यह सिफारिशें भारत सरकार को सम्बोधित नहीं की हैं फिर भी क्या सरकार ने उन पर विचार किया है तथा कोई ऐसा निर्णय लिया है जो उन सिफारिशों पर आधारित हो ?

डा० राम सुभग सिंह : हम ने सारी बातो पर विचार किया है । हमारा मुख्य उद्देश्य तो रेलों की क्षमता को दूसरे कामों में लाने के लिये छोड़ना था । इस समय भी हमारे पास बहुत कोयला नहीं है जिसे ले जाया जा सके क्योंकि पिछले वर्ष अक्तूबर, 1963 तक हम रोजाना औसतन 7049 वैगन भजते थे । इस वर्ष यह घट कर 6635 वगन हो गये हैं । इस प्रकार हमारे पास फालतू व्यवस्था है ।

श्री अल्वारेस : राष्ट्रीय व्यवहारिक आर्थिक अनुसन्धान की परिषद् की दूसरी सिफ़ारिश को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार कच्चे लोहे के किराये को घटाने पर विचार करेगी ताकि मरमागोआ बन्दरगाह द्वारा इस निर्यात को प्रोत्साहन मिले ?

डा० राम सुभग सिंह : इस पर कई बार विचार किया गया और कोयला, कच्चा लोहा, लोहा और इस्पात के दर अन्तिम रूप से निर्धारित कर दिये गये । इस समय इस पर दोबारा विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्री श्यामलाल सर्राफ : चुंकि रेलवे माल और यात्री यातायात घट रहा है, इसलिये क्या उसको किसी उचित स्तर तक लाने के लिये भाड़ा दरों को उचित बनाने के तरीकों में से यह एक तरीका है ?

डा० राम सुभग सिंह : कई बार इस पर विचार किया गया था और कोयला, लोह अयस्क तथा लोहा और इस्पात की अन्तिम भाड़ा दरें तय की गई थीं, अत: समचे प्रश्न पर पुनर्विचार करने का कोई औचित्य दिखाई नहीं देता ।

श्रीमती अकम्मा देवी : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पिछले कई वर्ष से दक्षिण में आलू की फसल को इसके रोग ने नुकसान पहुंचाया हुआ है तो क्या सरकार इन विशेष किरायों को आलू ले जाने पर भी लागू करेगी जिससे आलू पैदा करने वालों को प्रोत्साहन मिले ?

डा० राम सुभग सिंह : यह तो कच्चा लोहा तथा कोयला के लिये है । यदि नीलगिरी क्षेत्र में कोई विशेष समस्या है तो हम इस पर विचार करेंगे ।

Shri Bhagwat Jha Azad : The Hon. Minister has stated about the multiple car that they cannot consider it: (1) as Government does not actually have recommendations with them and (2) the coal is not available in required quantity. Is it not a fact that railways have already considered this controversial matter but have not taken any decision so far ? In the light of new facts are they going to reconsider it ?

Dr. Ram Subhag Singh : As given in the recommendation the iron etc. are generally sent to steel factories in multiple cars and train-loads. But the farmers and other persons do not use multiple cars and train-loads for carrying coal. They use wagons. all these considerations have been taken into account and final conclusions reached. The question regarding production of multiple cars and train loads on the lines of foreign countries, is not new. The Railway Ministry have considered it many times and are prepared to consider it now but there is no necessity for a fresh decision.

बेबी फूड की कमी

*571. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया गया है कि दिल्ली और आसाम के बाजारों में विशेष रूप से और देश में सामान्य रूप से बेबी फूड बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो इस कमी के क्या कारण हैं; और

(ग) स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

उद्योग तथा सम्भरण मंत्रालय में उद्योग और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह): (क) सरकार को देश में कुल मिलाकर बेबी फूड की कमी का पता है ।

(ख) बेबी फूड का आयात करने की बिल्कुल अनुमति नहीं है तथा देश में उसका उत्पादन उसकी अत्याधिक बढ़ी हुई आवश्यकता को पूरा करने के लिये पर्याप्त नहीं है । इसी प्रकार तरल दूध की कमी विशेषकर उत्तर भारत में दूध से बनाये जाने वाले पदार्थों में इस्तेमाल किये जाने से उसकी कमी और भी बढ़ गई है । विक्रेताओं द्वारा दूध संग्रह किये जाने के कारण स्थानीय कमी और भी बढ़ गई है ।

(ग) अतिरिक्त नये कारखानों के लिए लाइसेन्स दे कर बेबी फूड की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के प्रश्न पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है । निजी, सहकारी और सरकार क्षेत्रों में दूध का उत्पादन बढ़ाने और उससे बने पदार्थों में परिवर्तित करने के लिये डेरी उद्योग का सघन विकास करने के लिये भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है । जिन मामलों में दूध के विक्रेताओं द्वारा संग्रह किये जाने का पता चला है उनमें राज्य सरकारों ने अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की है और पकड़े गये स्टाक को सहकारी समितियों के द्वारा वितरित करने का भी प्रबन्ध कर लिया गया है ।

श्री प्र० चं० बरुआ : देश में प्रतिवर्ष कितना बेबी फूड तैयार किया जाता है और उसकी मांग कितनी है ?

श्री त्रि० ना० सिंह : 1963 की पैदा का अनुमान 4,302 टन था । योजना आयोग के पुनरावर्तित आंकड़ों के अनुसार मांग लगभग 7,500 से 12,000 टन तक है ।

श्री प्र० चं० बरुआ : देश में बेबी फूड की कमी को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार का विचार है कि एक कारखाना सरकारी क्षेत्र में खोला जावे ।

श्री त्रि० ना० सिंह : सामान्यतः सहकारी समितियां इस दिशा में बहुत अच्छा काम कर रही हैं उनमें से खेदा और महसना का काम उल्लेखनीय है । इसलिये सरकारी क्षेत्र की बजाय सहकारी समितियों को प्रोत्साहन करना चाहते हैं ।

Shri Yashpal Singh: Due to wrong approach of the Government they have not been able to check rise in population with the result that 80 lakh new babies are born every year. In view of this increase in population how much baby food has Government produced ?

Shri T. N. Singh : I think there is scope for increase in production of baby food and hence the target has been increased to 12,000 tons. Government and Cooperatives want to produce this as much as possible but due to paucity of milk the same could not be done.

श्री मानसिंह पृ० पटेल : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि निजी क्षेत्र के तीन कारखाने अपने उन लक्ष्यों पर नहीं पहुंच सके जिनके लिए उन्हें लाइसेंस दिये थे, सरकार क्या विशेष कदम उठा रही है जिस से यह तीनों कारखाने अपने तीसरी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों को पूरा कर सकें ?

श्री त्रि० ना० सिंह : ऐसा कहना असत्य है। उदाहरण के लिये एक कारखाने का लक्ष्य तो 2,500 टन था परन्तु उसकी 1963 में पैदावार 2,657 टन थी। उनकी पैदावार उनके लक्ष्यों से कम नहीं है।

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा : क्या सरकार को पता है कि दिल्ली में बेबी फूड साधारण मनुष्यों को तो बिल्कुल नहीं मिलता ? सरकार इस ओर क्या पग उठा रही है ?

श्री त्रि० ना० सिंह : इसीलिये तो हम इसकी पैदावार बढ़ाना चाहते हैं और सहकारी समितियों को और दूसरों को इसमें भाग लेने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं।

श्री अन्सार हरवानी : मंत्री महोदय ने बताया कि बेबी फुड का आयात बिल्कुल नहीं हो रहा। क्या यह सच नहीं है कि कुछ अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो यह देती हैं वह चोर बाजार में बेचा जाता है ?

श्री त्रि० ना० सिंह : वह दूसरी व्यवस्था के अन्तर्गत है ?

श्री दी० चं० शर्मा : क्या मैं जान सकता हूं कि इस वर्ष और पिछले एक दो वर्षों में कितने आदमियों को दंड मिला है जो चोर बाजारी और संचय करते थे ? इस वर्ष तथा पिछले एक दो वर्षों में चोर बाजारी और जमाखोरी करने वाले कितने लोगों को दंड दिया गया ?

श्री त्रि० ना० सिंह : वास्तव में 195,000 डिब्बे पोलिस ने पकड़े थे और 43 आदमियों पर मुकदमा चल रहा है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या सरकार को पता है कि जो बैबी फुड बाजार में मिलता है वह हर हालत में असली नहीं है ? यदि हां, तो सरकार असली बेबी फुड बांटने के लिये क्या पग उठा रही है ?

श्री त्रि० ना० सिंह : मैं यह बात मानने को तय्यार नहीं हूं। यदि माननीय सदस्य को कोई शिकायत है तो मेरे पास भेजें और मैं उन पर ध्यान दूंगा।

श्री कपूर सिंह : क्या सरकार को पता है कि पौष्टिक भोजन की कमी के कारण अब प्रौढ़ भी बेबी फुड खा रहे हैं ? यदि हां, तो सरकार इसे ठीक करने को क्या पग उठा रही है ?

श्री त्रि० ना० सिंह : माननीय सदस्य ने तो सूचना दी उससे तो मैं सहमत हूं परन्तु उन्हो जो ऐसा करने का कारण बताया उस से मैं सहमत नहीं हूं ?

Shri Sheo Narain : May I know what things constitute baby food ? Does it contain dry milk also ?

Shri T. N. Singh : Baby food has a separate definition.

Shri Onkar Lal Berwa : Some days back thousands of containers of baby food were seized in Calcutta? Has Government any information about the place from where they were procured, to whom they belonged and what action has been taken against persons who were in possession of them ?

Shri T. N. Singh : I have stated that 43 persons are being prosecuted. That food is now being sold through fair price shops.

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : क्या यह सच है कि बेबी फुड की अधिक मांग का कारण यह है कि भारत में स्त्रियों ने अपने बच्चों को छाती का दूध पिलाना कम कर दिया है ?

श्री त्रि० ना० सिंह : मैं समझा नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : शायद वह समझना भी नहीं चाहते ।

श्री कृ० चं० पंत : क्या सरकार की कोई समन्वित दीर्घ कालीन योजना है जिससे इस कमी को पूरा किया जा सके ? यदि हां, तो यह कमी कब तक पूरी हो जावेगी ?

श्री त्रि० ना० सिंह : मैं यह कह सकता हूं कि मेरा विभाग इस मामले पर बड़ी धुन से काम कर रहा है। यदि सब काम ठीक चलता रहा तो इस समस्या पर शीघ्र की काबू पाने की सम्भावना है।

व्यापार तथा प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य करार

\+

*572. { **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्रीमती सावित्री निगम : }

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यापार तथा प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य करार ने व्यापार तथा विकास सम्बन्धी एक विशेष समिति नियुक्त की है जो प्रशुल्क तथा व्यापार सम्बन्धी करार में जोड़े जाने के लिये एक नया अध्याय तैयार करेगी ;

(ख) क्या औद्योगिक दृष्टि से उन्नत तथा अल्प विकसित देशों के बीच 'एस्केप क्लाजों' के बारे में कोई मतभेद है जिससे औद्योगिक दृष्टि से उन्नत देश विकासशील देश से होने वाले आयात में जो बाधायें है उनको दूर करने में अपनी असमर्थता प्रकट कर सकते हैं अथवा और नयी बाधायें खड़ी कर सकते हैं; और

(ग) क्या भेदभाव रहित आधार पर व्यापार के संवर्धन तथा विकास के मार्ग में आने वाली कठिन समस्या के बारे में भारत सरकार ने अपने विचार व्यक्त किये हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) पिछले नवम्बर माह में हुई गाट की एक विशेष बैठक ने उन व्यवस्थाओं को अंगीकार कर लिया गया है जो व्यापार तथा प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य करार में जोड़े जाने वाले नये अध्याय में रखी जानी हैं।

(ख) नय अध्याय में व्यवस्था है कि गाट से सम्बद्ध विकसित देशों द्वारा उस अधिकतम सम्भव सीमा तक--- अर्थात् जब कोई बाध्य करने वाले कारण जिनमें ऐसे कानूनी कारण हों जिनसे कि यह असम्भव हो जाये---गाट से सम्बद्ध उन कम विकसित देशों के व्यापार के सम्वर्द्धन

में आने वाल अवरोधों को कम करने एवं समाप्त करने की दिशा में उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिये तथा इसके साथ ही इस प्रकार के अवरोधों को नये सिरे से चालू करने अथवा उनमें वृद्धि करने से उन्हें अपने आपको रोकना चाहिये ।

(ग) भारत सरकार द्वारा गाट में यह बलपूर्वक कहा गया है और इसी प्रकार ही फिर भी कहा जाएगा कि कम विकसित देशों के व्यापार सम्वर्द्धन तथा आर्थिक विकास के लिये इसके द्वारा उठाये जाने वाले निश्चित् कदमों को अंगीकार करने के मार्ग में केवल तकनीकी कठिनाइयां ही बाधक न बने ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : पश्चिमी जर्मनी के आर्थिक मामलों के मंत्री के बयान के संदर्भ में तो उन्हों ने जेनेवा सम्मेलन में दिया कि हम अपने आर्थिक सम्बधों को किसी संयोग अथवा निरंकुश घटना पर नहीं छोड़ सकते, मैं जानना चाहता हूं कि क्या अब सारे विकसित देश अब अपने कोटा सरल करने को तय्यार हो गये हैं तथा करों में भी तरजीह देना मान गये हैं ?

श्री मनुभाई शाह : जैसा कि सदन को ज्ञात है अब तक 'गाट' एक अमीर मनुष्यों की थी । परन्तु आदर्श अध्याय के अन्तर्गत अब उसमें क्रान्तिकारी परिवर्तन आ गये हैं और गाट का सारा ढांचा बदल गया है जिस से कम उन्नत देशों को लाभ पहुंचेगा और व्यापार के सारे बंधन टूट जावेंगे और गाट के चार्टर में अभिमान भी आहस्त आहस्ता शामिल कर लिये जावेंगे ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि प्रति व्यक्ति पैदावार जर्मनी में 122 प्रति शत, इंगलैंड में 109 प्रतिशत और अमेरिका में 111 प्रतिशत बढ़ी है, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार उन उन्नत देशों की सरकारों को मनावेगी जिस से कि इन प्रस्तावों पर भारत के हक में अमल हो जो कि विकासशील देशों में बहुत महत्वपूर्ण है ?

श्री मनुभाई शाह : तरजीह के मामले में कोई भेदभाव नहीं बर्ता जावेगा । हम भी सारे विकासशील देशों के साथ हैं जोकि मानव का 72 प्रतिशत भाग हैं । हमारा यह प्रयत्न होगा कि यह रियायतें सामान्य रूप से दी जावें ।

श्री हेम बरुआ : मैं जानना चाहता हूं कि यद्यपि माडल चैपटर वैसे तो तमाम रुकावटों को समाप्त करना चाहता है परन्तु वास्तव में कोई लाभ उससे विकास शील देशों को नहीं हो रहा जिस से कि इन देशों के माल को तरजीह दी जावे । यदि हां, तो सरकार इस ओर क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री मनुभाई शाह : यह तो सत्य है कि माडल चैपटर में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के मुख्य सिध्दान्त को मान लिया है जो विकासशील देशों के हित में है परन्तु वहां तरजीह शब्द नहीं लिखा है और हम उसके लिये प्रयत्न कर रहे हैं ।

श्री विद्या चरण शुक्ल : मैं जानना चाहता हूं कि इस संशोधन का भारत के आगामी व्यापार पर कितना प्रभाव पड़ेगा ? क्या मंत्री महोदय अगले 3 वर्षों के व्यापार के बारे में कुछ अन्दाजा बता पावेंगे ?

श्री मनुभाई शाह : इस से उन्नति की शक्तियों की बढ़ावा मिला है और प्रतिक्रियावादी शक्तियों को रोक लगी है । पहले तो जब भी कोई समझौता एक उन्नत देश और पिछड़े देश के बीच होता था उन में उन्नत देश अपने हक में रियायत ले लेते थे परन्तु अब वह बात नहीं है । बल्कि इस देश का व्यापार बढ़ने का एक कारण यह उदार बर्ताव के कारण है ।

श्री दी० चं० शर्मा : मैं मंत्री महोदय के साथ सहमत हूं कि संसार की नैतिक आत्मा जाग उठी है। परन्तु ऐसा तो पहले भी हुआ है। मैं तो यह जानना चाहता हूं कि इसका भारत के उन देशों के साथ निर्यात और आयात पर क्या असर पड़ा है जो 'गाट' के चैपटर से बाध्य हैं।

श्री मनुभाई शाह : आयात के बारे में उदारीकरण कोई भाग नहीं लेता क्योंकि आयात तो कम विकसित देशों की क्षमता के अनुसार होता है ताकि वह आयात के लिये विदेशी मुद्रा जुटा सकें। जहां तक निर्यात का संबंध है यह कहना ठीक नहीं है कि विश्व भावना पहले से ही थी। यदि हम व्यापार तथा प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य समझौते के मूल ढांचे को देखें तो पूरी संस्था ही कम विकसित देश विरोधी थी। यह तो अब जबकि व्यापार और विकास के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन और कम विकसित देशों द्वारा अथक प्रचार के फलस्वरूप पहली बार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांतों को मान्यता दी गई, और प्रशुल्क तथा अभ्यंश बन्धनों को तोड़ दिया गया है और कम विकसित देशों द्वारा तैयार हुए माल के हित में प्राथमिक्ता दी गई है। 19 उत्पादों को पहले ही प्रशुल्क बन्धनों से मुक्त कर दिया गया है जिन में चाय मुख्य उत्पाद है। पहली जनवरी 1965 से रुस तथा पुर्व योरुपीय देशों ने कम विकसित देशों के सभी उत्पादों को पूरी तरह शुल्क से मुक्त कर दिया है।

श्री कृ० चं० पंत : ब्रिटेन द्वारा हाल ही में हुई आयात शुल्क की 15 प्रतिशत तक बड़ौत्री नये अध्याय की भाषा और भावना के कहां तक अनुकूल है ?

श्री मनुभाई शाह : इस अध्याय को छोड़ कर यह अधिकार व्यापार तथा प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य समझौते की भावना से भी विरुद्ध है और ब्रिटेन सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया गया है परन्तु उनकी विशेष कठिनाईओं के कारण और उनके यथासम्भव इस अभ्यंश को दूर करने के आश्वासन पर हमें इसे सहन करना पड़ा है।

श्री रंगा : श्री दी० चं० शर्मा के अनुपूरक प्रश्न से क्या यह सच नहीं है कि विश्व की अल्प विकसित देशों के प्रति उत्तरदायित्वों की नवोदित भावना के अलावा विकसित देशों को मुद्रा सुविधाओं और अल्प विकसित देशों के साथ आयात निर्यात की सभी बातों के बारे में सहायता देने को कहा जाये ?

श्री मनुभाई शाह : मैं सदस्य महोदय के तर्क को समझ नहीं पाया। क्या हम उन से आयात किये माल पर अधिक सुविधायें चाहते हैं ?

श्री रंगा : जी हां। और माल बेचने के लिये भी। इस के लिये उन्हें अल्प विकसित देशों को पर्याप्त मुद्रा सुविधायें देनी चाहियें ताकि हम अपना उत्पादन विकसित करने के लिये उनके उत्पाद आयात कर सकें।

श्री मनुभाई शाह : इस प्रश्न के दो पहलु हैं। एक यह कि लम्बे समय के कर्जों का विस्तार और दूसरे निर्यात की बढ़ौत्री। व्यापार तथा प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य समझौते या किसी ऐसे दूसरे प्रकरण का मूल कार्य कम विकसित देशों को निर्यात बढ़ाना है। दूसरे भाग के बारे में, संयुक्त राष्ट्र विकास दशक कार्यक्रम पहले ही औद्योगिकृत देशों के राष्ट्रीय बजट के एक प्रतिशत को अल्पविकसित देशों के लिये रख छोड़ने की व्यवस्था करता है। आपको यह जानकर हर्ष होगा कि अमेरिका और फ्रान्स अपनी राष्ट्रीय आय में से एक प्रतिशत से अधिक अल्प विकसित देशों के लिये रख छोड़ते हैं। यह ठीक है कि सांझी आर्थिक मंडी के देश और दूसरे औद्योगीकृत देशों ने अभी तक इस प्रणाली को नहीं अपनाया है। परन्तु जेनेवा में हुए पिछले सम्मेलन में एक प्रस्ताव में, जो सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ था, कहा गया था कि एक प्रतिशत राशि जो भुगतान के दायित्व से मुक्त होगी इसके लिये रखी जाये। आशा है कि आने वाले कुछ वर्षों में औद्योगीकृत देश अल्प विकसित देशों के लिये और अधिक उदारता दिखलायेंगे।

Black Market in Steel in Delhi

\+

*574. **Shri Omkar Singh :**
Shri Onkar Lal Berva :
Shri Hukum Chand Kachhavaiya :
Shrimati Savitri Nigam :

Will the Minister of **Steel** and **Mines** be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that on the 31st October, 1964 Police raided a few places at Motia Khan in Delhi and seized contraband steel worth lakhs of rupees which was being sold in Black Market ;

(b) if so, the number of persons arrested in this connection ; and

(c) the number of places where the contraband goods were seized ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri P. C. Sethi) : (a) In police raids on 31-10-64 at some places in Motia Khan and Haus Qazi, Steel of controlled quality was seized.

(b) No arrests have been so far made.

(c) the goods were seized from Haus Qazi and Motia Khan in Delhi.

Shri Onkar Lal Berva : I want to know the quantity and quality of the goods captured and the reason of not arresting any one so far ?

Shri P. C. Sethi : 950 tonnes of goods were captured. Out of this 13620 were Black Plane sheets, 20537 were Galvanized Plane Sheets and 8045 were Galvanised Corrugated Sheets. As regards arrests, this matter is under the Delhi Administration who are investigating with this.

Shri Onkar Lal Berva : From the Statements given by the persons arrested, whether the Delhi Administration have in their report alleged the complicity of Government servants in this matter ?

Shri P. C. Sethi : No sir, as I said in the beginning, they have not been arrested. 31 shops were raided and goods captured therefrom.

Shri Onkar Lal Berwa : Do their statement indicate their hands in this matter ?

Shri P. C. Sethi : No sir. As the investigations are still in progress the question of Government servants having a hand in this matter does not arise.

Shri Achal Singh : All the goods captured the same which have been stolen from Railway wagans ?

Shri P. C. Sethi : How can the source of the goods be ascertained before the completion of investigation and the investigations have not been completed yet.

श्री मानसिंह पृ० पटेल : कारूगटिड गेल्वानाईज़ड़ शीट्स और प्लेन शीट्स की कमी को ध्यान में रखते हुए क्या मैं जान सकता हूं कि भतपूर्व मंत्री जी के आश्वासन दिये जाने पर भी कि वह इस बारे में कुछ करेंगे, भिन्न राज्यों को दी जाने वाली अभ्यंश मात्रा में कमी क्यों यह कह कर की जाती है कि वह अपने अभ्यंश को उठाने में बहुत समय लगा देते है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : अभाव तो अब भी बना हुआ है परन्तु कुछ अनाधिकृत लोग अभ्यंश ले लेते हैं और यह वह कैसे करते हैं इस की जांच हो रही है। मेरे विचार में मैं इसका उत्तर बेखटके नहीं दे सकता।

Shri Sheo Narain : I want to know as to why the Government have not taken any step against the owner of the house from where goods were recovered?

Shri P. C. Sethi : I have said that the owners of the shops from where goods were recovered are being investigated into by the Delhi Administration. Action can be taken only after the investigations are completed.

श्री श्यामलाल सर्राफ : देश में कई लघु उद्योगों को लाईसेंस दिये गये है और यह भी सत्य है कि इन में से कई कारखानों को इस्पात और लोहे के अभ्यंश नहीं मिलते फिर भी वह माल का निर्माण कर रहे हैं। इसे ध्यान में रखते हुये क्या यह जांच कराई गयी है कि वह अपनी इस्पात और लोहेकी आवश्यकताओंको कहां से पूरा करते हैं ?

श्री संजीव रेड्डी : यह तो बिल्कुल दूसरा प्रश्न है।

श्री श्यामलाल सर्राफ : सारे देश में ऐसा ही है। यह बहुत आवश्यक प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : इसकी जांच हो रही है।

श्री हिम्मत सिंहजी : क्या मंत्री महोदय सभा को जांच के दौरान यह बतायेंगे कि इस इस्पात का स्रोत क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो जांच से पता लग जायेगा।

Shri J. P. Jyotishi : One and a half months have elapsed and no steps have been taken according to the enquiry, may I know what are the reasons for this ?

Shri P. C. Sethi : Delhi Administration is conducting the enquiry.

कोयले का उत्पादन

*575. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी, 1964 से लेकर अगस्त, 1964 की अवधि के दौरान कोयले का उत्पादन गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 20 लाख मीट्रिक टन कम हुआ हैं ;

(ख) क्या इसी के साथ-साथ, कोयला खानों के मुहानों पर (पिटहैड्स) पर कोयले का स्टाक लगभग 7 लाख मीट्रिक टन बढ़ गया है ;

(ग) क्या सरकार का विचार अधिक कोयले के उपभोक्ताओं को बाध्य करने का है कि वे कोयले के अपने स्टाक को बढ़ायें ताकि मुहानों पर जमा हो गये कोयले के स्टाक को कम किया जा सके ; और

(घ) इस दिशा में और क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

इस्पात और खान मंत्री के सभा सचीव (श्री तिमय्या) : (क) जी, हां।

(ख) कोयला खानों के मुहानों पर कोयले का संचय 31-8-63 को 4.35 लाख मीट्रिक टन के मुकाबिले में, 31-8-64 को 50 लाख 30 हजार मीट्रिक टन था अर्थात बढ़ोत्तरी 6 लाख 80 हजार मीट्रिक टन हुई।

(ग) और (घ) 1964 के पहिले आठ महिनों में कोयला खानों के मुहानों पर कोयले के संचय में बढ़ोत्तरी अधिकतर नीची श्रेणी के कोयले में हुई है। कोयले की खपत को बढ़ाने के लिये सरकार ने कई कदम उठाये है, जैसे कि :--

(1) नीची श्रेणी के कोयले तथा साफ्ट कोक के वितरण नियंत्रण को शिथिल करना।

(2) ईंट के भट्ठों तथा साफ्ट कोक के डिपो खोलने के बारे में लाइसेन्स देने की नीति में उदारता।

(3) राज्य शासनों को मंत्रणा दी गई है कि वे कोयले पर आधारित उद्योगों की बढ़ती में प्रोत्साहन दें तथा औद्योगिक भट्ठियों में लकड़ी के कोयले के प्रयोग को कम करें।

(4) उपभोक्ताओं को अपने कोटे से अधिक कोयला लेने की इजाज़त।

श्री रामेश्वर टांटिया : क्या यह सच है कि तीसरी योजना का सरकार का लक्ष्य 960 लाख टन कोयले का था और अब इसे घटा कर 760 लाख टन कर दिया गया है। यदि हां, तो इस भारी कमी के क्या कारण हैं ?

श्री तिमय्या : तीसरी योजना के मध्यकालीन मूल्यांकन के दौरान रेलवे जैसे बड़े उपभोगता और दूसरे उद्योगों नें अपनी मांगें घटा दी थी और कुछ इस्पात तथा विद्युत उत्पादन परियोजनाएं भी पूरी क्षमता से कार्य नहीं कर सकीं इस लिये हमें तीसरी योजना के लक्षों को कम करना पड़ा।

श्री रामेश्वर टांटिया : क्या यह सच है कि रेलवे ने अपने कोयले के कार्यक्रम में 10 लाख टन की कमी कर दी है ; यदि हां तो क्या इस्पात और खान मंत्रालय ने रेलवे मंत्रालय से पूछा है कि वह किस विकल्प पर कार्य कर रहे हैं और उनके घटे उपभोग के क्या कारण हैं ?

श्री तिमय्या : यह ठीक है कि उन्हों ने अपनी मांग कम कर दी है परन्तु मैं इसका कारण नहीं जानता।

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : शायद इसलिये कि वह डीज़ल और बिजली का उपयोग कर रहे हैं।

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा : क्या यह सच है कि हम कोयले में आत्मनिर्भर हैं। यदि हां तो सरकार कोयले की निर्यात के लिये क्या पग उठा रही है ?

श्री संजीव रेड्डी : हम ने कोयले के निर्यात का प्रयत्न किया था परन्तु धातुधार्मिक तथा पहले दर्जे का कोयला फालतू नहीं है। केवल निमन्न दर्जे का कोयला ही फालतू है। हम दूसरे देशों को तीसरे दर्जे का कोयले नहीं बेच सके। वह धातुधार्मिक और पहले दर्जे का कोयला चाहते है जो भारत में फालतू नहीं है।

श्री द्वा० ना० तिवारी : क्या कोयले की खपत कम हो जाने से सरकार की नीति कोयले के उत्पादन की गति को धीमा करने की है ?

श्री संजीव रेड्डी : जी नहीं हमें फिर अकस्मात कमी का सामना न करना पड़े इसलिये हमें उत्पादन कम करने के बारे में बहुत ध्यान रखना होगा।

श्री काशीराम गुप्त : बिजली की कमी को ध्यान में रखते हुये क्या सरकार यथासम्भव अधिकतम मात्रा में घटिया कोयले का उपयोग बड़े पैमाने के उद्योगों में करने पर विचार कर रही है ?

श्री संजीव रेड्डी : यथासंभव हम घटिया दर्जे के कोयला के उपयोग को प्रोत्साहन देना चाहते है।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : यह घोषित किया गया था कि सरकार कुछ उपाय कर रही है जिससे स्थिति का मुकाबिला किया जाये और घटिया दर्जे के कोयले की मांग बढ़ा कर ऊंचे दर्जे के कोयले की खपत को कम किया जाये। क्या सरकार इन उपायों के प्रभाव का निर्धारण कर सकी है।

श्री तिमय्या : हम राज्य सरकारों से कोयले पर आधारित उद्योगों को आरम्भ करने और भट्ठों के खोले जाने के लिये लाइसेन्स देने की प्रक्रिया को अधिक उदार बनाने के बारे में उनसे प्रतिवेदन मांगते रहते हैं और हमें इनकी प्रतीक्षा है।

डा० पं० शा० देशमुख : क्योंकि सभी जानते हैं कि गोबर को ईन्धन के तौर पर प्रयोग में लाया जाता है जबकि इसका प्रयोग खाद बना कर होना चाहिये इसलिये क्या कोई ऐसी योजना बना रही है जिससे फालतू कोयला देश में सस्ता बेचा जाये और गोबर को खाद के लिये रक्षित रखा जा सके ?

श्री संजीव रेड्डी : हमें उत्पादन मूल्य को भी ध्यान में रखना होगा। कोयला बहुत कम मूल्य पर नहीं बेचा जा सकता।

Shri Onkar Lal Berva : Since the supply of inferior quality coal to lime kilns in Madhya Pradesh, thousands of labourers working on raw Coal have been rendered jobless, may I know what the Govt. is doing for them ?

श्री प्र० चं० सेठी : यह मामला इस प्रश्न से नहीं उठता।

श्री अ० प्र० शर्मा : क्या कोयले के मूल्यों में वृद्धि इसकी खपत में कमी का एक कारण नहीं है।

श्री तिमय्या : घटिया दर्जे के कोयले के लिये मूल्य निश्चित है।

अलौह धातुओं का आवंटन

*576. **श्री द्वा० ना० तिवारी :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई ऐसा केन्द्रीय अभिकरण है जो इस बात की निगरानी करता है कि प्रत्येक राज्य को दी जाने वाली अलौह धातुओं का उपयोग उसी कार्य के लिए किया जाये जिसके लिए वह धातु दी गई है ;

(ख) क्या सरकार को इस बात का पता है कि कृषि तथा अन्य घरेलू प्रयोजनों के लिए दिये गये पदार्थों की अधिकांश मात्रा को वे एकक जिनको इन प्रयोजनों के लिए कोटे दिये जाते हैं, उचित रूप से उपयोग नहीं करते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार के दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) विभिन्न राज्यों को आवण्टित अलौह-धातुओं का विस्तृत वितरण राज्य सरकारों द्वारा अपने आप ही किया जाता है, जिनके पास अनुवर्ती उपयोग की निगरानी करने के लिए आवश्यक प्रशासकीय साधन भी हैं।

(ख) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता। तथापि यदि कोई आवण्टन के दुरूपयोग के मामले हों तो सरकार के पास कार्यवाही करने के उचित अधिकार हैं।

श्री द्वा० ना० तिवारी : क्या सरकार ने राज्य सरकारों से इस सम्बन्ध में रिपोर्ट मंगाई है कि दी गयी धातुओं को किस प्रकार उपयोग में लाया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : मैं भी अनुपूरक प्रश्न को सुनने में रुचि रखता हूं। वह केवल मंत्री को सुनाई दे रहे हैं। मैं सुन नहीं पा रहा हूं। यदि माननीय मंत्री ने उन्हें सुन लिया है तो वह प्रश्न का उत्तर दें।

श्री प्र० चं० सेठी : धातुओं के निबटारे का काम लघु उद्योगों के निकास आयुक्त द्वारा होता है और राज्यों को अभ्यंश भी वही देते है। इस के उपयोग के बारे राज्य सरकारें देखती है।

श्री द्वा० ना० तिवारी : क्या सरकार के पास ऐसी जानकारी है कि अलौह धातुओं की अभ्यंश जिन निर्माताओं के लिय मंजूर किया जाता है वह वास्तव में किन्हीं औरों को दे दिया जाता है। अर्थात जो निर्माण कार्य नहीं करते। उन लोगों का सरकार पर प्रभाव है और यह काला बाज़ार चल रहा है ।

श्री प्र० चं० सेठी : जैसा मैंने पहले कहा राज्यों में वहां की सरकारें ही वितरण कार्य करती हैं और वह ही उपयोग की निगरानी भी करती हैं ।

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : मैं यह जोड़ दूं कि यदि हमारी जानकारी में कोई ऐसा मामला लाया जाय तो हम अवश्य कार्यवाही करेंगे ।

Shri K. N. Tiwary : Has Government received a complaint to the effect that businessmen are not getting non-ferrous metals, if so, what action has been taken in the matter ?

Shri P. C. Sethi : This very question was put in another form and we said in this connection that entire distribution is done by State Governments and supervision is also done by them.

श्री भागवत झा आजाद : यह बात साफ जान पड़ती है कि अलौह धातुओं का प्रयोग उन प्रयोजनों के लिये नहीं होता कि जिन के लिये वे दिये जाते हैं बल्कि वास्तव में इन को संदिग्ध समवाय प्रयोग में लाते हैं। क्या केन्द्रीय सरकार ने अपनी ओर से इस विषय में जांच करायी है कि राज्यों में इस बांट का दुरुपयोग न हो ?

श्री संजीव रेड्डी : हम राज्य सरकारों से सतर्क रहने का अनुरोध करेंगे । हमारा कोई अभिकरण इस की जांच के लिये नहीं। हम अवश्य राज्यों से कहेंगे कि वे अधिक ध्यान दें।

Shri Achal Singh : Will not it be proper that Government sends its representative to enquire into it ?

Shri P. C. Sethi : The Hon. Minister has just now said that we are writing to the State Governments to be more careful in checking.

डा० सरोजिनी महिषी : विभिन्न राज्यों में किस आधार पर अलौह धातु बांटे जाते हैं ?

श्री प्र० चं० सेठी : यह राज्यों के उद्योग अधिकारियों द्वारा प्राप्त की गई मांगों के आधार पर किया जाता है ।

Shri Yogendra Jha : Non-ferrous metals are available at Rs. 1500 per ton in black market. I want to know whether Central Government is aware of cases in Bihar where such people have been given permit for non-ferrous metals who do not deserve that. For example a driver of an honourable member of this house has been given permit and two near relations of cabinet ministers of Bihar have given permits. Similarly numerous people in Bihar have been given such permits. Many such cases of corruption can be found in Bihar. Whether Government is prepared to inquire into it ?

Mr. Speaker : You write to the Government in this connection. They will enquire. What is the need of asking in this manner here ?

श्री योगेन्द्र झा : मंत्री जी को तथ्य मालूम हैं ।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति, श्री कृ० च० पन्त ।

श्री कृ० चं० पंत : वर्षों से अलोह धातुओं की कमी चल रही है परन्तु इनकी खपत के आधार पर नये उद्योगों के लिये लाइसेंस जारी किये जा रहे हैं क्या लाइसेंस जारी करने वाले अधिकरणों तथा आयात-निर्यात अधिकरणों में कोई पारस्परिक सम्बन्ध रहता है ?

श्री संजीव रेड्डी : जब तक कमी रहेगी कठिनाई भी रहेगी । एल्युमीनियम और तांबे आदि के नये संयंत्र स्थापित कर के इसे समाप्त किया जा रहा है परन्तु मांग को पूरा करने के लिये समय लगेगा । अंतः हमें आयात पर निर्भर होना पड़ रहा है । अभाव कुछ और समय चलेगा ।

श्री नाथ पाई : यह प्रश्न का उत्तर नहीं है । अध्यक्ष महोदय क्या आप देखेंगे कि प्रश्न क्या था ? प्रश्न यह था कि क्या लाईसेंस देने वाले अधिकरण तथा बांटने वालों में कोई समन्वय रहता है ? वह नये उद्योगों को कैसे लाईसेंस देंगे ? हमें इसका उत्तर नहीं मिला । यह मैं ठीक समझा हूं तो यह प्रश्न था ।

श्री संजीव रेड्डी : यदि कच्चा माल उपलब्ध नहीं और लाईसेंस जारी कर दिये जाते हैं तो इस से कठिनाइयां उत्पन्न होंगी । राज्य सरकारों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि जब तक पूरी मात्रा में कच्चा माल नहीं मिलता लाईसेंस जारी न किये जायें ।

श्री शिवनंजप्पा : ऐसे कितने मामले हैं कि जिन में आशंका है ?

श्री संजीव रेड्डी : मेरा विचार है कि इस के लिये पृथक सूचना दी जाये ।

बिहार में रामगड़ कोयला क्षेत्र

\+

*577. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री विश्वनाथ पाण्डये :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री बालकृष्ण सिंह :
श्री यमुना प्रसाद मण्डल :

क्या **इस्पात** और **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार में रामगढ़ कोयला क्षेत्र में हाल में ही 22 कोयला परतों (सीम्स) का पता लगा है;

(ख) यदि हां तो वहां पर अनुमानतः कितना कोयला मिलने की संभावना है ; और

(ग) उसमें से कोयला निकालने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

इस्पात और खान मंत्री के संसदीय सचिव (श्री तिम्मय्या) (क) रामगढ़ कोयला क्षेत्र में कोयले की परतों की संख्या जिनके संचय ज्ञात हो चुके हैं 18 है ।

(ख) कोयले का संचय का अनुमान 1560 लाख मीट्रिक टन है ।

(ग) राष्ट्रीय कोयला विकास निगम का चतुर्थ योजना में रामगढ़ कोयला क्षेत्र के कुछ क्षेत्रों का विकास करने का विचार है । एक क्षेत्र की परियोजना का प्रतिवेदन तैयार हो गया है और इस परियोजना पर विचार हो रहा है । अन्य क्षेत्रों में पूर्वेक्षण कार्य हो रहा है ।

श्री प्र० चं० बरुआ : यह कोयले की खान सरकारी क्षेत्र में होगी या गैर सरकारी क्षेत्र में होगी ?

श्री तिम्मय्या : यह सरकारी क्षेत्र में होगी ।

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा : क्या कोयला . . .

अध्यक्ष महोदय : शान्ति शान्ति। मैंने उन्हें नहीं बुलाया। वह प्रश्न कैसे कर रही हैं?

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा : आपने कहा था 'हां'।

अध्यक्ष महोदय : अच्छा, श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा।

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा : क्या यह कोयला बढ़िया दर्जे का होगा अथवा घटिया दर्जे का?

श्री तिम्मय्या : यह पहली तथा दूसरी किस्म का होगा।

Shri Yeshpal Singh : Will this work be completed during third Five Year Plan? What will be total expenditure and quantum of foreign collaboration in it?

श्री तिम्मय्या : इस को चतर्थ योजना काल में आरंभ किया जायगा। वर्तमान कार्यक्रम के अनुसार यह परियोजना 1968-69 तक चालू की जायेगी।

विदेशों में भारतीय व्यापार गृह

\+

*578. { **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशों के कुछ महत्वपूर्ण स्थानों के बड़े विभागीय स्टोरों के समान भारत में भी व्यापार गृहों की स्थापना के प्रस्ताव पर भारत सरकार विचार कर रही है;

(ख) यदि हां तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) मामले में कब तक अन्तिम निर्णय किये जाने की आशा है?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग) जी हां। व्यापार बोर्ड ने 7 दिसम्बर को मद्रास में हुई अपनी बैठक में एक सुझाव की पुष्टि की कि भारतीय निर्यातक संघ तथा विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों की सहायता से एशियाई देशों में उचित स्थानों पर दो या तीन व्यापार गृहों की स्थापना की जानी चाहिए। इस सिफारिश पर की जाने वाली आगामी कार्यवाही विचाराधीन है।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : उन स्थानों का, कि जहां व्यापार गृह स्थापित किये जायेंगे चयन करते समय किन बातों का ध्यान रखा जायगा। क्या यह समस्त विश्व में बनाये जायेंगे अथवा वे उन क्षेत्रों में होंगे जहां हमारा व्यापार संतुलन प्रतिकूल है?

श्री मनुभाई शाह : हम इन बातों का ध्यान रखेंगे (1) क्या वह स्थान अबाध व्यापार क्षेत्र में आता है ताकि हम उस क्षेत्र की सुविधाओं का लाभ उठा सकें (2) क्या वह स्थान हांगकांग अथवा पिनांग अथवा सिंगापुर जैसे स्थानों की तरह है ताकि अधिकतम संभव निकटवर्ती देशों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। (3) क्या भारतीय उत्पाद इन क्षेत्रों में भली प्रकार प्रचलित हैं ताकि तुरन्त फायदा उठाया जा सके।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : समाचार पत्रों में आया है कि व्यापार विशेषज्ञों के विदेशी दल यहां आ रहे हैं। वे हमारे निर्यात बढ़ाने के प्रयत्नों का अध्ययन करेंगे तथा सुधार सुझायेंगे। क्या यह प्रश्न भी उनको सौंपा गया है; यदि हां तो उन की प्रतिक्रिया क्या है?

श्री मनुभाई शाह : यह एक विशिष्ट सुझाव है। हम निर्यात बढ़ाने के लिये विभिन्न कदम उठा रहे हैं। हम इस कार्य के लिये किसी विशष दल पर निर्भर नहीं है।

श्री बासप्पा : क्या यह सरकार की जानकारी में है कि सारे यूरोप में बड़े-बड़े विभागीय स्टोर बहुत लोकप्रिय हैं ? इनकी लोकप्रियता का कारण यह है कि वहां वस्तुओं के मूल्य लिखे होते ह ?

श्री मनुभाई शाह : यह ठीक है। यह भी एक कारण है कि हम विभागीय स्टोरों की प्रणाली अपना रहें हैं। हम ने इनका नाम व्यापार गृह रखा है। यह विभागीय स्टोरों की प्रकार के हीं होंगे। तथा यहां पर मूल्य यथासम्भव समान रखे जायेंगे।

श्री दी० चं० शर्मा : इस योजना को अन्तिम रुप देने में कितना समय लगेगा तथा यह स्टोर कब तक चालू हो जायेंगे।

श्री मनुभाई शाह : मेरा विचार है कि एक स्टोर यदि अधिक नहीं तो 1965 में चालू हो ही जायेगा।

श्री हेम बरुआ : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ने न्यूयार्क में हुए विश्व व्यापार मेले कि जहां कि हमारी बिक्री आशा से 10 करोड़ रु० कम होने की सम्भावना है से आगे के लिये कोई सबक सीखा है, यदि हां तो क्या आयोजन की इस त्रुटि को पूरा करने के लिये विदेशों में व्यापार गृह खोल रही है ?

श्री मनुभाई शाह : माननीय सदस्य की धारणा पूर्णरूप से ठीक नहीं। न्यूयार्क के विश्व मेले में हमें आशा से अधिक सफलता मिली है। 10 करोड़ रु० का आयोजित लक्ष्य नहीं था। वहाँ पर खुले रूप में बिक्री करनी थी। हमने मेले के पहले आधे भाग में 10 करोड़ रु० से अधिक के मूल्य की वस्तुएं विक्रय कीं। मेले का दूसरे आधे समय के लिये अभी खुलना है। हमारे से लगभग 20 करोड़ रु० की व्यापार सूचनायें मांगी गई हैं। मैं हैरान हूं कि जिसने माननीय सदस्य को बताया है कि हम असफल रहे हैं उस को सब जानना चाहिये। इस के विपरीत इस मेले में भाग लेने से हमारे ज्ञान में वृद्धि हुई है।

श्री श्यामलाल सर्राफ : इस प्रकार के स्टोर खोलते समय क्या सरकार केवल खुद्रा स्टोर खोलने का विचार कर रही और थोक व्यापार के स्टोर नहीं ? यदि थोक व्यापार के स्टोर खोलने का विचार है तो उन देशों में इस को किस प्रकार चलाया जायगा ?

श्री मनुभाई शाह : हमारा विचार खद्रा व्यापार में जाने का बिल्कुल नहीं। यह इस लिये कि विश्व में बहुत कम देश खुद्रा व्यापार की अनुमति देते हैं। यह स्थानीय विभागीय स्टोरों के सहयोग से चलेंगे। हम थोक म सामान सप्लाई करते हैं और वे खुद्रा व्यापार करते हैं।

रेलवे विद्युतीकरण परियोजना, मुगलसराय क कर्मचारी

***580. श्री नम्बियार :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे विद्युतीकरण परियोजना मुगलसराय के नैमित्तिक श्रमिकों ने अपनी अत्यावश्यक मांगों को पूरा कराने के लिए भारी संख्या में अनिश्चित काल के लिए भूख हड़ताल कर दी है ;

(ख) क्या दैनिक मजूरी में 50 नये पैसे की वृद्धि तथा उचित मूल्य की दुकान सम्बन्धी रियायत देने की उनकी कुछ मुख्य मांगें हैं; और

(ग) काम न रुकने देन के लिये तथा इसके परिणामस्वरुप विद्युतीकरण के काम में विलम्ब न होने देने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री(डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी हां।

(ग) काम बन्द नहीं है।

श्री नम्बियार : मुझे इस बात की जानकारी है कि यह कर्मचारी पहले ही भूख हड़ताल पर हैं अथवा ऐसा करने का विचार कर रहे हैं। क्योंकि उन की मजूरी वृद्धि नहीं की गई। क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार उनकी मांग पर उनकी मजूरी तथा वेतनों में वृद्धि के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

डा० राम सुभग सिंह : हम अपनी ओर से ही यह कर रहे हैं। जब वह स्वयं तथ्यों को नहीं जानते तो मैं इस विषय में नहीं जाऊंगा।

श्री नम्बियार : क्या सरकार को उन की भूख हड़ताल के बारे में कोई सूचना मिली है।

अध्यक्ष महोदय : यदि वे अभी इस पर विचार ही कर रहे हैं तो सूचना कैसे आ सकती है।

श्री नम्बियार : उन्हों ने इस की सूचना जारी कर दी है। क्या सरकार उनके सम्पर्क में है या कोई बातचीत हुई है? और क्या भूख हड़ताल समाप्त कर दी गई है या होने जा रही है?

अध्यक्ष महोदय : आप उन बातों की पूर्वधारणा कर रहे हैं जो वास्तव में नहीं हैं।

नीलगिरी में चाय उगाने वाले

*581. **श्रीमती अकम्मा देवी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नीलगिरी के छोटे चाय उगाने वालों के लिए वित्त की व्यवस्था करने के लिये चाय बोर्ड ने एक योजना पेश की है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं तथा उस पर कितना धन व्यय होगा ; और

(ग) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री(श्री सें० वें० रामास्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण सदन की मेज पर रखा जाता है।

विवरण

योजना के अंतर्गत, नीलगिरी जिले में चाय बोर्ड से ऋण सहायता से दो वर्तमान फैक्ट्रियों के अतिरिक्त छः नयीं सहकारी चाय फैक्ट्रियां स्थापित करने तथा छोटे चाय उत्पादकों को बांटने के लिये उर्वरकों तथा कीटनाशक दवाइयों आदि की थोक खरीद के लिये एक केन्द्रीय सेवा सहकारी समिति स्थापित करने की व्यवस्था है। इस योजना के अंतर्गत बोर्ड छः फैक्ट्रियों की स्थापना की लागत के लिये तीन वर्ष तक प्रतिवर्ष 12 लाख रुपये का ऋण देगा। छः फैक्ट्रियों तथा केन्द्रीय समिति के पर्यवेक्षी कर्मचारियों के अनुमानित व्यय का 50 प्रतिशत भाग पूरा करने हेतु बोर्ड द्वारा प्रथम तीन वर्षों के लिये 46,000 रुपये वार्षिक का सर्वथा अनुदान भी दिया जायगा।

उर्वरकों तथा कीटाणुनाशक दवाइयों की वार्षिक मांग के आधे व्यय को उपदान से तथा आधे को चाय बोर्ड द्वारा दिये गये ऋण से पूरा किया जायेगा। उपदान तथा ऋण दोनों ही तीन वर्ष की अवधि के लिये दिये जायेंगे। योजना सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गयी है और शीघ्र ही कार्यान्वित की जायगी ।

(ग) सरकार ने योजना स्वीकार कर ली है।

श्रीमती अकम्मा देवी : चाय बोर्ड ने लगभग एक वर्ष पूर्व अनुमोदित योजना प्रस्तुत की थी। क्या मैं इतनी देरी के कारण जान सकती हूं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : योजना का स्वरूप बहुत व्यापक है, कहां पहले मुश्किल से एक सहकारी समिति है और अब छः और स्थापित करनी है। लेखा भी तैयार करना है और इस के लिये एक वर्ष का समय कोई ज्यादा नहीं है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि योजना को तुरन्त क्रियान्वित किया जायेगा।

श्रीमती अकम्मा देवी : योजना को क्रियान्वित करने में कितना समय लगेगा ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : हम इस को यथासम्भव शीघ्र क्रियान्वित कर देंगे।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या चाय वित्त समिति ने इस विषय के बारे में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; यदि हां, तो सरकार इस समिति की सिफारिशों को कब क्रियान्वित करेगी ?

श्री मनुभाई शाह : चाय वित्त समिति आगामी कुछ दिनों में अपना प्रतिवेदन औपचारिक रूप से प्रस्तुत कर देगी। इस की पत्रकारिता करने से पूर्व इसे सभा पटल पर रखा जायेगा। मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि इस समिति की, जो एक अधिक शक्ति शाली है और जिस ने पूर्णरूपेण सरकार की सलाह से कार्य किया है, सिफारिशों पर शीघ्र ही विचार किया जायेगा।

श्री अ० प्र० शर्मा : इन को क्रियान्वित करने की कब सम्भावना है और इस के बारे में क्या कोई समय सीमा निर्धारित की गई है ?

श्री मनुभाई शाह : जी, हां, इस के बारे में समय सीमा हैं क्योंकि अधिकतम सिफारिशों का राजकोषीय स्वरूप है और इसलिये किसी न किसी समय के साथ जुड़ी हुई हैं ।

नये अल्युमिनियम कारखाने

+

*582. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री राम सेवक यादव :
श्री रा० बरूआ :
श्री द्वारका दास मंत्री :
श्री कोया :

क्या **इस्पात** और **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र में दो अल्युमिनियम कारखाने स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो उनको कहां स्थापित किया जायेगा ;

(ग) क्या इस बारे में किसी प्रकार का विदेशी सहयोग अथवा सहायता प्राप्त करने की कोशिश की गई है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) इन कारखानों में कब तक उत्पादन आरम्भ होने की सम्भावना है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी हां।

(ख) एक संयंत्र महाराष्ट्र राज्य के कोयना प्रदेश में स्थापित किया जायगा और दूसरा मध्य प्रदेश में कोरवा थरमल पावर स्टेशन के निकट स्थापित किया जायगा।

(ग) महाराष्ट्र में स्थापित किये जाने वाले संयंत्र के लिए पश्चिमी जर्मनी की फर्म मैसर्स वैरीनिगटे अल्मोनियम विरके (वी० ए० डब्ल्यू०) का तकनीकी सहयोग प्राप्त करने का विचार है। विदेशी सहयोग का विवरण अभी निश्चित नहीं हुआ है।

मध्य प्रदेश में स्थापित किये जाने वाले संयंत्र के लिये, इरादा है कि हंगरी की तकनीकी सहायता का लाभ, प्रायोजना की एल्युमिना अवस्था तक की पूर्ति में उठाया जाय। प्रथम चरण के रूप में हंगरी वालों को एल्युमिना संयंत्र के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिये कहा गया है। 17 नवम्बर, 1964 को समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। समझौते की शर्तों के अनुसार, समझौते के लागू होने के दस महिने के अन्दर, हंगेरीयन विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे जिसमें प्रायोजना का विश्वसनीय आर्थिक निर्धारण भी होगा और अन्तिम परियोजना रिपोर्ट समझौते के लागू होने के 18 महीने के अन्दर प्रस्तुत की जायगी। रिपोर्ट तैयार करने के लिए 20 लाख रुपये शुल्क के रूप में दिये जाने हैं।

एल्युमिना प्रद्रावक तथा संविरचना एकक (fabrication unit) स्थापित करने के लिए तकनीकी सहयोग प्राप्त करने की सम्भावनाओं की खोज की जा रही है।

(घ) दोनों संयंत्रों के चौथी योजना के अन्त तक उत्पादन के लिये तैयार हो जाने की आशा है।

Shri Yashpal Singh : May I know the expenditure involved in it ?

Shri P. C. Sethi : There are two separate projects. The total approximate expenditure in respect of one of them is Rs. 25·30 crores and about Rs. 40 crores for the other.

अल्प सूचना प्रश्न
SHORT NOTICE QUESTION

तिलहन का निर्यात

+

प्र० 7 — **श्री जसवन्त मेहता :**
श्री सोलंकी :
श्री हिमतसिंहजी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के कुछ जहाजों से माल लाने ले जाने वालों को हाल में विदेशोंको तिलहन का निर्यात करने के परमिट दिये गये हैं;

(ख) क्या यह सच है कि नियमित व्यापार नोटिस जारी नहीं किया गया था ;

(ग) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आगई है कि विदेशों को तिलहन के निर्यात के कारण भारत में तिलहन की कीमत में असाधारण वृद्धि हुई है ; और

(घ) यदि हां, तो तिलहन की कीमत में वृद्धि रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (घ) मूंगफली, मूंगफली के तेल तथा अन्य खाद्य तेलों के निर्यात पर पूर्णरूपेण प्रतिबन्ध लगा हुआ है।

किसी भी जहाजी व्यापारी अथवा निर्यातक को एच० पी० एस० (हाथ से चुन कर छांटी हुई) मूंगफली की गिरियों के निर्यात के लिये परमिट जारी नहीं किय गये हैं। 1964 के लिये एच० पी० एस० मूंगफली के 50,000 टन के पूर्ववत वार्षिक कोटे में से 35,000 टन का निर्यात इस वर्ष के शुरू में पहलेही किया जा चुका है एच० पी० एस० गिरियों के 15,000 टन के बाकी कोटे को, तटकर तथा पतन प्राधिकारियां को माल दिखाने के बाद, प्रत्येक जहाजी व्यापारी को 100 टन प्रति जहाज के हिसाब से लघु अंशों में निर्यात करने की अनुमति दे दी गई है। इसलिये किसी को भी किसी प्रकार का लाइसेंस अथवा परमिट दिये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। जैसा कि सदन को विदित है कि ये एच० पी० एस० गिरियां 90 पौंड से 110 पौंड प्रति टन की दर पर बहुत अधिक विदेशी मुद्रा उपलब्ध कराती है, जब कि इसकी तूलना में साधारण तिलहन का मूल्य केवल 35 पौंड से 40 पौंड प्रति टन है, जो एच० पी० एस० मूंगफली गिरियों के मूल्य से काफी कम है। हमारी विदेशी मुद्रा को सख्त कमी को देखते हुए तिलहन की 30 से 35 लाख टन की अनुमानित फसल में से 15,000 टन एच० पी० एस० मूंगफली गिरियों के महत्वहीन निर्यात के फलस्वरूप हम 1.5 करोड़ रु० से 2 करोड़ रु० की बहुमूल्य विदेशी मुद्रा कमा सकेंगे।

इस प्रकार के निर्यातों में, किसी भी वस्तू के निर्यात के लिये सामान्यतः कोई औपचारिक व्यापार सूचना नहीं जारी की जाती जब तक कि आयातक देश यह न चाहे कि लाइसेन्स हमारे द्वारा दिया जाये जैसा कि कपड़े के लाइसेंस के लिये ब्रिटेन तथा सं० रा० अमेरिका के मामले में है। अन्य सभी मामलों में जहाजी व्यापारियों को पूछ ताछ करने पर सूचना दी जाती है अतः इस उद्देश्य के लिये व्यापार सूचना या किसी परमिट या किसी लाइसेन्स के लिये कोई क्रिया विधि नहीं है। आयात निर्यात के मुख्य नियंत्रक द्वारा जारी की गयी सामान्य लाइसेन्स की हिदायतों के अनुसार माल को बंदरगाहों पर उपस्थित करने पर, माल के जहाज पर लादने की आज्ञा दे दी जाती है।

इन निर्यातों का आन्तरिक कीमतों से, जो असंख्य कारणों से लगातार बढ़ रही है, कोई सम्बन्ध नहीं है। अनेक वस्तुओं की, जिनमें से अधिकांशतः का बिलकुल निर्यात नहीं किया जाता है, आन्तरिक कीमतें बढ़ रही है। मूंगफली की एच० पी० एस० गिरियों की थोड़ी बची हुई मात्रा के निर्यात किये जाने से पहिले ही तिलहन की कीमतें बढ़ रहीं थीं। अब तक मूंगफली की एच०पी०एस० गिरियों का वास्तविक निर्यात भी नहीं हुआ फिर भी आंतरिक कीमतें, आंतरिक मांग और पूर्ति तथा अन्य कारणो से बढ़ रही है।

जहां तक तिलहनों की कीमतों को रोकने तथा नियंत्रण में रखने का सम्बन्ध है, इस विषय में कई कदम उठाये गये है, जैसे कि स० रा० अमेरिका से 75,000 टन सोयाबीन तेल और बिनौले के तेल का जन-कानून 480 के अन्तर्गत आयात करना, जिसमें से 30,000 टन के बहुत शीघ्र भारत पहुंचने की आशा है। हर प्रकार के खाद्य तेलों के निर्यात पर लगा प्रतिबन्ध अभी जारी है। तोरिया तथा सरसों और इनके साथ ही मूंगफली के उत्पादन में वृद्धि करने तथा कृषि क्षेत्र के विस्तार हेतु बहुत अधिक प्रयत्न किये जा रहे हैं। सम्भावतः इस वर्ष तोरिया और सरसों की फसल रिकार्ड कायम करने वालों होगी इसके साथ ही मूंगफली के उत्पादन के विषय में अनुमान बहुत अनुकल है। वायदा बाजार आयोग द्वारा ऐसे तिलहनों और तेलों की संविदा पर जिनके द्वारा कीमतों पर तुरन्त अवरोधक प्रभाव पड़ता हो, अधिकतम मूल्य निर्धारण का सुझाव दिया गया है। तिलहन समेत समस्त वस्तुओं की सामान्य कीमतों को नियंत्रित करने के लिये कई प्रकार के राजकोषीय उपाय किये गये है तथा मुद्रा सम्बन्धी नियंत्रण लगाये गये है।

निर्यात संवर्द्धन करने और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा अर्जित करके राष्ट्रीय विकास को स्थिर रूप में बढ़ाने को आवश्यकता को सदन एवं देश द्वारा पूर्ण रूप से महत्व दिया गया है और यह आशा की जाती है कि इस सम्बन्ध में कुछ समय के लिये आने वाली कोई छोटी सी कठिनाई को, चाहे वह वास्तविक हो अथवा मनोवैज्ञानिक, सहर्ष पसन्द कर के समर्थन किया जाएगा।

श्री सोलंकी : क्या मैं जान सकता हूं कि जैसे ही निर्यातपर प्रतिबन्ध लगाया गया था, तिलहन और बिनौलों का मूल्य बढ़ गया था ?

श्री मनुभाई शाह : यदि माननीय सदस्य चार्ट को देखेंगे तो पायेंगे कि मूल्य न केवल प्रतिबंध लगाने पर बढ़े थे। परन्तु प्रतिबन्ध हटाने पर भी बढ़े थे। निर्यात की थोड़ी सी मात्रा से मूल्योंका कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री रंगा : ऐसा तो केवल स्थीति के कारण है।

श्री सोलंकी : क्या गुजरात सरकार द्वारा निश्चालित स्कंधों को बाजार में लाया गया है ?

श्री मनुभाई शाह : राज्य सरकार द्वारा लगाये गये प्रतिबन्ध से इस का कोई सम्बन्ध नहीं है क्योंकि जब तक स्थानीय सरकार तिलहनों को वहां से बाहर नहीं जाने देती तब तक निर्यात नहीं हो सकता। इसलिय हाथ से चुन कर छांटी हुई मूंगफली की गिरियां गुजरात से बिलकुल बाहर नहीं जा सकतीं।

श्री सोलंकी : गुजरात राज्य में विभिन्न सकंधों को निश्चालित कर दिया गया है।

श्री मनुभाई शाह : निश्चालन का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। कार्यवाही का कारण 15,000 टन गिरियों की शेष मात्रा का निर्यात है।

Shri Yashpal Singh : Dalda and Kotogem do not suit us in Punjab and Uttar Pradesh, whereas most of the oil seeds are produced here. Has the Government thought of any plan to supply the oilseeds which are produced here direct to the State of Gujarat and Bengal to enable us to get rid of dalda and kotogem ?

Shri Manubhai Shah : No body is made to take dalda. Those who like dalda, they eat it, those who like edible oils, they take them and those who like ghee, they use ghee.

Shri Kapur Singh : We want ghee.

श्री हिंमत सिंहजी : माननीय मंत्री जी ने कहा कि तिलहन की आशातीत फसल होगी। क्या आगामी वर्ष के अन्त तक घरेलु उपभोग के लिये तिलहन पर्याप्त मात्रा में मिल सकेगा ?

श्री मनुभाई शाह : गत कई वर्षों के अनुभव, चालु वर्ष में सभी प्रकार के तिलहनों की अच्छी फसल, तोरिये और सरसों की अनुमानित मात्रा, 75,000 टन सोया बीन के तेल के आयात और विभिन्न उपायों, जिनका मैंने उल्लेख किया है, को ध्यान में रखते हुए, हमारे पास तिलहन और तेल हमारी आवश्यकताओं के लिये लगभग पर्याप्त रहेंगे, ऐसा हमारा अनुमान है।

श्री हरि विष्णु कामत : देश में अत्यावश्यक वस्तुओं जैसे चावल और चीनी की भारी कमी के बावजूद भी इन का भूत में निर्यात होता रहा है और शायद अब भी इन का निर्यात किया जा रहा है, और अब तिलहन की कुछ किस्मों में भी ऐसा किया जा रहा है, इस को ध्यान में रखते हुए इस विषय में सरकार का सर्वोपरी उद्देश्य निर्धन तथा भूखे भारतीय उपभोक्ताओं की मुख्य आवश्यकताओं की तृप्ति करना है अथवा विदेशी मुद्रा का अर्जन करना है ?

श्री मनुभाई शाह : दोनों प्रलाभों का सन्तुलन करना है, अर्थात् हमें विदेशी मुद्रा भी अर्जित करनी है और यह भी देखना है कि उपभोक्ताओं की मुख्य आवश्यंकताओं की तृप्ति हो। दोनों पहलुओं के पक्ष में इस सन्तुलन को निरंतर बनाये रखना है।

श्री दी० चं० शर्मा : प्रत्येक राज्य में अपने खाना पकाने के माध्यम भिन्न भिन्न हैं जैसे वनस्पति, कोटोजेम, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल और अन्य चीजें। परन्तु सरकार कई हज़ार टन सोया बीन के तेल का आयात कर रही है। क्या सरकार ने किसी राज्य अथवा विभिन्न राज्यों में लोगों की आदतों का पता लगाया है कि क्या वे सोया बीन के तेल का उपयोग करने के लिये तैयार है और यदि वे तैयार नही हैं तो, इस तेल को उन पर कैसा थोपा जायेगा।

श्री मनुभाई शाह : इस में थोपने का प्रश्न नहीं है। हम ने वर्षों के अनुभव से और देश में वनस्पति के निर्माण के लिये सोया बीन के तेल के उपयोग से यह पाया है कि इस प्रयोजन के लिये यह एक बहुत पौष्टिक तेल है। मैं सभा को विश्वास दिलाता हूं कि इन सभी बातों, लोगों की आदतों तथा विभिन्न तेलो में पौष्टिक तत्वों का पूर्णरूपेण ध्यान रखा गया है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या मंत्रालय इस से अवगत है कि पश्चिमी बंगाल में सरसों का तेल उपलब्ध नहीं है और पश्चिमी बंगाल सरकार ने केन्द्रीय सरकार को सरसों की पर्याप्त मात्रा का सम्भरण करने के लिये कहा है ? क्या सरकार ने इस का सम्भरण कर दिया है ?

श्री मनुभाई शाह : केन्द्रीय सरकार के पास सरसों नहीं है। परन्तु पश्चिमी बंगाल की हर सम्भव सहायता की जा रही है। हम ने उन्हें थाईलैंड, लाओस और कम्बोडिया से सरसों का, तथा नारियल के तेल का आयात करने की स्वीकृति दे दी है।

Shri Achal Singh : In view of the fact that the consumption of the oilseeds is going on decreasing, whether it is not necessary that they should be exported?

Mr. Speaker : This question has already been answered by the hon. Minister twice.

श्री मनुभाई शाह : निर्यात की मात्रा समस्त आवश्यकताओं तथा कुल उपलब्धता पर निर्भर है।

श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा : मंत्री जी ने अभी बताया कि सभी कमियों को पूरा करने के लिए उपाये किये जायेंगे। तिलहनों में कितनी कमी होने का अनुमान है ?

श्री मनुभाई शाह : जहां तक गत वर्ष की निसबत कमी होने का सम्बन्ध है, इस वर्ष उत्पादन अधिक होने का अनुमान है। इस बारे में मैं केवल इतना ही कह सकता हूं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

स्कूटरों का अलाटमेंट

*573. **श्री रा० गि० दुबे :** क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों में दिल्ली तथा बाहर के अन्य स्थानों में काम करने वाले उन पदाधिकारियों की संख्या क्या है जिनको इस वर्ष के पिछले 9 महीनों के दौरान सरकारी कोटे से स्कूटर दिये गये हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस बात की जांच के लिये कोई व्यवस्था की है कि सरकारी कोटे से दिए गए स्कूटरों का प्रयोग ये पदाधिकारी सरकारी कर्तव्यों का कुशलतापूर्वक पालन करने के सहायतार्थ करें तथा उनकी बेनामी विक्री, अथवा हस्तांतरण अथवा और दुरुपयोग न करें; और

(ग) यदि हां तो, उस व्यवस्था की मुख्य बातें क्या हैं ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उद्योग और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) 1847।

(ख) और (ग) : अधिकारियों को स्कूटरों का अलाटमेंट केवल तभी किया जाता है जबकि उनका कार्यालय इस बात का प्रमाणपत्र देता है कि उनके पास स्कूटर का होना लोक-हित में होगा। बेनामी बिक्री आदि पर रोक लगाने के लिये स्कूटर (वितरण और बिक्री) नियंत्रण आदेश, 1960 में एक यह व्यवस्था है जिस के अनुसार कोई भी व्यक्ति नया स्कूटर खरीदे जाने की तारीख से एक वर्ष समाप्त होने से पहले न तो उसे बेच सकता है और न बेचने का प्रस्ताव ही कर सकता है। वह कोई ऐसा भी सौदा नहीं कर सकता जिसमें किसी अन्य व्यक्ति को स्कूटर के कब्जे का हस्तांतरण करने का प्रश्न निहित हो। ऐसा वह नियंत्रक या राज्य के मामले में इस काम के लिये उस राज्य द्वारा नियुक्त अधिकारी के लिखित परमिट पर उस में दी गई शर्तों और नियमों के अनुसार ही कर सकता है।

खासी और जैन्तिया पहाड़ियों में सीमेंट का कारखाना

*579. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा** : क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खासी व जनतिया पहाड़ियों में कच्चा माल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने के कारण एक सीमेंट कारखाना स्थापित करने की सम्भावना के बारे में सरकार का जांच करने का विचार है;

(ख) क्या सरकार को इस बात का पता है कि खासी व जैनतिया पहाड़ियों से पूर्वी पाकिस्तान के जिला सिलहट स्थित सीमेंट कारखाने के लिए कच्चा माल भेजा जाता है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में किये गये ठेके की अवधि कब समाप्त होगी ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उद्योग और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) आसाम में चीरापूंजी के निकट खासी-जैनतिया पहाड़ी जिले में पहिले से ही एक सीमेंट का कारखाना स्थापित किया जा रहा है जिसकी वार्षिक क्षमता लगभग 84,000 टन की होगी।

(ख) जी हां।

(ग) इस सम्बन्ध में जो खनन पट्टा दिया गया था उसकी अवधि अक्तूबर 31, 1964 को समाप्त हो गई; अवधि बढ़ाये जाने के बारे में राज्य सरकार से परामर्श किया जा रहा है।

रूस के व्यापार प्रतिनिधि मंडल

*583. **श्री रामेश्वर टांटिया** :
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री गुलशन :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री पें० वेंकटसुबय्या :
श्रीमती रेणुका बडकटकी :
श्री राम हरख यादव :
श्री बसवन्त :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री बालकृष्ण सिंह :
श्री यमुना प्रसाद मंडल :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर, 1964 के दौरान रूस से एक व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल भारत आया था ;

(ख) यदि हां, तो उसके साथ किन विषयों पर चर्चा हुई; और

(ग) बातचीत का क्या परिणाम निकला ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां। एक सोवियत व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने, श्री वी० ए० बोरिसोव, उप-मंत्री, विदेश व्यापार, सोवियत संघ की अध्यक्षता में, भारत का दौरा 13 अक्तूबर से 18 नवम्बर के दौरान किया।

(ख) सोवियत व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने भारतीय प्रतिनिधि मंडल से, जिस का नेतृत्व श्री डी० एस० जोशी, सचिव, वाणिज्य मंत्रालय ने किया। भारत-सोवियत व्यापार की 1964 में हुई प्रगति का तथा 1965 में होने वाली प्रगति का सिंहावलोकन किया।

(ग) दोनों पक्षों ने, 1964 के वर्ष में दोनों देशों के बीच हुए व्यापार की प्रगति पर बातचीत के दौरान सन्तोष प्रगट किया। अनुमान है कि भारत-सोवियत व्यापार का परिमाण 1964 के वर्ष में 80 करोड़ से 85 करोड़ रु० तक (प्रत्येक ओर से) रहेगा और 1965 में यह 1964 के स्तर से 50 प्रतिशत के लगभग अधिक होगा। सोवियत रूस को भारत द्वारा 1965 में किये जाने वाले निर्यात का अनुमानित स्तर 125 करोड रु० के लगभग होगा, जोकि 1964 में हुए निर्यात की तुलना में 40 करोड़ रु० अधिक है और इसी प्रकार की क्रमिक वृद्धि भारत द्वारा सोवियत रूस के लिये जाने वाले आयात में होगी।

निर्यात ऋण पर व्याज

*584. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के निर्यात बढ़ाने के आन्दोलन के सिलसिले में निर्यात ऋण पर व्याज कम करने के मार्गोपायों के बारे में सलाह देने के लिए नियुक्त समिति ने अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है ;

(ख) निर्यात ऋण पर व्याज कम करने के लिये समिति ने किन मार्गोपायों का सुझाव दिया है; और

(ग) समिति के प्रतिवेदन के आधार पर सरकारने क्या निर्णय किये है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां।

(ख) समितिने अपनी सभी शाखा-प्रतिशाखाओं में निर्यात ऋण पर व्याज सम्बन्धी प्रश्न की जांच की है और इसके व्याज को कम करने के लिये अनेक महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं। प्रमुख रूप से उसने सिफारिश की है कि "रुपया निर्यात बिल योजना" को स्थायी आधार प्रदान किया जाये और उसमें निम्नलिखित शामिल किये जायें ;

(क) अन्य सभी मुद्राओं में लिखे गये बिल, तथा

(ख) जहाज लदान से पूर्व निर्यात वित्त-व्यवस्था।

समिति ने, अल्प-कालिक वाद-लदान तथा पूर्व-लदान निर्यात ऋण पर बैंक दर से अधिक क्रमशः 1 प्रतिशत तथा 1—$\frac{1}{2}$ प्रतिशत की अधिकतम सीमा निर्धारित करने की भी सिफारिश की है। इसी प्रकार की अधिकतम सीमाएं, मध्यम कालिक निर्यात वित्त-व्यवस्था पर भी निर्धारित करने का प्रस्ताव किया गया है।

(ग) रिजर्व बैंक आफ इंण्डिया तथा बैंक संघ के परामर्श से सरकार इन सिफारिशों की जांच कर रही है।

इस्पात निर्मित वस्तुओं की बिक्री

*585. **श्री रा० गि० दुबे :** क्या **इस्पात** और **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त संयंत्र समिति योजना के अन्तर्गत सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र इस्पात उद्योग द्वारा इस्पात निर्मित वस्तुओं की बिक्री के लिये देश के प्रमुख नगरों में अधिकृत व्यापारियों तथा रजिस्टर्ड स्टाकिस्टों की नियुक्ति करने के लिये सरकार ने क्या मुख्य सिद्धान्त बनायें हैं; और

(ख) इस सम्बन्ध में अभ्यावेदन किस को तथा किस रूप में दिये जाने चाहिये ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

लोहे और इस्पात के रजिस्टर्ड स्टाकिस्ट लोहा और इस्पात नियंत्रक द्वारा संबंधित राज्य सरकारों से सिफारिशें मंगवाने और उन पर विचार करने के पश्चात नियुक्त किए जाते हैं।

इसके पश्चात् लोहा और इस्पात नियंत्रक द्वारा सम्बन्धित पार्टियों से विहित फर्म में एक औपचारिक आवेदन-पत्र लिया जाता है। नियुक्तियां करने से पूर्व निम्नलिखित बातों पर विचार किया जाता हैं :—

(1) क्या उस क्षेत्र में जिसमें स्टाकिस्ट नियुक्त किया जाना है स्टाकिस्ट नहीं हैं अथवा कम हैं ;

(2) क्या आवेदक की आर्थिक स्थिति अच्छी है और क्या आय-कर तथा अन्य सरकारी अदायगियां नियमित रूप से की जा रही हैं;

(3) क्या आवेदक के पास माल रखने के लिये पर्याप्त स्थान है; और

(4) क्या आर्थिक दृष्टि से व्यवसाय अच्छा रहेगा।

1-3-1964 के पश्चात् नियंत्रित और रजिस्टर्ड स्टाकिस्टों की प्रणाली केवल इस्पात की कुछ नियंत्रित किसमों के लिये ही रखी गई है और जहां तक इस्पात की मुल वस्तुओं का सम्बन्ध हैं यह प्रणाली समाप्त कर दी गई है। अब कोई भी व्यक्ति इस्पात का व्यापार कर सकता है और संयुक्त संयंत्र समिति पुनर्वेलनों अथवा मुक्त वस्तुओं का अन्य व्यापार कर्त्ताओं को उनकी शर्तों के अनुसार व्यादेश भेज सकत हैं। मुक्त किस्मों के माल के लिए प्रमुख उत्पादक अथवा संयुक्त संयंत्र समिति अधिकृत विक्रेता नियुक्त करने में स्वतंत्र हैं। संयुक्त संयंत्र समिति ने अभी तक अधिकृत विक्रेताओं की नियुक्ति के बारे में कोई नियम/प्रणाली नहीं अपनाई है।

"किसान स्पेशल"

*586. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री भागवत झा आजाद :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या चीनी आक्रमण के बाद बन्द की गई "किसान स्पेशल" गाड़ियां पुनः चालू करने का निर्णय किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उपरोक्त निर्णय किये जाने के बाद से कितनी "स्पेशल" चलाई गई हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) और (ख) राष्ट्रीय आपात से सम्बन्धित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रेल इंजनों, लाइन-क्षमता और सवारी डिब्बों को बचाकर आयात सम्बन्धी काम पर लगाने के उद्देश्य से अक्टूबर, 1962 में किसानों, विद्यार्थियों आदि के लिए स्पेशल गाड़ियों के चलाने पर जो प्रतिबन्ध लगाया गया था, वह आपातिक परिवहन में स्थिरता आ जाने के कारण मार्च, 1964 में हटा दिया गया।

(ग) मार्च, 1964 में प्रतिबन्ध हटाया गया। तब से लेकर 31 अक्टूबर, 1964 तक किसानों की मांग पर दक्षिण रेलवे में एक 'किसान स्पेशल' जून, 1964 मे चलायी गयी है।

निर्यातकर्ताओं को सहायता

*587. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यापार बोर्ड द्वारा नियुक्त व्यनान्मकता समिति ने सुझाव दिया है कि निर्यात सहायता केवल कुछ चुने हुए निर्यातकर्ताओं को ही दी जानी चाहिये ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे निर्यातकर्ताओं को चुनने के लिये क्या कसौटी बनाई गई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) तथा (ख) प्रतिवेदन की एक प्रति सदन की मेज पर रखी जाती है। [**पुस्तकालय में रखी गई है। देखिये संख्या सी० टी०** 3666/64]

ऐसे निर्यातकों को चुनने के लिए जो कसौटी बनाई गयी है वह विशिष्ट ही नहीं अपितु प्रत्येक उत्पाद या उत्पाद समूह के लिये पृथक तथा भिन्न भी होगी। कसौटी तथा पंजीकरण के नियम सम्बद्ध निर्यात सम्वर्धन परिषदों द्वारा बनाये जायेंगे। कसौटी निम्नलिखित सभी या किसी एक पहलू पर आधारित हो सकती है :–

(1) प्रतिष्ठापित क्षमता तथा वास्तविक उत्पादन ;

(2) देश में तथा निर्यात से हुई कुल बिक्री की मात्रा ;

(3) उत्पाद की किसी विशिष्टियां, जिनमें निरीक्षणों तथा परीक्षण की सुविधायें शामिल हैं;

(4) वाणिज्यिक झगड़ों का रिकार्ड; और

(5) विदेशों में व्यावसायिक सम्पर्क।

प्रतिवेदन विचाराधीन है।

दक्षिण-पूर्वी रेलवे पर यात्रियों के लिए सुविधायें

1519. **श्री रामचन्द्र मलिक** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1963-64 में दक्षिण-पूर्वी रेलवे के भद्रक, जैपुर-किओन्झार रोड, कटक, खुद्रा रोड भुवनेश्वर तथा पुरी, रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की सुख-सुविधा के लिए कितनी धनराशि व्यय की गई ;

(ख) किस प्रकार की सुख-सुविधायें दी गई हैं ; स्टेशन वार ; और

(ग) चालू वित्त वर्ष में इस प्रयोजन के लिए कुल कितनी धनराशि की मंजूरी दी गई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :(क) 2,03,000 रुपये।

(ख) विवरण में ब्योरा दिया गया है ।

विवरण

स्टेशन का नाम	सुविधाओं का ब्योरा
1. भाद्रक . .	ऊपर लगे नलों की व्यवस्था ।
2. जयपुर . .	(एक) पैदल पार करने वाले पूल के ऊपर छत की व्यवस्था करना । (दो) शौचालय की व्यवस्था ।
3. कटक . .	(एक) 8 इंच व्यास वाला नलकूप (दो) आई० आर० एस प्रकार की प्लेटफार्म की छत । (तीन) गोदाम को जानेवाली उप सड़क । (चार) निचले प्लेट फार्म ।
4. खुरदा रोड . .	(एक) यात्रियों के लिए एक और प्लेटफार्म । (दो) पैदल पार करने वाले पूल के ऊपर छत की व्यवस्था करना । (तीन) 10 मज़बूत कंक्रीट के बेन्चो की व्यवस्था ।
5. भुवनेश्वर . .	(एक) यात्री प्लेटफार्म । (दो) भुवनेश्वर में 7,56,186 रुपये की अनुमानित लागत से एक नये स्टेशन का निर्माण जिसमें इन सुविधायों की व्यवस्था होगी :— (क) उपसड़क । (ख) स्त्री तथा पुरुषों के लिए तीसरी श्रेणी का प्रतीक्षालय जिसमें शौचालय की व्यवस्था हो । (ग) स्त्री तथा पुरुषों के लिये ऊंची श्रेणी का प्रतीक्षालय जिसमें शौचालयों की व्यवस्था हो । (घ) भोजनालय जिनमें रसोई घर पेन्ट्री ,स्टोर और कन्टीन भी सामिल हैं ।
6. पुरी . . .	(1) विचरण क्षेत्र, पानी की व्यवस्था तथा शौचालय । (2) शाकाहारी भोजनालय । (3) माल गोदाम तक जाने वाली उप सड़क का सुधार ।

(ग) 4,06,000 रुपये।

Neral-Matheran Line of Bombay Section

1520. **Shri Baswant** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Neral-Matheran Railway line of Bomay Section on the Central Railway remains closed for traffic during monsoons;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the remedial measures which Government propose to take in the matter ?

Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath) : (a) Yes.

(b) This railway line passes through a region with a heavy rainfall averaging about 500 cms. on account of which there are several land slides along the alignment. The visibility is very poor on account of heavy mist when it is raining or cloudy. The engines are also likely to slip and stall on account of heavy grades. Therefore this line is closed for traffic during the monsoons as a safety measure.

(c) It is prohibitively expensive to provide for a safe travel after overcoming the natural difficulties of the region during monsoon; and therefore the Government propose to continue the existing arrangements only.

Remodelling of Stations in Bombay Division

1521. **Shri Baswant** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the number of stations remodelled in Bombay Division of the Central Railway is less as compared to the number of stations remodelled in Bombay Division of the Western Railway ;

(b) whether there is any variation in the passenger traffic in the Bombay Division of the two Railways ; and

(c) whether the question of remodelling more stations of the Bombay Division of the Central Railway is being considered and if so, the details thereof ?

Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) No. During the current plan period no stations of the Bombay Division either of the Western Railway or of the Central Railway has been remodelled. A number of passenger amenity works however have been carried out at several stations on the Bombay Division of both the Central & Western Railways. The respective number of such stations being 45 on Central Railway and 84 on Western Railway.

(b) Yes. The traffic on the suburban section of Western Railway is more than the Central Railway over the Bombay Division.

(c) There is no proposal at the present to remodel any station of the Bombay Division of Central Railway.

Rail link between Western and Central Railways near Bombay

1522. **Shri Baswant** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether there is no link in Bombay city between the Western Railway and Central Railway systems and the Jalgaon-Surat Link is at a long distance ;

(b) whether the question of linking Diva with Dahanu through a new railway line is under consideration ; and

(c) if so, when the preliminary survey would be conducted ?

Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath) : (a) At present, there are two links in Bombay City between the Western Railway and Central Railway systems, one at Dadar and the other between Mahim station on the Western Railway and Wadala station on the Central Railway *via* King's Circle. The next Railway link between these two Railways is the line between Jalgaon and Surat. Surat is located at a distance of 260 Kms from Bombay while Jalgaon is about 420 Kms. away.

(b) No.

(c) Does not arise.

कांडला अबाध वाणिज्य कटिबन्ध

1523. **श्री राम हरख यादव :**
श्री मुरली मनोहर :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1965 में प्रधान मंत्री महोदय कांडला में प्रथम अबाध वाणिज्य कटिबन्ध का उद्घाटन करेंगे ;

(ख) वाणिज्यिक दृष्टि से इस कटिबन्ध की स्थापना किये जाने के मुख्य उद्देश्य क्या हैं ; और

(ग) इस कटिबन्ध में किन किन उद्योगों की स्थापना की जायेगी ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) प्रधान मंत्री महोदय से प्रार्थना की गई है कि वह जनवरी अथवा फरवरी 1965 में, जब कि उन्हें अवकाश मिले, कांडला में पधारकर, कांडला अबाध वाणिज्य कटिबन्ध का उद्घाटन करें और इस बारे में उनकी स्वीकृति की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ख) कांडला में अवाध वाणिज्य कटिबन्ध की स्थापना एक आधेवर्ग मील बन्द क्षेत्र में की जा रही है। इस कटिबन्ध की स्थापना किये जाने के मुख्य उद्देश्य ये है :

(1) भारतीय निर्यात को बढ़ावा देना और विदेशी मुद्रा कमाना ।

(2) कांडला पत्तन में पहिले से उपलब्ध सुविधाओं का पूर्णत: उपयोग करना ।

(ग) इस कटिबन्ध में केवल उन उद्योगों की स्थापना करने की अनुमति दी जायगी जो निर्यात पर आधारित हैं ; अब तक जिस किस्म के उद्योगों की स्थापना के बारे में स्वीकृति दी जा चुकी है वे इस प्रकार है :

सिले हुये कपड़े, कढ़ाई तथा काटने छाटने का काम, स्टेनलेस स्टील के बर्तन, पी० वी० सी० बिजली के तार तथा केबल्स, साइकल के पुर्जे, छत्रियों के हिस्से तथा छत्रियां, भेषज उत्पाद, मल्टीवाल कागज, अभ्यास तथा लेखा सम्बन्धी पुस्तकें, कृत्रिम सुगन्धित तेल, सुगन्धियां, खेल-कूद के सामान, चाय रखने के थैले तथा प्लास्टिक की चूड़ियां इत्यादि, इत्यादि ।

देहली से रोहतक तक 2 डी० के० एस० शटल

1524. **श्री जगदेव सिंह सिद्धांती :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 2 डी० के० एस० रेल शटल दिल्ली से रोहटक चलाय जाने के बारे में अभ्यावेदन मिले हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कौन सी कठिनाइयां हैं जो इसको चलाने में बाधा डाल रही हैं ; और

(ग) सरकार उन कठिनाइयों को दूर करने के लिये क्या कदम उठा रही है ?

रेलवे मंत्रालयमें राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह):(क) से(ग) 2 डी. के. एस. देहली सफदर-जंग-शकुरबस्ती रेल शटल को रोहतक तक विस्तार करने के बारे में सुझाव देने वाले अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं। प्रस्तावित विस्तार को उचित नहीं समझा गया है क्योंकि यातायात की इतनी आवश्यकता नहीं है । क्योंकि शकुरबस्ती में 18.50 बजे जो 2 डी. के. एस. शटल आती है उससे पहिले 1 डी. आर. देहली-रोहतक शटल (शकुरबस्ती से 18.16 बजे छूटने वाली) आती है और उसके बाद 341 अप दिल्ली-फिरोजपुर यात्री रेलगाड़ी (शकुरबस्ती से 19.28 बजे छूटने वाली) आती है। 2 डी. के. एस. शटल में नई दिल्ली की ओर से यात्रा करने वाले यात्री दिल्ली-किशनगंज अथवा शकुरबस्ती में शटल गाड़ी बदल कर 341 अप दिल्ली-फिरोजपुर पैसेन्जर को पकड़कर रोहतक की ओर यात्रा कर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, प्रस्तावित विस्तार कार्य में अड़चन पैदा करने वाली संचालन कार्य सम्बन्धी कठिनाइयां भी हैं। कठिनाइयों को दूर करने का प्रश्न केवल तब उत्पन्न होता है जब कि शटल का विस्तार किये जाने में औचित्य हो।

दिल्ली-रोहतक यात्री गाड़ियाँ

1525. **श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :**
श्री गौरी शंकर कक्कड़ :
श्री काशी राम गुप्त :
श्री यु० सिं० चौधरी :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि दिल्ली से रोहतक की ओर लगभग छः घंटे की अवधि में अर्थात् 11.10 बजे से 16.45 बजे तक कोई भी यात्री-रेलगाड़ी नहीं चलती है ;

(ख) क्या इस अन्तर को कम करने के लिए दिल्ली मुख्य स्टेशन से रोहतक की ओर 14.00 और 15.00 बजे के बीच में एक और रेलगाड़ी चलाने के बारे में सरकार को अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है और यह रेलगाड़ी कब तक चालू की जायेगी ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी, हां, शनिवारों के अतिरिक्त जब 1 डी. आर. अप. दिल्ली-रोहतक रेल शटल दिल्ली से 15.10 बजे चलता है।

(ख) जी, हां।

(ग) इस प्रस्ताव पर विचार किया गया है किन्तु यह न तो यातायात की दृष्टि से ही उचित है और न ही कार्य संचालन की दृष्टि से व्यवहार्य है।

Jaunpur-Sultanpur-Lucknow Section

1526. **Shri Rananjai Singh :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) Whether any fast train is being introduced on the Jaunpur-Sultanpur-Lucknow Section of the Northern Railway :

(b) if so, when ;

(c) whether telephone and telegraph facilities are available at all the railway stations on this section ;

(d) if not, the names of the stations where they are available; and

(e) when these are proposed to be provided on the remaining stations ?

Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) & (b) No. Further there is neither any justification for a fast train nor is it operationally feasible to do so.

(c) Yes. All the stations on this Section are provided with Railway Control telephones and the adjacent crossing stations are connected with telegraph circuits.

(d) Does not arise.

(e) Does not arise.

कताई कारखाने

1528. **श्री म० प० स्वामी :**
श्री मलाइछामी :
श्री रेड्डियार :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास सरकार से सहकारी-क्षेत्र में कताई-कारखानों की स्थापना किये जाने के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां इन कारखानों की स्थापना करने का विचार किया जा रहा है ; और

(ग) प्रस्ताव को क्रियान्वित करने के लिये क्या कदम, यदि कोई हो, उठाये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सें० वें० रामास्वामी) : (क) तीसरी योजना की अवधि में मद्रास में सहकारी क्षेत्र में कताई एककों की स्थापना के लिये, जहां प्रत्येक एकक में 12,000 कतुवे होंगे, पहिले ही 9 लाइसेंस दिये जा चुके हैं। मद्रास सरकार से कोई न या प्रस्ताव नहीं मिला है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

दक्षिण रेलवे में भ्रष्टाचार के मामले

1529. **श्री म० प० स्वामी :**
श्री रेड्डियार :
श्री मलाइस्वामी ।

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिणी-रेलवे में, खण्डवार, (डिवीजन-वाइज) रेलवे कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार सम्बन्धी कितने मामलों का पता चला है ;

(ख) वे मामले किस प्रकार के हैं ; और

(ग) जिन मामलों का पता चला है उनमें क्या सजा दी गई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (ग) सभा-पटल पर विवरण रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 3667/64 ।]**

तम्बाकू का निर्यात

1530. **श्री इ० मधुसुदन राव :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1963-64 में सम्पूर्ण देश से और विशेषत: आन्ध्र प्रदेश से तम्बाकू की कुल कितनी मात्रा का निर्यात किया गया ; और

(ख) इस अवधि में, प्रत्येक मामले में, कुल कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख) 1963-64 में भारत से निर्यात की गई तम्बाकू की कुल मात्रा 6 करोड़ 65 लाख किलोग्राम थी जिसका मूल्य 22.49 करोड़ रुपये हुआ।

निर्यात सम्बन्धी आंकड़े राज्यवार अलग-अलग उपलब्ध नहीं हैं। अत: 1963-64 में आन्ध्र-प्रदेश से प्राप्त तम्बाकू की कुल मात्रा के बारे में बताना सम्भव नहीं है।

अमरोहा-हापुड सेक्शन में रेलगाड़ियों में जंजीर खीचने की घटनायें

1531. **श्री इ० मधुसुदन राव :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में अमरोहा के निकट क्षेत्र के छात्र अमरोहा और हापुड़ के बीच में कई स्थानों पर रेलगाड़ियों में जंजीर खीचते हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि टिकट कलेक्टर द्वारा ऐसा न करने की सलाह दी जाने पर छात्र उसे मारने की धमकी देते हैं ; और

(ग) इसके क्या कारण हैं और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) इस क्षेत्र में छात्रों द्वारा रेलगाड़ियों में जंजीर खीचने की कई घटनायें हुई हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) छात्र रेलगाड़ियों की खतरे की जंजीर को अधिकांशत: अपने गावों के निकट खीचते हैं।

उत्तरी रेलवे ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ एक बैठक में बातचीत की जिसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार ने पुलिस अधिकारियों को विधि तथा व्यवस्था को पुन: स्थापित करने के लिए आदेश दे दिये हैं। उत्तरी रेलवे के मुख्य प्रबन्धक और मुख्य वाणिज्यिक सुपरिन्टैंडेन्ट उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री महोदया से मिले और उन्होंने पूर्ण सहयोग देने का बचन दिया है। इस बात की भी व्यवस्था की जा रही है कि दण्डाधिकारी (मजिस्ट्रेट) पर्याप्त पुलिस दल के साथ रेलगाड़ियों को चेक करते रहेंगे।

आन्ध्र प्रदेश में औद्योगिक बस्तियां

1532. **श्री इ० मधुसुदन राव :** क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंच वर्षीय योजना में आन्ध्र प्रदेश के लिये कितने औद्योगिक बस्तियों का नियतन किया गया है और कितनी बस्तियों की मंजूरी दी गई है ; और

(ख) आन्ध्र प्रदेश में इस समय कितनी बस्तियों में काम चल रहा है (स्थानों सहित) और उन बस्तियों की कितनी संख्या है जिनका नियंत्रण नहीं किया गया है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उद्योग तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह): (क)

नियतन 220 लाख रुपये।

तीसरी योजना काल में जिन बस्तियों को मंजूरी दी गई उनकी संख्या . . . . चौदह ।

(ख) (1) 31-3-64 को काम कर रही औद्योगिक बस्तियां . . . . 1. सनथनगर
2. विजयवाड़ा
3. विशाखापटनम
4. नद्याल
5. वारंगल
6. संभालकोट

इसके अतिरिक्त, दो औद्योगिक बस्तियां अर्थात् चन्दुलाल बारादरी और कुद्दापथ, जिनको राज्य सरकारने मंजूरी दी है, काम कर रही हैं ।

(2) राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 31-3-64 को 13 (तेरह) औद्योगिक बस्तियों में निर्माण कार्य चल रहा था किन्तु इस तिथि तक इन बस्तियों को किसी भी शायबान (शेड) अथवा भूखण्ड (प्लाट) का आवंटन नहीं किया गया था ।

दक्षिण पूर्वी रेलवे के क्षय रोग से पीड़ित कर्मचारी

1533. **श्री रामचन्द्र मलिक :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1962-63 और 1963-64 में दक्षिण-पूर्वी रेलवे के कितने कर्मचारी क्षय रोग से पीड़ित थें ;

(ख) इसी अवधि में उन कर्मचारियों के परिवार के कितने सदस्य क्षय रोग से पीड़ित थे ;

(ग) क्या इस अवधि में क्षय रोग से पीड़ित कर्मचारियों या उनके परिवार के सदस्यों को अपने उपचार के लिये कोई आर्थिक सहायता दी गई है या ऐसा करने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिये कितनी राशि दी गई है या देना का विचार है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :

	1962-63	1963-64
(क)	1096	1142
(ख)	1041	1054
(ग)	हां	हां

(घ) आर्थिक सहायता के रूप में भुगतान को मिला कर उपचार पर कूल व्यय निम्नलिखित हुआ :—

1962-63	1963-64
7,04,811 रु०	7,68,650 रु०

कोल फाइंज़ पैलेटाइज़िंग प्लांट की चमकाने का संयंत्र

1534. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक अमरीकी सार्थ ने झरिया तथा रानीगंज के कोयला क्षेत्र में कोल फाइंज़ पैलेटाइज़िंग प्लांट लगाने का प्रस्ताव रखा है और कोल फाइंज़ के निर्यात की गारन्टी दी है ;

(ख) यदि हां, तो संयंत्र की क्षमता कितनी है ; और

(ग) प्रस्ताव की मुख्य शर्तें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

Survey of New Lines

1535. **Shri M. L. Dwivedi** :
Shri S. C. Samanta :
Shri Subodh Hansda :
Shrimati Savitri Nigam :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some of the surveys for new branch lines undertaken before Independence were not followed up by their construction ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the steps, Government propose to take to construct new railway lines in the backward areas and those parts of the country which are hitherto unexploited and unconnected by railway system ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Yes.

(b) Surveys for new lines are normally carried out to ascertain the feasibility, necessity and economic viability of the line. Only after careful examination of the survey report from all these angles, and on the basis of availability of resources, a decision is taken for construction of any line. Therefore, it follows that all surveys made cannot be followed up by construction. A large number of surveys for new lines, undertaken before Independence, were not followed up by their construction either on account of the proposed lines being found unremunerative or due to lack of funds.

(c) In the Five Year Plans the development of railways in the country has been planned with priority for the needs of specific industrial projects, expansion of port facilities, exploitation and utilisation of proved mineral and natural resources, strategic considerations and Railways own operational necessities. The Government are naturally aware of the necessity for constructing new railway lines in the backward areas and those parts of the country which are hitherto unexploited and unconnected by railway system ; but so long as the resources available for construction of new lines are limited, the choice for new lines would necessarily have to be restricted to the priorities of industrial development. When the resources position improves, the Railways will only be too willing to expand their net work with a view to embrace those areas within its fold, which are at present bereft of railway facilities.

चित्तरंजन में निर्मित रेल्वे इंजिन

1536. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **रेल्वे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चित्तरंजन में निर्मित इंजनों के लिये विदेशों में मंडी तैयार करने में क्या कुछ प्रगति हुई है;

(ख) यदि हां, तो अभी तक किन-किन मंडियों का सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ग) क्या उन देशों में ऐसे इंजनों की मांग है ?

रेल्वे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (ग) चित्तरंजन इंजन कारखाने में भाप तथा बिजली से चलने वाले इंजनों का निर्माण हो रहा है। विदेशों में भाप से चलने वाले इंजनों की कोई मांग नहीं है। भारतीय रेलों की आवश्यकता की पूर्ति के हेतु उत्पादन क्षमता में उत्तरोत्तर वृद्धि करने के लिये बिजली से चलने वाले इंजनों के उत्पादन की सुविधाओं का अभी भी विकास हो रहा है। बिजली से चलने वाले इंजनों के निर्यात पर उस समय विचार किया जा सकता है जब कि देश की अन्तरिम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये उत्पादन क्षमता में पर्याप्त वृद्धि हो जाये और निर्यात योग्य फालतू इंजन बच सके।

भारतीय खान ब्यूरो

1537. **श्री विभूति मिश्र :**
श्री क० ना० तिवारी :

क्या **इस्पात** तथा **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय खान ब्यूरो के काम का पुनरीक्षण करने के लिये एक समिति नियुक्त की है ; और

(ख) क्या यह सच है कि ब्यूरो ने, उद्योग के लिये पूर्ण रूप से उपयुक्त विकास सम्बन्धी गति नहीं बनाये रखी है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) जी नहीं। भारतीय खान ब्यूरो विकास परियोजनाओं सम्बन्धी इसको सौंपे गये विस्तृत जांच-पड़ताल के कार्य को अपनी सामर्थ्य के अनुसार सम्पन्न कर रहा है, जो अवश्य ही उपलब्ध कर्मचारी-वर्ग और साज समान द्वारा निश्चित होता है।

Irregular Promotions on Northern Railway

1558. **Shri Prakash Vir Shastri :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether any cases of irregular promotion in the case of employees other than Station Masters and Assistant Station Masters in the Northern Railway have come to his notice;

(b) whether it is a fact that such complaints are on the increase in Northern Railway; and

(c) if so whether Government have made enquiries into this matter?

Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) (a) to (c) A few cases have been reported.

These are being looked into.

Dehra Dun bound Mussoorie Express

1539. Shri Prakash Vir Shastri : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(*a*) whether representations have been received that the Dehra Dun bound Mussoorie Express from Delhi should be directed *via* Gajraula and Bijnor ; and

(*b*) if so, the action taken or proposed to be taken in the matter ?

Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (*a*) Yes.

(*b*) The matter has been examined but not found operationally feasible.

Export Promotion

**1540. { Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Jagdev Singh Siddhanti :**

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(*a*) whether it is a fact that further measures are being contemplated for export promotion ;

(*b*) if so, whether any scheme has been prepared in this behalf; and

(*c*) if so, the broad features thereof ?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah) : (*a*) Yes, Sir. (*b*) and (*c*) : In addition to the steps which have been set out in the statement attached to the reply to Lok Sabha Unstarred Question No. 1269 answered on 11th December, 1964, a Scheme known as 'Revolving Foreign Exchange Credits for Exporters' has been announced recently by Export Credit and Guarantee Corporation for facilitating import of raw material for export production. A copy of the Scheme is attached. [**Placed in Library**. *See* No. LT-3668/64]

मिट्टी हटाने की मशीनों का आयात

**1541. { श्रीमती सावित्री निगम :
श्री म० ला० द्विवेदी :**

क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मिट्टी हटाने की मशीनों के आयात पर 1961 से 31 मार्च, 1964 तक की अवधि में कितनी विदेशी मुद्रा का व्यय हुआ ;

(ख) क्या राज्यों की आवश्यकता निर्धारित कर ली गई है ; और

(ग) यदि हां, तो वार्षिक आवश्यकता कितनी होगी ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में भारी इंजीनियरिंग तथा उद्योग मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) 1961–62, 1962–63 तथा 1963–64 में नीचे दिये गये मूल्य की डोजर, मिट्टी स्थान्तरित करने तथा खोदाई करने की मशीनों जैसी मिट्टी हटाने की मशीनों का आयात हुआ :—

	1961–62 (रु०)	1962–63 (रु०)	1963–64 (रु०)
1. डोजर (एंगल डोजर, बुल डोजर, पुश डोजर, ट्रेल डोजर, ट्रेल बिलडर और सड़क बनाने वालों को मिलाकर)।	8,47,000	20,56,000	59,83,000
2. भूमि स्थान्तरित करने की मशीनें जैसे मोटर ग्रेडर, स्क्रैपर आदि।	1,44,32,000	1,64,44,000	5,20,92,000
3. खोदाई करने की मशीनें	^0,47,000	78,89,000	98,47,000

(ख) और (ग) मिट्टी हटाने की मशीनों की राज्यवार आवश्यकता निर्धारित नहीं की गई है। किन्तु तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्ततक की समूचे देश की ऐसे सामान की मांग इस प्रकार निर्धारित की गई है :—

1. क्रौलर ट्रेक्टर	600 प्रति वर्ष
2. डम्पर और स्क्रैपर	600 प्रति वर्ष
3. खोदाई की मशीनें	125 प्रति वर्ष

औद्योगिक उपक्रमों का अनुज्ञापन (लाइसेंसींग)

1542. **श्री क० ना० तिवारी :** क्या **उद्योग तथा संभरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक उपक्रमों के पंजीयन तथा अनुज्ञापन की उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 में निर्दिष्ट प्रक्रिया में संशोधन करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की विस्तृत रूपरेखा क्या है ; और

(ग) 13 जनवरी, 1964 तारीख के भारत के सूचना-पत्र में अधिसूचित अनुज्ञापन की पुनर्रक्षित प्रक्रिया विभिन्न उद्योगों पर विदेशी मुद्रा और कच्चे माल के संभरण के सम्बन्ध में कहां तक लाग होगी ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में भारी इंजीनियरिंग तथा उद्योग मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) और (ख) अतिरिक्त औद्योगिक उत्पादन क्षमता शीघ्रता से बनाने में सहायता करने के लिये सरकार पंजीयन तथा अनुज्ञापन प्रक्रिया में सुधार करने का विचार कर रहा है। इस प्रश्न पर विचार करने तथा उचित सिफारिशों करने के लिये सरकार ने सितम्बर, 1963 में उद्योग विकास प्रक्रिया समिति के नाम की एक समिति नियुक्त की थी। समिति की सिफारिशों के आधार पर अनुज्ञापन प्रक्रिया को दोष मुक्त कर दिया गया है और अन्य बातों के साथ 1952 के औद्योगिक उपक्रमों के पंजीयन तथा अनुज्ञापन सम्बन्धी नियमों द्वारा निर्धारित आवेदन-पत्र के फार्म में उपयुक्त पुनरीक्षण कर दिया गया है। समिति के प्रतिवेदन की प्रतियां, जिसमें समिति की सिफारिश तथा सरकार के इन पर विनिश्चय दिये गये हैं, पहले ही संसद्-पुस्तकालय में रख दी गई हैं।

2. सरकार ने, कोयला, शक्ति चालित करघे, रोलर फ्लोर मिल, तिलहन पेराई, वनस्पति, चमड़े तथा चमड़े सम्बन्धी उद्योगों के अतिरिक्त उन सभी उद्योगों को, जिनकी स्थिर सम्पत्ति 25 लाख रुपये से अधिक नहीं है, उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 29ख

के अधीन पंजीयन कराने या अनुज्ञा लेने की आवश्यकता से विमुक्त कर दिया है। इन एककों को अब तकनीकी विकास के निदेशालय में या कपड़ा आयुक्त या सरकार के किसी अन्य सम्बन्धित अभिकरण के यहां पंजीयन करना पड़ता है।

(ग) 13 जनवरी, 1964 की अधिसूचना में सरकारी घोषणा मुख्य रूप से उद्देश्य-पत्र के विचार का सूत्रपात करने से तथा विदेशी सहकारिता की शर्तों तथा उद्योग विकास प्रक्रिया समिति द्वारा जिन उद्योगों को आधार उद्योग मानने की सिफारिश की थी उन उद्योगों के पूंजीगत उपकरणों के आयात तथा पूंजी के जारी करने के आवेदन-पत्रों के साथ-साथ निपटारे की व्यवस्था से सम्बन्धित थी।

मसालों का निर्यात

1543. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या **वाणिज्य** मंत्री अतारांकित प्रश्न संख्या 384 के सितम्बर, 1964 को दिये गये उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मसाले निर्यात संवर्द्धन समिति द्वारा भेजी गई मसालों के निर्यात सम्बन्धी योजना पर अन्तिम विचार किया जा चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम रहा ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख) इस मामले में शीघ्र निश्चय किये जाने की संभावना है।

रेलके डिब्बों में खराब पंखे तथा रोशनी

1544. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ देर से भारतीय रेलगाड़ियों के डिब्बों में दोषपूर्ण पंखों तथा प्रकाश के सम्बन्ध में बीसियों शिकायतें आई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख) खराब प्रकाश व पंखों के बारे में शिकायतों की संख्या में अचानक कोई वृद्धि नहीं हुई है तथापि हाल ही में कुछ शिकायतें मिली थीं और उन पर ध्यान दिया गया।

सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दे दिये गये हैं और गाड़ियों में बिजली के सामान को ठीक चालू स्थिति में रखने का प्रत्येक प्रयत्न किया जा रहा है। फिर भी, समय-समय पर चोरियों के कारण बिजली के सामान को क्षति पहुंचती है ; लेकिन जब भी ऐसे मामले ध्यान में आते हैं तो उनको शीघ्रतिशीघ्र ठीक करने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जाती है। जहां तक संभव हो सके चोरियों को रोकने के लिये निरोधात्मक कदम भी उठाये जाते ह।

इस्पात का मूल्य

1545. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **इस्पात** तथा **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोहा तथा इस्पात सलाहकार परिषद् ने, जिसकी बैठक नवम्बर के अन्तिम सप्ताह में हुई थी, इस्पात की नियन्त्रित एवं विनियंन्त्रित मदों के मूल्य-निर्धारित करने की सरकारी नीति तथा इस्पात के विवरण के सम्बन्ध में कोई रुपभेद करने की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो परिषद् की मुख्य सिफारिश क्या थी तथा सरकार ने उन पर क्या निर्णय किया ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) लोहा तथा इस्पात सलाहकार परिषद् की नवम्बर, 1963 की हुई बैठक में एक समिति के प्रतिवेदन पर सामान्य चर्चा हुई थी। उस समय इस्पात के वितरण तथा मूल्य निर्धारित करने की सरकारी नीति में रुपभेद करने के सम्बन्ध में कोई सिफारिशें नहीं की गई थीं। तदुपरान्त इस सम्बन्ध में सरकार के विनिश्चयों की 1 मार्च, 1964 को घोषणा कर दी गई थी।

कपड़ा मिलों के श्रमिकों की कम उत्पादन क्षमता

1546. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारतीय कपड़ा मिल संघ द्वारा हाल के अध्ययन के उस परिणाम की ओर आकर्षित किया गया है जिससे प्रकट होता है कि अमरिका के श्रमिको की तुलना में भारतीय श्रमिक की उत्पादनक्षमता निम्नतर है।

(ख) यदि हां, तो औसत भारतीय श्रमिक की इस निम्नतर उत्पादनक्षमता के क्या कारण हैं; और

(ग) उत्पादनक्षमता बढ़ाने के लिये क्या उपाय करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री से० वें० रामस्वामी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) अमरीका के श्रमिक की तुलना में औसत भारतीय श्रमिक की निम्नतर उत्पादनशिलता के मुख्य कारण हैं, काम में आने वाली शिल्प-कला (टैक्नोलौजी) व प्रबन्ध के स्तर, श्रमिकों के प्रशिक्षण, आय और मज़दूरी, उद्योग में कार्य-दशा तथा अन्य सामाजिक एवं ऐतिहासिक कारणों में अन्तर। उद्योग के पुनःस्थापन तथा आधुनिकीकरण की आवश्यकता को ध्यान में रखा गया है और इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये उद्योग को सहायता दी जाती है। श्रमिकों का प्रशिक्षण, प्रबन्ध के आधुनिक तरीकों को अपनाना जैसे अन्य पहलुओं के बारे में भारतीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर सम्भव हद तक प्रारम्भ करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

खनन परियोजनाओं के लिये अमरीकी सहायता

1547. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री हिमतसिंहका :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **इस्पात** और **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंगरौली–1, उमरेर, सिंगरौली–3 और पश्चिम बोकारों को मिलाकर चार खनन परियोजनाओं के लिये अन्तर्राष्ट्रीय विकास सम्बन्धी अमरीकी अभिकरण से ऋण के रुप में सहायता मांगी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या परिणाम हुआ ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी, हां।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय विकास सम्बन्धी अमरीकी अभिकरण इन परियोजनाओं के लिये सहायता देने के लिये सहमत नहीं हुआ है।

चमड़े तथा कपड़े की वस्तुओं का निर्यात

1548. श्री दी० चं० शर्मा : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हंगरी और पूर्वीय यूरोपियन देशों में चमडें तथा कपड़े के वस्तुओं की बहुत मांग है; और

(ख) यदि हां, तो इसका पता लगाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं।

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी हां। हंगरी तथा अन्य पूर्वीय यूरोपियन देशों में भारतीय कपड़े की बहुत मांग है परन्तु चमड़े की वस्तुयें अभी तक केवल हंगरी और रुस में पर्याप्त मात्रा में निर्यात की गई हैं।

(ख) एक विवरण साथ दिया हुआ है। **[पुस्तकालय में रख दिया गया। देखिये एल० टी० संख्या 3669/64]**

मूंगफली के तेल का निर्यात

1549. श्री सुबोध हंसदा : क्या **वाणिज्य** मंत्री 11 सितम्बर, 1964 को अतारांकित प्रश्न संख्या 387 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मूंगफली के तेल के निर्यात पर रोक लगाने से स्थानीय मंडी में तेल के मूल्यों पर कोई प्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो कहां तक पड़ा है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख) मूंगफली के तेल के निर्यात पर रोक का इसके मूल्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि देश में मूंगफली के तेल के अत्याधिक उत्पादन और खपत की तुलना में निर्यात की मात्रा बहुत कम है।

हथकरघा उद्योग

1550. श्री शिवमूर्ति स्वामी : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अब कितने हथकरघे काम कर रहे हैं (राज्य-वार) ;

(ख) 1962-63 और 1963-64 के दौरान हथकरघा उद्योग के लिये मिल के धागे की रक्षित मात्रा क्या है (राज्य-वार) ;

(ग) उपर्युक्त अवधि में इटली का रेशम, जो हथकरघा उद्योग के लिये रक्षित था, कितना मात्रा में आयात किया गया (राज्य-वार) ; और

(घ) हथकरघा उद्योग से प्रत्येक नमूने के लिये मिल द्वारा निर्धारित क्या मूल्य लिया जा रहा है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री से० वें० रामस्वामी) : (क) विभिन्न राज्यों में पंजीकृत हथकरघों की संख्या पुस्तकालय में रखे हुये विवरण में दी हुई है। **[देखिये एल० टी० संख्या** 3670 (1)/64]

(ख) अखिल भारतीय धागा वितरण योजना के अन्तर्गत हथकरघा उद्योग को प्रत्येक वर्ष 20662 गांठें दी जाती हैं। पुस्तकालय में रखे हुये विवरण में धागे का राज्यवार आवंटन दिया हुआ है। **[देखिये एल० टी० संख्या** 3670(2)/64]

(ग) 1962-63 और 1963-64 के दौरान इटली से कोई रेशम आयात नहीं किया गया था।

(घ) पुस्तकालय में रखे हुये विवरण में हथकरघा उद्योग के लिये धागे का मिल द्वारा निर्धारित मूल्य दिया हुआ है [**देखिये एल० टी० संख्या** 3070(3)/64] । निर्यातकों की अग्रक संस्थाओं को धागा मिल द्वारा निर्धारित मूल्य पर दिया जाता है और मास्टर-वीवर की संस्थाओं को मिल द्वारा निर्धारित मूल्य जमा 1 प्रतिशत ।

लौह अयस्क और मैंगनीज़ अयस्क

1551. **श्री शिवमूर्ति स्वामी :** या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक पत्तन पर लौह अयस्क के लिये और मैंगनीज़ अयस्क के लिये क्या एफ० ओ० बी० टी० और आर० ओ० बी० टी० दर क्रमशः निश्चित की गई है ;

(ख) बेलारी जिले में डालमिया एण्ड कम्पनी को अधिमान दर देने का विशेष कारण क्या है; और

(ग) खनिज और धातु व्यापार निगम ने सीधे खानों के मालिकों द्वारा और बड़े व्यापारियों द्वारा कितना व्यापार किया ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख) लौह अयस्क के लिये निगम द्वारा दिया गया क्रय-मूल्य श्रेणी तथा सौदे पर निर्भर करता है । जहां तक मैंगनीज़ अयस्क का सम्बन्ध है एफ० ओ० बी० टी० या एफ० ओ० बी० ± आधार पर कोई दर निश्चित नहीं की गई ।

(ग) 1964-65 के दौरान निगम ने लौह अयस्क की सप्लाई के लिये खानों के मालिकों के साथ 71 लाख टन का ठेका किया है और अन्य लोगों के साथ 17.3 लाख टन का ठेका किया है । खानों के मालिकों का पहला अधिमान दिया जाता है । मैंगनीज़ अयस्क के लिये 1964-65 के दौरान सीधे निर्यात के लिये और निगम द्वारा वस्तु-विनिमय के अन्तर्गत निर्यात के लिये निगम ने खानों के मालिकों से और उन खानों के मालिकों से जो पीत-वाणिक भी हैं के साथ 10.70 लाख टन का क्रय ठेका किया और अन्य लोगों के साथ 1.40 लाख टन का ठेका किया ।

सोन्दूर में मैंगनीज कारखाना

1552. **श्री शिवमूर्ति स्वामी :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोन्दूर में मैंगनीज़ का कारखाना लगाने के लिये मैसूर राज्य में सोन्दूर के भूतपूर्वक शासक को कोई लाइसेंस दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसने लाइसेंस की शर्तों के अनुसार मैंगनीज़ का कारखाना चालू कर दिया है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) शायद निर्देशन मेसर्ज़ संदूर मैंगनीज़ और लोहा अयस्क (प्रा०) लिमिटेड को उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत उच्च श्रेणी के मैंगनीज़ स्लैग, स्पाइगलाइसेन, फैरो-मैंगनीज़, सिलीको मैंगनीज़ और कच्चे लोहे के प्रतिवर्ष 36,000 टन के उत्पादन के लिये होस्पट में एक नये उपक्रम को आरम्भ करने के लिए लाइसेंस देने के बारे में है । एकक ने अभी उत्पादन आरम्भ नहीं किया ।

तुरंत तैयार होने वाली चाय[1]

1553. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

[1]Instant tea.

(क) भारत में तुरंत तैयार होने वाली चाय के उत्पादन में क्या प्रगति है, और

(ख) इस उपक्रम के लिये कौन सी कम्पनियां कार्य कर रही हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) और (ख) : मैसर्ज टाटा-फिनले ने तुरंत तैयार होने वाली चाय के उत्पादन के लिये केरल में एक कारखाना स्थापित किया है जो शीघ्र ही उत्पादन आरम्भ कर देगा। मैसर्ज फूड स्पेशलिटीज़ लिमिटेड, दिल्ली को भी तुरंत तैयार होने वाली चाय के उत्पादन के लिये कारखाना स्थापित करने के लिये पूंजी इकट्ठी करने की अनुमति दे दी है।

एक समान वस्तुओं का निर्यात

1554. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात व्यापार की और वरणात्मक उपागम पर रामस्वामी मुदालियर समिति ने विदेशी मंडियों में एक समान या पूरक वस्तुओं के क्रय के लिये निर्यातकों की कनसार्शिया बनाने की सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या निर्णय किया है ; और

(ग) समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं और सरकार का उन पर क्या निर्णय है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) प्रतिवेदन की एक प्रतिलिपि सभा पटल पर रखी है। [**पुस्तकालय में रखा है। देखिये एल० टी० संख्या 3666/64**]। व्यापार मंडल ने, जिसको यह प्रतिवेदन पेश किया गया है, मद्रास में पिछले सप्ताह हुई बैठक में निर्यात वृद्धि परिषदों, पदार्थ मंडलों, वाणिज्य तथा उद्योग का भारतीय संघ, भारत के वाणिज्य तथा उद्योग के सहकारी मंडल, और अन्य महत्वपूर्ण व्यापार संगठनों से सूचना मंगाने का निश्चय किया है। व्यापार मंडल फर्वरी, 1965 में अपनी अगामी बैठक में प्रतिवेदन पर विचार करेगा।

दुर्गापुर के आसपास सहायक उद्योग

1555. **श्री राम सेवक यादव :**
श्री द्वारका दास मंत्री :

क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दुर्गापुर में और इसके आसपास बड़े औद्योगिक एककों की सहायता के लिये सहायक उद्योगों की सम्भावना के निर्धारण के लिये एक अध्ययन दल दुर्गापुर गया था ; और

(ख) यदि हां, तो क्या अध्ययन दल ने अपना कार्य समाप्त कर लिया है और अपना प्रतिवेदन सरकार को पेश कर दिया है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उद्योग और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) और (ख) दुर्गापुर में और उसके आसपास बड़े औद्योगिक एककों की सहायता के लिये सहायक उद्योगों की सम्भावना के निर्धारण के लिये कोई भी अध्ययन दल दुर्गापुर नहीं भेजा गया था।

केन्द्रीय लघु उद्योग संगठन के सहायक विकास कार्य के लिये श्री टी० आर० गुप्ता, भारी इंजीनियरिंग निगम के चेयरमैन जो प्रादेशिक सहायक उद्योग उप-समिति के भी चेयरमैन है, के

सभापतित्व में अक्टूबर, 1964 में दुर्गापुर सहायक उद्योगों के विकास की सम्भावना की खोज करने के लिये एक बैठक बुलाई गई थी। लघु उद्योग मंडल के सहायक उद्योगों की उपसमिति इस बैठक के निर्णयों पर विचार करेगी।

उत्तर प्रदेश में भारी उद्योग

1556. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री विश्राम प्रसाद :

क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में कुछ भारी उद्योगों की स्थापना का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो उन उद्योगों के नाम क्या हैं जिनकी स्थापना होगी ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उद्योग और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) और (ख) जहां तक उद्योग तथा संभरण मंत्रालय का सम्बन्ध है, तीसरी पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में उत्तर प्रदेश के पूर्वीय क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र में कोई नया भारी उद्योग स्थापित करने का कोई विचार नहीं है। चौथी पंचवर्षीय योजना सार्वजनिक क्षेत्र में शायद कई नई परियोजनायें आरम्भ की जायेंगी, परन्तु उनकी स्थिति के बारे में कोई निश्चय नहीं किया गया है। अतः इस समय यह बताना कठिन है कि यह नई परियोजनायें उत्तर प्रदेश के पूर्वीय क्षेत्र में कहां स्थित होंगी।

टिस्को का विस्तार

1557. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्रीमती सावित्री निगम :
डा० रानेन सेन :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
डा० सारादीश राय :

क्या **इस्पात** और **खान** मंत्री 11 सितम्बर, 1964 को अतारांकित प्रश्न संख्या 467 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मैसर्ज़ टाटा लोहा और इस्पात कंपनी लिमिटेड से इसके जमशेदपुर वर्क्स के विस्तार के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, कम्पनी के उत्पादन में अनुमानित क्या वृद्धि होगी ; और

(ग) क्या सरकार ने इस विषय में अपना निर्णय दे दिया है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) से (ग) मैसर्ज़ टाटा लोहा और इस्पात कम्पनी फिलहाल अपने जमशेदपुर स्टील वर्क्स के विस्तार के लिये विस्तृत अध्ययन के तैयारी पर विचार कर रहे हैं। कारखाने का कितना विस्तार होगा अभी स्पष्ट नहीं है। सरकार ने, सिद्धान्त रूप में, 10 लाख टन के विस्तार का अनुमोदन कर दिया है। विस्तार पर विस्तृत अध्ययन हो जाने पर ही इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय किया जायेगा।

दिल्ली को बुक किये गये रेलवे पार्सलों की प्राप्तिमें देरी

1558. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री ओंकार सिंह :
श्री गुलशन :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य, दक्षिण और दक्षिण पूर्व रेलों के विभिन्न स्टेशनों से दिल्ली तथा नई दिल्ली के स्टेशनों के लिये बुक किये हुये पार्सल समय में नहीं मिलते और काफी यातायात निजी सड़क परिवहन की ओर चला गया है; और

(ख) यदि हां, तो इन स्टेशनों से पार्सलों को शीघ्र पहुंचाने के लिये रेलवे प्रशासन क्या कार्यवाही कर रहा है।

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख) : मध्य, दक्षिण और दक्षिण पूर्व रेलों के स्टेशनों से दिल्ली तथा नई दिल्ली स्टेशनों के लिये पार्सलों की गति की नमूना जांच की गई थी और यह पाया गया था कि अधिकतर पार्सल यातायात समय पर पहुंच जाता है। पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष स्थिति अच्छी है।

नमूना-जांच से यह पता चला कि जबकि 1963 में 87.1 प्रतिशत समय पर पहुंचा था, 1964 में 89.6 प्रतिशत समय पर पहुंचा था।

पार्सलों के द्रुत परिवहन के लिये और महत्वपूर्ण उठाये गये कदम यह है :

(1) पार्सल गाड़ियों की पर्याप्त संख्या की व्यवस्था;

(2) उन महत्वपूर्ण स्टेशन में जहां यातायत बहुत अधिक है, विशेष गाड़ियों का चलाना;

(3) पार्सलों को शीघ्र भेजने के लिये, जहां सम्भव हो, द्रुत गति की पेसेन्जर, मेल अथवा एक्सप्रेस गाड़ियों के साथ बोगी पार्सल वैन का लगाना;

(4) पैसेन्जर गाड़ियों के साथ बड़े इंजन लगा कर, जिससे वह अधिक पार्सल वैनें खींच सकें, पार्सलों का द्रुत गति से संचलन;

(5) मद्रास और दिल्ली के बीच में दक्षिण एक्सप्रेस को सप्ताह में दो बार से बढ़ा कर पांच बार चलाने से दक्षिण और मध्य रेलों के स्टेशनों से दिल्ली और नई दिल्ली के लिये यातायत के तुरंत निपटान में सहायता मिली है;

(6) व्यापारियों के परामर्श से मौसमी यातायात के निपटान के लिये पहले ही कार्यक्रम तैयार कर लिया जाता है और यह तुरंत निपटान के लिये प्रभावकारी रहा है।

रेलवे प्रसासन को पार्सल यातायात का सड़क परिवहन की ओर जाने की कोई सूचना नहीं है।

चेकोस्लोवाकिया को अखरोटों का निर्यात

1559. **श्री श्यामलाल सर्राफ :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चेकोस्लोवाकिया सरकार ने भारत से अखरोटों का आयात करने के लिये अभिरूचि प्रकट की है और इस बारे में क्या कोई समझौते पर हस्ताक्षर किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी मात्रा निर्यात की गई है और उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने इन का सम्भरण किया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां। चेकोस्लोवाकिया सरकार ने इस मद में अपनी अभिरूचि प्रकट की है। अखरोटों के निर्यात के लिये 3 लाख रुपये की विशिष्ट व्यवस्था है। फिर भी वास्तव में अब तक अखरोट निर्यात नहीं किये गये हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

कपड़े की बुनाई

1560. **श्री हिम्मत सिंहका** : क्या **वाणीज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेयन सूत निर्माण एककों को कपड़े बुनने के लिये क्षमता स्थापित करने की इजाजत दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री(श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) और (ख) सरकार मनुष्य निर्मित रेशे और तंत्र बनाने वाले एककों को कुछ सीमित शक्तिचालित करघों का स्थापित करने के लिये इजाजत देना चाहती है जिस से वे अपने माल का परीक्षण कर सकें और निर्यात उपार्जन में वृद्धि करने के लिये कपड़े का निर्यात कर सकें।

हथकरघों के माल के लिये निर्यात संवर्धन परिषद

1561. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **वाणिज्य** मंत्री 3 अक्तूबर, 1964 को पुछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 1700 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हथकरघों के माल के लिये निर्यात संवर्धन परिषद के गठन का ब्योरा तयार कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री(श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) तथा (ख) हथकरघे के माल के लिये निर्यात संवर्धन परिषद सम्बन्धी ब्यौरे को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

पूजा की छुट्टियों के दौरान विशेष रेलगाड़ियां

1562. **श्री राम सेवक :**
श्री फ० गो० सेन :

क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत पूजा पर्वाविकाश के दौरान विभिन्न रेलवे प्रशासनों को भारी संख्या में विशेष रेल गाड़ियां चलानी पड़ी थीं; और

(ख) यदि हां, तो गतवर्ष की तुलना में इन की संख्या क्या थीं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) इस वर्ष पूजा पर्वाविकास के दौरान वर्ष 1963 की तुलना में 28 के स्थान पर, 31 विशेष रेलगाड़ियां चलाई गयी थीं। इस के अतिरिक्त, इस वर्ष पूजा सम्बन्धी भीड़ के लिये कलकत्ता क्षेत्र में पूर्व रेलवे के उपनगरीय सेक्शनों पर 30 विशेष रेलगाड़ियां भी चलाई गयी थीं।

नया कोक भट्टी संयंत्र, रामगढ़ (बोकारो क्षेत्र)

1563. **श्री राम सेवक :**
श्री फ० गो० सेन :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय कोयला विकास निगम ने रामगढ़-बोकारो क्षेत्र में एक नये कोक भट्टी संयंत्र का स्थापित करने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस नये संयंत्र की प्रत्याशित क्षमता कितनी है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय कोयला विकास निगम केन्द्रीय ईंधन अनुसन्धान संस्था की सलाह से रामगढ़-बोकारो क्षेत्र में लगभग 10 लाख से 15 लाख की क्षमता वाले एक कोक भट्टी संयंत्र की स्थापन सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। प्रस्ताव अभी प्राथमिक स्टेज पर है। रामगढ़ के कोयले के भारी नमूने केन्द्रीय ईंधन अनुसन्धान संस्था को परीक्षणार्थ भेजे गये हैं जिस से इस की उच्च तापीय कार्बनसाज़ी के लिये उपयुक्तता निर्धारित की जा सकें।

लिपज़िग मेला

1564. **श्री राम सेवक :**
श्री फ० गो० सेन :
श्री राम हरख :
श्री बसवन्त :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जर्मन लोकतंत्रात्मक गणतंत्र से आगामी लिपज़िग बसंत मेला में भारतीय औद्योगिक माल को पहले से बड़े पैमाने पर प्रदर्शित करने के लिये कोई निमंत्रण प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो क्या मेले में प्रदर्शित करने वाले माल की मात्रा का अनुमान लगाया गया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) 1965 के लिपज़िग बसंत मेलें में भाग लेने के लिये जर्मन लोकतंत्रात्मक गणतंत्र से निमंत्रण प्राप्त हुआ है जिस में प्रमुख रूप से औद्योगिक और प्रौद्योगिक माल प्रदर्शित करने पर बल दिया गया है।

(ख) जी, हां। माल के प्रदर्शन करने के लिये 1300 वर्ग मीटर तल क्षेत्र की आवश्यकता का अनुमान है।

हेलसिंकी मेला

1565. **श्री फ० गो० सेन :**
श्री राम सेवक :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हेलसिंकी मेले में भारतीय मण्डप के अभिनय पर कोई प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है;

(ख) इस मेले में भारतीय प्रदर्शन के फलस्वरूप कितना कारोबार हुआ; और

(ग) कारोबार में होने वाली प्रगति का ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां। प्रतिवेदन के अनुसार यह मेले में अत्याधिक लोकप्रिय मण्डपों में से एक था।

(ख) मेले के दौरान सूती तथा हथकरघा के वस्त्र, पशुलोम, ऐनक के फ्रेम आदि में लगभग 3,85,000 रुपये के कारोबार के सम्बन्ध में बातचीत हुई थी।

(ग) उनी वस्त्र, खेल-कूद का सामान, डिब्बा बंद फल और रस, प्रवर्धक बुने हुए ऊनी कपड़े, दस्तकारी, बच्चों के खिलौने, पोर्सिलेन भांड आदि के सम्बन्ध में बातचीत हो रही है। अखबारी कागज़, कागज, प्लाईवुड आदि को आयात करने पर चाय, गरम मसाले, तम्बाकू, रूई, वस्त्र, पटसन से बनी वस्तुयें, हथकरघा, दस्तकारी, अलसी आदि के सम्बन्ध में 43 लाख रूपये के 'पैकेज डील' के प्रस्ताव की भी पेशकश की गई थी।

औद्योगिक बस्तियां

1566. **श्री हेम राज** : क्या **उद्योग और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिये स्वीकृत औद्योगिक बस्तियों (देहाती तथा शहरी) की राज्यवार संख्या कितनी थीं;

(ख) राज्यवार उन बस्तियों की संख्या कितनी हैं जो दूसरी पंचवर्षीय योजना की बची हुई थीं;

(ग) राज्यवार उन बस्तियों की संख्या कितनी है जिन पर पूर्णरूपेण कब्ज़ा कर लिया गया है और उन में कार्य हो रहा है; और

(घ) बेकार पड़ी बस्तियां कितनी हैं ?

उद्योग और संभरण मंत्रालय में उद्योग तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) से (घ) राज्य सरकारों से जानकरी इकटठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Pay Scale of Signallers

1567. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(*a*) whether the percentage laid down for the recruitment of only 5 per cent Signallers in the pay scale of Rs. 205-280 and Rs. 250-380 is in contravention of the announcement made in Parliament by the then Minister of Railways in February, 1956 for distribution of posts of Telegraph Signallers in the various grades on the Railways as well as the recommendations of the Second Pay Commission ;

(*b*) if so, the reasons for this disparity; and

(*c*) the action Government propose to take to remove the same ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (*a*) No.

(*b*) and (*c*) : Do not arise.

Pay Scales of Head Signallers

1568. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(*a*) whether it is a fact that the recommendations of Central Pay Commission in regard to the pay-scales of Head signallers have not been fully implemented so far ;

(*b*) if so, the reasons therefor ; and

(*c*) when these recommendations would be fully implemented ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (*a*) Yes, only on the Northern & North Eastern Railways.

(*b*) On the Northern Railway there were some technical difficulties relating to creation of posts of Head Signallers in the Prescribed scale Rs. 200 300(CPC) and their classification into "Selection" posts and as these difficulties have since been removed, these recommendations are being implemented. On the N. E. Railways, the Seniority Lists are under scrutiny.

(*c*) In about 3 months.

Patient's Diet in Railway Hospital, Kotah

1569. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(*a*) whether it is a fact that in the Western Railway Hospital at Kotah (Rajasthan) only four chapaties are given to a patient ;

(*b*) whether it is also a fact that patient cannot satisfy his hunger with only four chapaties ; and

(*c*) whether the number of chapaties would be increased or the rules would be amended and if so, from when ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (*a*) No. Four chapaties with rice or five chapaties without rice for lunch as well as for dinner, and one Parota in the morning with tea as breakfast are given to a patient. The total quantity of cereals per adult patient per day is 16 ounces which includes 2 ounces of rice if desired.

(*b*) Does not arise.

(*c*) A revised diet schedule will be introduced shortly.

Labour in the Railway Workshop, Kotah

1570. **Shri Omkar Singh :**
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Kukam Chand Kachhavaiya :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(*a*) whether it is a fact that the labour employed on steel melting and casting operations in the Railway Workshop, Kotah (Western Railway) are not

provided with goggles and the prescribed uniforms as are being supplied to the similar labour employed in other Departments of the Central Government; and

(*b*) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (*a*) & (*b*). The labour employed on steel melting and casting operations in the Railway Workshop, Kotah are supplied the following uniforms and protective equipment annually :—

(i) Cupolamen . . .	Pyjama blue drill .	2 Nos.
	Topee . . .	2 Nos.
	Leggings . . .	1 pair.
	Goggles . . .	1 pair.
(ii) Molten Metal Carriers .	Pyjama blue drill .	2 Nos.
	Topee . . .	2 Nos.
	Leggings . . .	1 pair.

The equipment and scale of suppply to similar labour in other Central Governments departments is not known.

विदेश-व्यापार

1571. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :**
श्री राम हरख यादव :
श्री मुरली मनोहर :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार के निमंत्रण पर व्यापार विशेषज्ञों की एक टीम भारत का दौरा कर रही है और इस टीम का काम वे हमारे निर्यात सम्बधी प्रयत्नों का अध्ययन करना तथा इस में सुधार करने के लिये सुझाव देना है; और

(ख) यदि हां, तो ये विशेषज्ञ किन किन देशों से आये हैं और हमारे निर्यात व्यापार को बढ़ाने के लिये हमारे प्रयत्नों के सम्बन्ध में उन की आद्यतन राय क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी हां ।

(ख) टीम में इंगलिस्तान, संयुक्त राज्य, और जापान से दो दो सदस्य तथा इटली से एक सदस्य सम्मिलित हैं जिन के नाम इस प्रकार हैं :—

श्री डब्ल्यू० टी पीर्स,

श्री एच ० डब्ल्यू० वाल्लेण्डर,

डा० राबर्ट जे० क्लार्क,

श्री ए० ओ० स्टेन्ले,

श्री एम० कटोह,

श्री एम० योशीदा,

डा० ई० टी० ओज़रेल्ली,

टीम ने अभी प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया है ।

अफ़गानिस्तान से मेवों का आयात

1572. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान मेवों के स्टाक में कमी की ओर दिलाया गया है।

(ख) यदि हां, तो क्या अफगानिस्तान और अन्य देशों से अधिक बड़े पैमाने पर मेवों का आयात करने के बारे में किसी कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ग) क्या यह देखने के लिये भी कदम उठाये जायेंगे कि मेवे लोगों को सस्ते दामों पर मिल सकें ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख) प्रत्येक वर्ष ईरान और अफगानिस्तान से इन देशों के साथ द्विपक्षीय करारों के अधीन मेवों का आयात किया जा रहा है। गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष, अफगानिस्तान से अधिक फलों को, जिस में मेव भी शामिल हैं, आयात किया गया है। विदेशी मद्रा की स्थिति के कारण हम इस से अधिक आयात नहीं कर सकत।

(ग) मेवों के मूल्य पर कोई नियंत्रण नहीं है।

डोलोमाइट में मैग्नेशिया की मात्रा

1573. **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिलासपुर (मध्य प्रदेश) से लगभग 11 मील दूर हिर्री डोलोमाइट बल्ट से निकाले गये डोलोमाइट में 20 प्रतिशत मैग्नीशिया की मात्रा हैं, और

(ख) यदि हां, तो सरकार इन निक्षेपों का शोषण तथा उपयोग किस प्रकार करना चाहती है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) जी हां। हिर्री खानें, जिन का विकास हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने किया था, 1959 से इस्पात निर्माण में प्रयोग के लिये इन के इस्पात संयंत्रों को डोलोमाइट का सम्भरण कर रही हैं।

खनिजों के खनन पट्टे

1574. **श्री मुहम्मद इलियास :** क्या **इस्पात** और **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की प्रथम अनुसूची में उल्लिखित खनिजों सम्बन्धी खनन के पट्टों का नवीकरण, मंजूरी की अवधि और अन्य अन्तग्रस्त बातों के साथ, के बारे में राज्य सरकारों द्वारा क्या नीति अपनाई जाती है ;

(ख) क्या किसी राज्य सरकार ने इस नीति का उल्लंघन किया है, और

(ग) यदि हां, तो गत 10 वर्षों में ऐसे कितने मामले हुए ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) खान और खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1957 की प्रथम अनुसूची में उल्लिखित खनिजों सम्बन्धी खनन के पट्टों के नवीकरण की, उक्त अधिनियम की धारा 8 (2) के परन्तुक के अनुसार केन्द्रीय सरकार के अनुमोदनसे, मंजूरी राज्य सरकारों द्वारा दी जाती है। परन्तु पट्टेदार ने पट्टे के निबन्धनों और शर्तों का कोई उल्लंघन न किया हो और इस क्षेत्र को सरकारी क्षेत्र में शोषण के उपयुक्त न समझा जाये। इस अधिनियम की धारा 8(2) के अनसार कोयला, लोह अयस्क अथवा बाक्साइट सम्बन्धी पट्टे का निवाकरण 30 वर्ष की अवधि तक

अन्य खनिजों में 20 वर्ष की अवधि तक किया जा सकता है। फिर भी यदि एक पट्टे के हालातों से यह आवश्यक समझा जाये तो राज्य सरकार इस अधिनियम में निर्धारित अत्याधिक अवधि से कम अवधि के लिये पट्टे का नवीकरण कर सकती है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

लाहूरीपारा-रुरकेला सड़क

1575. श्री मुहम्मद इलियास : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड और उड़ीसा सरकार के बीच लाहूरीपारा और राउरकेला इस्पात नगर के बीच एक सड़क निर्माण करने के बारे में कोई अनिर्णीत झगड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इस का ब्योरा क्या है; और

(ग) कब झगड़े का फैसला होने की सम्भावना है और कब सड़क का निर्माण आरम्भ हो जायेगा?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) से (ग) यह प्रश्न क्या लाहूरीयारा-डेंगरा सड़क के एक भाग को सरकारी अथवा गैर-सरकारी समझा जाये, और यदि सरकारी समझा जाये तो हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को, इन के द्वारा पहले ही किये गये व्यय की किस मात्रा तक पूर्ति की जाये, राज्य सरकार के विचाराधीन है।

Railway Workshop, Amritsar

1576. Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Bade :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Omkar Singh :
Shri Brij Raj Singh :
Shri Lahri Singh :
Shri Rameshwaranand :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(*a*) the number of employees at present working in Railway Workshop, Amritsar ;

(*b*) the number of old employees promoted ;

(*c*) the number of Trade and other Apprentices during the last five years (year-wise) ; and

(*d*) the amount being spent annually by Government on the training of Trade-Apprentices during the above period ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (*a*) 2426.

(*b*) 710.

(*c*) and (*d*) The required information is being collected and will be laid on the table of the Sabha.

राज-खरसावन-चैबासा रेल गाडी

1577. **श्री ह०च० सोय :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्तमान समय सारिणी के लागू होने से पूर्व राज-खरसावन और चैबासा के बीच स्थानीय गाड़ी मध्यान्य पूर्व तथा मध्यान्यपश्चात् के बीच केवल एक बार चलती थी ;

(ख) क्या यह सच है कि मंगलवार और रविवार की बड़ी साप्ताहिक मंडियों के लगने के कारण गाड़ियों में भीड़ हो जाती है ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि उक्त गाड़ी के डिब्बे राज-खरसावन स्टेशन पर सारा दिन बेकार पड़े रहते हैं, यदि हां, तो अग्रेतर सेवाओं के लिये उन्हें उपयोग में लाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं विशेषत: इन दो स्टेशनों के बीच खड्डा स्टेशन पर टाटा-पटना एक्सप्रेस को मिलाने के लिये ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) यात्रियों की कमी के कारण राज-खरसावन और चैबासा के बीच चलने वाली स्थानीय गाड़ी के एक जोड़े की 1-4-64 से बन्द कर दिया था। उस समय राज-खरसावन-चैबासा भाग पर गाड़ियों के केवल 2 जोड़े चलते हैं जो कि इस भाग पर यातायात को देखते हुए पर्याप्त समझे जाते हैं।

(ख) जी हां, वर्तमान गाड़ियों के स्थान भीड़ के लिये काफी हैं।

(ग) इस समय में 'रेल' की तरफ ध्यान दिया जाता है और उसकी देखभाल की जाती है। फिर, न तो यातायात का ही कोई औचित्य है और नहीं बड़ाजाम्दा-राज खरसावन से कंदड़ा तक यात्री गाड़ियों का विस्तार करने के लिये पटरियां उपलब्ध हैं।

राज-खरसावन स्टेशन पर अपर का पूल

1578. **श्री ह० च० सोय :** क्या **रेल्वे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज-खरसावन स्टेशन पर दक्षिणी ओर से रेल प्लेटफॉर्म की ओर जाते हुए पटरियां पार करते समय पिछले पांच वर्षों में कितनी दुर्घटनाएं हुई ;

(ख) क्या यह सच है कि रेलवे कर्मचारियों के अधिकांश क्वार्टरों और चलनेवालो कर्मचारियों के विश्रामगृहों और मुख्य रेलवे स्टेशनों के कार्यालयों और प्लेटफार्मों के बीच पटरियों को पूलके बिना जाने का कोई रास्ता नहीं है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या एक अपरी पुल बनाने की कोई योजना है और योजना कब क्रियान्वित की जायेगी ?

रेल्वे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामनाथ) : (क) जी नहीं।

(ख) अधिकांश रेलवे क्वार्टर तथा 'रनिंग रूम' यार्ड के दक्षिण की ओर स्थित हैं और स्टेशन की इमारत उत्तर की ओर है। यार्ड के हावडा की ओर वाले सिरे पर एक फाटक है। जहां से स्टेशन की ओर से बस्ती को जाया जाता है।

(ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

जापान को चाय का निर्यात

1579. **श्रीमती रेणुका बड़कटकी :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जापान को अधिक मात्रा में भारतीय चाय निर्यात करने के लिये चाय बोर्ड ने नई योजनाएं चलाने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं और निर्यात के लिये क्या लक्ष्य रखा गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) और (ख) जापान को भारतीय चाय अधिक मात्रा में निर्यात करने के लिये चाय बोर्ड कुछ उपायों पर विचार कर रहा है।

रेल्वे में रात्रि ड्यूटी भत्ता

1580. **श्री काशी राम गुप्त** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तरी रेलवे के सवारी गाड़ियों के यार्डों में काम करने वालें गाड़ी परीक्षकों को रात्रि ड्यूटी भत्ता नही दिया जाता है। जब कि पूर्वी रलवे के इसी श्रेणी के कर्मचारियों को यह भत्ता दिया जाता है।

(ख) क्या यह भी सच है कि उत्तरी रेलवे की सवारी गाड़ियों के यार्डों पर स्टेशन मास्टरों, ट्रेन क्लर्कों और काम करने वाले अन्य कर्मचारियों को रात्रि ड्यूटी भत्ता दिया जा रहा है जब कि गाड़ी परीक्षकों को ही यह भत्ता नहीं दिया जाता है ; और

(ग) यदि भाग (क) और (ख) का उत्तर हां में है तो इस के क्या कारण हैं और क्या सरकार इस अनियमतता को दूर करने के लिये कदम उठायेगी और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) गाड़ी परीक्षक कों, जो सवारी गाड़ियों के यार्डों में काम करते हैं तथा सारी गाड़ियों की देखभाल करते हैं, रात्रि ड्यटी भत्ता नहीं दिया जाता है चाहे वे पूर्वी रेलवे पर काम करते हों अथवा उत्तर रेलवे पर।

(ख) और (ग) सरकार के फैसले के अनुसार रात्रि ड्यूटी भत्ता कर्मचारियों की केवल उन श्रणियों को दिया जायेगा जिनको रात्रि पारी के पूरे समय लगातार काम करना पड़ता है न कि सामान्य रुपसें रात्रि पारियों को। इसके अनुसार रात्रि डयटी भत्ते के लिये रात्रि पारियों मे काम करने वाली केवल ऐसी श्रेणियों को पात्र घोषित किया गया है जिनको लगातार (अर्थात् मानसिक) काम करना पड़ता है और इसे सुनिश्चित करने के लिये, जहां भी आवश्यक समझा गया है कुछ मानदण्ड भी रखे गये हैं।

दिल्ली स्टेशन के पासल कार्यालय पर छापा

1581. **श्री ओंकार सिंह :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री गुलशन :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 21 मार्च, 1963 को उत्तर रेलवे के सतर्कता विभाग ने दिल्ली मेन रेलवे स्टेशन के बाहरी पार्सल बुकिंग कार्यालय पर छापा मारा और संबंधित कर्मचारियों के पास पूरी सरकारी नकदी नहीं पाई ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल्वे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां।

(ख) संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही चालू है।

उत्तर रेलवे में बुकिंग क्लर्क

1582. **श्री विश्राम प्रसाद :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे के बुकिंग क्लर्कों को रात्रि ड्यटी देने के बाद पूरे दिन का आराम मिलता है और रात्रि भत्ता मिलता है, जब कि उसी श्रेणी के पार्सल क्लर्कों को इन सुविधाओं से वंचित रखा जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) बुकिंग क्लर्कों और पार्सल क्लर्कों दोनों को ही आराम दिया जाता है जैसा नौकरी के घंटे विनियमों में उपबन्धित है, जब कि रात्रि ड्यटी भत्ता केवल बुकिंग क्लर्कों को ही दिया जाता है ।

(ख) सरकार के निर्णय के अनुसार रात्रि ड्यूटी भत्ता कर्मचारियों की केवल उन श्रेणियों को दिया जाता है जिनको रात की ड्यूटी म लगातार मानसिक काम करना पड़ता है न कि सामान्य रूप से सभी रात की पारियों को। इसके अनुसार केवल बुकिंग क्लर्क ही जिसका काम ऊपर दी हुई शर्त को पूरा करता है, रात्रि ड्यूटी भत्ते के लिये पात्र है । भत्त के देने के लिये पार्सल क्लर्क शर्त पूरी नहीं करते ।

सतर्कता निदेशालय की आस्तियां

1583. **श्री ओंकार लाल बेरवा :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड और उत्तर रेलवे मुख्यालयों के सतर्कता निदेशालय के कुछ कर्मचारियों के पास अननपातिक आस्तियां हैं ;

(ख) यदि हां, तो ये आस्तियां उन्होंने सतर्कता संगठन में आने के बाद अर्जित की हैं अथवा उनके पास पहले से ही हैं ; और

(ग) यह जानने के लिये कि उन्होंने अपनी अहित यां किस प्रकार ग्रहण कीं, रेलवे प्रशासन ने क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

पूर्वी बोकारा में असनापानी ड्रिफ्ट खान

1584. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री राम हरख यादव :
श्री मुरली मनोहर :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जारांगदीह (पूर्वी बोकारो) कोयला क्षेत्र में असनापानी ड्रिफ्ट माइन के विकास के लिये ब्रिटिश सहयोग पर नेशनल कोलबोर्ड यू० के० के प्रतिनिधियों और भारत सरकार के बीच कोई करार हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या ब्योरे हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) इस संबंध मे नेशनल कोल बोर्ड यू० के० और भारत सरकार के बीच कोई औपचारिक करार नहीं है। हां, नेशनल कोल बोर्ड यू० के० ने एक परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया है जिसमें असनापानी ड्रिफ्ट माइन के विकास के लिये राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के साथ उनके सहयोग की बात की गई है। इस प्रतिवेदन के विषय को नेशनल कोल बोर्ड यू० के० के अध्यक्ष के साथ उनके हाल के यहां के दौरे में चर्चा की गई थी। सभी संगत पहलुओं के परीक्षण के पश्चात् इस परियोजना को भारत सरकार द्वारा अन्तिम अनुमोदन दिये जाने की अवस्था में, इस साल के विवरण के लिये तकनीकी तथा प्रशासनिक व्यवस्था और अस्थायी समय-अनुसूची के संबंध में मोटे तौर पर समझौता हो गया था।

Price of Cloves

1585. **Shri Bade :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri S. L. Verma :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(*a*) whether it is a fact that the market price of cloves is Rs. 20 to 25 per kilo ;

(*b*) whether it is also a fact that the State Trading Corporation is importing cloves at the rate of Rs. 3·50 per kilo ;

(*c*) whether the State Trading Corporation sells these to the cooperative stores at the rate of Rs. 15 per kilo ; and

(*d*) if so, the reasons as to why public has to pay 6 to 7 times more price ?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah) : (*a*) to (*d*) The average wholesale price of cloves in recent months has been Rs. 295 per 10 kgs. as against Rs. 395 prevailing before this trade was canalised through the State Trading Corporation.

2. It is not possible to give the prices at which S.T.C. purchase cloves from time to time, but the purchasers are made only at the ruling international prices. Also no detailed information is separately kept regarding the cost price, godown charges, handling and transport charges and overheads itemwise. In 1962-63 the average landed cost worked out to Rs. 217 per 10 kgs. of cloves and the average release price by S.T.C. was Rs. 269 per 10 kgs. In 1963-64 with the decrease in the landed cost, the average release price by S.T.C. went down to Rs. 175 per 10 kgs. It is at this price the S.T.C. release imported cloves for distribution to the organisation of Established Importers as well as to Cooperative Societies through the National Agricultural Cooperative Marketing Federation Ltd. (NAFED).

The margin of profits for the State Trading Corportion and the Minerals and Metals Trading Corporation on imports varies from commodity to commodity depending upon its availability in foreign markets, its essentiality, the prevailing market prices, ther elative availability of indigenous products etc. In a very large number of cases, the percentage of distribution margin charged by the Corporations varies from 0·4% to 10%. In some scarce consumer import items in short supply, like cloves, the imports of which have been canalised through the State Trading Corporation, the Corporation mops up a portion of the surplus profits which are available in these commodities owing to the short supply

and high ruling market prices. While mopping up the excess profits, the Corporation also fixes the release price which is invariably lower than the prevailing market prices so that prices tend to stabilise at reasonable levels and unduly large profits are not passed on to private hands without benefitting at all the consumers.

मोटर गाड़ियोंका निर्माण तथा मूल्य

1586. **श्री रामनाथन चेट्टियार** : क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री 27 नवम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 237 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में उन्होंने प्रत्येक मोटर गाड़ी निर्माता से उनके संसाधनों के केन्द्रीकरण के विषय पर बात चीत की थी जिससे कि भार उत्पादन उचित ढंग से हो सके और उसकी निर्माण लागत कम हो सके ; और

(ख) यदि हां, तो क्या बात चीत हुई और क्या निर्णय किये गये ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उद्योग तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) प्रत्येक निर्माता के साथ निर्माताओं के संसाधनों में केन्द्रीकरण के संबंध में कोई बातचीत नहीं हुई थी।
(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Derailment near Vizianagaram Station

1587. **Shri Vishwa Nath Pandey :**
Shri Bal Krishna Singh :
Shri Yamuna Prasad Mandal :

Will the Minister of **Railways** be plased to state :

(*a*) whether it is a fact that railway traffic was disrupted on account of derailment of certain bogies of 37-UP Howrah-Madras Express train between Nellimarla and Vizianagaram Stations (South Eastern Railway) on the 21st November, 1964 and the passengers were injured ;

(*b*) if so, the causes therefor ; and

(*c*) the number of persons injured and the extent of damages caused to railway property ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath) : (*a*) & (*c*) As a result of this accident through communication was interrupted, but no one was injured.

The cost of damage to railway property was estimated at approximately Rs. 10,000.

(*b*) The cause is under investigation.

Doubling of Rail Line from Mathura to Kotah

1588. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the work of doubling the railway line from Mathura to Kotah on the Western Railway has been started;

(b) if so, the time-limit prescribed for it;

(c) whether it would be completed in time; and

(d) if not, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath): (a) Of the 324 K.M. long Mathura-Kota section, doubling of the line between Bayana and Lakheri (188 K. M.) only is in progress, of which 93 K.M. have so far been completed and opened to goods traffic.

(b) to (d) : The target date for completion of this Doubling is now March, 1966. There is delay in receipt of the 100 ft. and 150 ft. girders required for this project, from indigenous fabricators, and as a result, the earlier target date had to be put back.

ट्रेन क्लर्कों क लिये पदोन्नति

1589. **श्री बागड़ी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें समस्त भारत के ट्रेन क्लर्कों से पदोन्नति के सीमित रास्तों के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या ट्रेन क्लर्कों के पदोन्नति के रास्ते और भी सीमित कर दिये गये है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) : मामला विचाराधीन है।

ट्रेन क्लर्कों के वेतनमान

1590. **श्री बागडी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलों पर ट्रेन क्लर्कों के वेतन क्रमों में भारी असमता है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ; और

(ग) असमता को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मंत्रालय मे राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

बम्बई-मंगलौर के बीच रेल लाइन

1591. **श्री दिगे** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे मंत्रालय बम्बई से मंगलौर तक पश्चिमी तट के साथ साथ एक रेलकी पटरी के निर्माण की आवश्यकता तथा मांग से अवगत है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त पटरी के निर्माण के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शामनाथ) : (क) और (ख) बम्बई से पश्चिम तट के साथ साथ दासगांव तक और दक्षिण की ओर और आगे तक रेलवे लाइन के निर्माण के लिये अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। कम विकसित कोंकन प्रदेश के आर्थिक विकास में सहायता देने तथा औद्योगिक विकास के

कारण बम्बई के आसपास भीड़ को कम करने की दृष्टि से 1961 में पनवेल के रास्ते दिवा से अपटा तक एक बड़ी लाइन् मंजूर की गई थी। दिवा-पनवेल भाग माल के यातायात के लिये 31-10-1964 को खोल दिया गया था और पनवेल से आगे आपटा तक लाइन् का निर्माण चालू है।इस लाइन् को दासगांव तक बढ़ाने की आवश्यकता/ संभावना का प्रश्न अब विचाराधीन है। पश्चिम तट के साथ साथ मंगलौर तक लाइन के विस्तार के प्रश्न पर कोई जांच नहीं की गई है।

डेटोनेटरों का आयात

1592. **श्री राजेश्वर पटेल :** क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बिजली के डेटोनेटरों और साधारण डेटोनेटरों की कुल मांग क्या है ; और

(ख) क्या यह सच है कि देश में इस्तेमाल किये जाने वाले सभी डेटोनेटर आयातित हैं और यदि हां, तो 1963-64 में कितनी मात्रा आयात की गई और उसका मूल्य क्या था ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उद्योग तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री वि० ना० सिंह) : (क) डेटोनेटरों (सभी प्रकार के) की वर्तमान मांग लग भग 850 लाख है।

(ख) जी हां। विस्फोटक पदार्थ विभाग द्वारा रखे गये आंकड़ों के अनुसार 1963 में 867 लाख दोनों प्रकार के डेटोनेटर 88 लाख रु० के मूल्य से आयात किये गये थे। 1964 के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

मूंग फली के तेल के निर्यात

1593. **श्री जसवन्त मेहता :**
श्री काशी राम गुप्त :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की निगाह में यह बात आई है कि बम्बई के कुछ बड़े व्यापारियों ने मूंगफली के तेल को निर्यात करने के वायदे के सौदे तय किये है ;

(ख) क्या सरकार ने मूंगफली के तेल को राज्य व्यापार निगम द्वारा निर्यात करने के बारे में कोई निर्णय किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस वर्ष कितना तेल निर्यात होगा ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विजयवाड़ा डिविज़न में रेलवे कर्मचारी

1594. **श्री कोल्ला वेंकैय्या :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विजयवाड़ा डिविज़न में काम करने वाले रेलवे कर्मचारियों की संख्या कितनी है ;

(ख) इस डिवीजन में कितने कर्मचारियों को क्वाटर दिये गये हैं ; और

(ग) (i) हस्पतालों, (ii) स्वास्थ यूनिटस, (iii) डाक्टरों, (iv) चिकित्सा विभाग के दूसरे कर्मचारी, (v) मनोरंजन क्लब, तथा (vi) डिविज़न में स्कूलों की संख्या कितनी है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) 20,463

(ख) 6,219

(ग) (1) 1
(2) 11
(3) 35
(4) 219
(5) 6 रेलवे इन्स्टीट्यूट और 1 रेलवे अधिकारियों की क्लब ।
(6) 7.

रेलवे कालेजों में प्रिंसिपलों के रिक्त स्थान

1595. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे कालिजों में प्रिंसिपलों के कुछ स्थान पिछले कई महिनों से रिक्त पड़े हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इन स्थानों को न भरने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) भारतीय रेलवे में केवल एक ही कालिज है जिसका नाम "रेलवे स्टाफ कालिज, बड़ौदा" जिसके प्रिंसिपल की नियुक्ति बहुत पहले की गई थी ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Reservation of seats in Trains for M.Ps.

1596. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri P. H. Bheel :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a quota of seats has been fixed in the first class railway compartments of the various trains coming to and going out of Delhi for the Members of Parliament;

(b) if so, the names of the trains in which such quota has been fixed and the number of seats in each case;

(c) whether it is also a fact that seats from this quota are at times given to other passengers and the Members are placed on the waiting lists; and

(d) if so, the action proposed to be taken to avoid the inconvenience to Members?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) A quota of a few berths/seats has been set apart for Members of Parliament in First Class, III class sleepers and III class A. C. Chair Cars on some important trains going out of Delhi and connecting trains from Lucknow.

(b) A statement is laid on the Table of the House. [Placed in Library. *See* No. LT-3671/64].

(c) & (d) The quotas are kept only upto 24 hours prior to departure of trains. The unutilised quotas are released 24 hours before the departure of the trains to general public on the waiting list. The demands from M.Ps. in excess of the quotas and those received after release of the quotas have to be wait-listed. Even in these cases, however, every endeavour is made to provide accommodation to the M.Ps.

हस्तनापुर में कताई मिल

1597. **श्री काशी नाथ पांडे :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गंगा खादर में बसे हुए विस्थापितों को रोजगार देने के लिये, एक बुनाई का कारखाना स्थापित करने का किसी व्यक्ति को लाइसेंस दिया था ;

(ख) यदि हां, तो उस लाइसेंसदार का नाम क्या है तथा कारखाना स्थापित करने की दिशा में कितनी प्रगति हुई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी हां।

(ख) मैसर्ज़ मदन इन्डस्ट्रीज़ लिमिटिड, हस्तनापुर। लाइसेंस को कार्यान्वित करने की दिशा में पार्टी ने सार्थक पग उठाये हैं।

डेटोनेटरों का निर्माण

1598. **श्री राजेश्वर पटेल :** क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन पार्टियों को विस्फोटक उत्पादन करने के लिये लाइसेंस दिये है, वह कारखाने कहां होंगे। लाईसेंस देने की तिथियां, इन मामलों में स्वीकृत सहयोगों के मुख्य रक्षण क्या हैं और इस काम में अब तक जो प्रगति हुई हैं;

(ख) क्या यह सच है कि इन लाइसेंसदारों में एक व्यक्ति ने प्रस्ताव किया है कि वह एक पुराने मशीन को आयात करे जोकि प्रयोग में बिल्कुल नहीं आ रही और लाइसेंस की सामर्थ्य से तीन गुना है ; और

(ग) क्या यह सच है, कि एक लाइसेंसदार को विदेशी मुद्रा औरों के मुकाबले अधिक उदार ढंग से दी जा रही है। यदि हां, तो किन कारणों से ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उद्योग और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रखा जा रहा है [**पुस्तकालय में रखा है। देखिये ल० ट० 3672/64**]।

(ख) निर्यात की जाने वाली मशिनरी का कुछ भाग, जो कि एक लाइसेंसदार निर्यात कर रहा है, पुराना है परन्तु नये सिरे से दुरुस्त की हुई है। मशीन का प्रयोग इतना ही करने दिया जायेगा जितनी सामर्थ्य के लिये लाइसेंस दिया गया है।

(ग) जी नहीं। विदेशी मुद्रा के लिये दी जानेवाली शर्तें सामान्यत: वही है जो सरकार ने अनुमोदित की हुई हैं।

रेल के डिब्बों से विस्फोटक पदार्थों की चोरी

1599. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **रेलवे** मंत्री 11 सितम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 369 के उत्तर के सम्बंध में, जिसका संबंध चंगसारी स्टेशन यार्ड (उत्तरी सीमा रेलवे) में सील लगाये हुए रेलवे के डिब्बों से विस्फोटक पदार्थों से हैं, के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) इस मुकदमे का परीक्षण समाप्त हो गया ; और

(ख) यदि हां, तो क्या परिणाम निकला ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय रेलवेज़ सम्मेलन संस्था का कार्यालय

1600. **श्री विश्राम प्रसाद :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्री के० सी० बाखले ने जो 1947 में रेलवेज़ के चीफ़ कमिशनर थे, यह सिफ़ारिश की थी कि भारतीय रेलवेज़ सम्मेलन का कार्यालय बंद कर दिया जावे और इसका कार्यभार रेलवे बोर्ड संभाले ;

(ख) क्या 1956 में भारतीय रेलवेज के जनरल मैनेजरों ने सर्व सम्मति से इस कार्यालय को इसके इस रूप में समाप्त करने की सिफारिश की जिसमें यह वर्तमान है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले पर विचार किया है; और

(घ) क्या उन सिफारिशों पर कोई कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी हां ।

(ग) और (घ) इस प्रश्न पर सरकारने समय समय पर विचार किया है और सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि भारतीय रेलवेज़ सम्मेलन संस्था को एक अलग निकाय के रूप में कार्य करने दिया जावे।

Train Collision at Siwan Station

1601. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the 2 Down Awadh Tirhut Mail Train collided with a goods train at Siwan Station on the North Eastern Railway on the 2nd December, 1964; and

(b) if so, the cause of the accident?

Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath) : (a) A goods train side collided with train No. 2 Dn. Avadh Tirhut Mail which after starting from Siwan Station had stopped in the yard due to alarm chain pulling on 2-12-1964.

(b) The cause is under investigation.

Late arrival of Trains at Delhi

1601. { **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Prakash Vir Shastri :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that about fifteen thousand passengers are travelling daily between Delhi, Ghaziabad and Shahadara;

(b) whether it is also a fact that there is a great resentment among passengers against the late arrival of trains from Ghaziabad and Shahadara at Delhi everyday and in order to give vent to their feeling of resentment they did not allow the trains to proceed ahead on the 3rd December, 1964 which resulted in late arrival of all trains; and

(c) if so, the steps taken to see that trains reach Delhi at right time?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): (a) About 7,000 passengers travel daily between Delhi, Shahadara and Ghaziabad.

(b) It is not a fact that local trains from Ghaziabad and Delhi-Shahadara are arriving Delhi late every day. However, there have been a few incidents when passengers had resorted to alarm chain pulling due to late start of local trains. On 3-12-1964, 1 RDG Ghaziabad-Delhi-Rohtak Shuttle had a late start of twenty minutes from Ghaziabad due to a goods train having stopped after passing the advance starter as there was some defect in the brakevan of the train. This led to alarm chain pulling by passengers of 1 RDG Shuttle and squatting on the track, thus detaining not only 1 RDG Shuttle but also five other trains on the Ghaziabad-Delhi section.

(c) Instructions already exist and have again been repeated that the punctuality of local trains is kept at as high a level as possible.

नेवेली में चीनी मिट्टी

1603. श्री रा० बरुआ : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेवेली में मिली चीनी मिट्टी का वाणिज्य सम्बंधी धोने की मशीन पर तजरबा किया गया है ;

(ख) क्या इस धोई मिट्टी को वाणिज्य सम्बंधी प्रयोग में लाकर इस से सैनिट्री वैयर्ज़ और इन्सुलेटर्ज़ बनाये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस के व्यौपार की कितनी सम्भावना है?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) से (ग) जी हां। खान खोदते समय जो चीनी मिट्टी मिली उसे कारखाने में मशीन से धोया जाता है। धोई हुई मिट्टी को चीनी के बर्तन, सैनिट्री वेयर तथा इन्सूलेटर्ज़ आदि व्यौपारी कामों में लाया जाता है।

दिल्ली में आटो-पार्ट्स् औद्योगिक बस्ती

1604. श्री रा० बरुआ : क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली प्रशासन के आटो-पार्ट्स् उद्योगिक सम्पत्ति स्थापित करने की योजना पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह जापानी सहयोग से होगा?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उद्योग और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) दिल्ली प्रशासन चौथी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने के लिये एक सहायक उद्योगिक सम्पत्ति की स्थापना पर विचार कर रहा है जहां आटो-पार्ट्स् बनाये जायेंगे।

(ख) इस योजना में जापानी या किसी अन्य देश के सहयोग का कोई प्रस्ताव नहीं है।

Hindi knowing Employees in Commerce Ministry

1605. Shri Sidheshwar Prasad : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the number of employees in the Ministry and its subordinate offices separately and the number out of them who know Hindi and can normally transact business in Hindi;

(b) the number of employees in the said offices separately who are being taught Hindi at present; and

(c) whether any scheme is being formulated to teach Hindi to all the employees?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah) : (a) The number of employees in the Ministry proper (excluding Class IV employees and excluding 72 others who aged 45 years or more on 1-1-1961, for whom Hindi training is not obligatory) is 643. Of these 643 employees, 358 have a working knowledge of Hindi or have been trained in Hindi. It is not possible to say how many can normally transact business in Hindi.

(b) The number of employees in the Ministry (proper) who are being taught Hindi at present is 32.

(c) Ministry of Home Affairs have formulated a scheme for training of administrative personnel in Hindi. The training is obligatory for all Central Government employees who were aged less than 45 years on 1st January, 1961 except employees below Class III Grade, industrial establishment and work charged staff.

The information regarding parts (a) and (b) in respect of Subordinate Offices is being collected and will be laid on the Table of the House.

मंगलौर-हास्सन रेलवे लाइन

1606. श्री सिद्धनंजप्पा : क्या **रेलवे** मंत्री 24 मार्च, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1486 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि मंगलौर-हास्सन रेलवे लाइन बनाने की दिशा में कितनी प्रगति हुई है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : मंगलौर स्टेशन और पानाम्बर को ब्राड-ग्रेज रेल द्वारा मिलाना का काम आरम्भ हो गया है और अक्तूबर 1964 तक कोई 23 प्रतिशत काम समाप्त कर लिया। मीटर गेज लाइन का हास्सन को मंगलौर से मिलाने के काम की भी अनुमति दे दी है और इस पर भी काम आरंभ हो गया है।

इटारसी स्टेशन के समीप ऊपर का पुल

1607. श्री हरि विष्णु कामत : क्या **रेलवे** मंत्री 25 सितम्बर, 1964 को अतारांकित प्रश्न संख्या 1311 के उत्तर के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सड़क द्वारा यातायात के लिये जो इटारसी (सेंट्रल रेलवे) के दो फाटकों पर एक अपर का पुल बनाया जा रहा है उस पर कुछ कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) यदि हां जो उसका विवरण क्या है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) और (ख) इटारसी-भोपाल सैक्शन के 463/12-13 मील पर जो फाटक है उस पर अपर का पुल बनाने की सामान्य योजना राज्य सरकार को सितम्बर 1964 में भेजी थी परन्तु उनकी स्वीकृति अभी तक नहीं मिली है।

सिंगरैनी कोयला खान

1608. **श्री उमानाथ :**
श्री लक्ष्मी दास :
श्री म० ना० स्वामी :
श्री प० कुन्हन :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश असेम्बली की आंक समिति ने सिंगरेनी कोयले की खानों के काम के बारे में कोई सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन सिफारिशों को व्यवस्थापन ने कार्यान्वित किया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसका कारण क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) आंध्र प्रदेश असेम्बली की आंक समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने मुख्यतः वहां की राज्य सरकार का काम है। फिर भी पता चला है की उनकी एक सिफारिश मान ली है जिसका सम्बन्ध मैनेजिंग डायरेक्टर और जनरल मैनेजर के पद को एक करने से था। दूसरी सिफारिशें राज्य सरकार के विचाराधीन है।

शिमला पहाड़ियों की बुनियाद

1609. **श्री चुनीलाल :**
श्री दलजीत सिंह :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डा० वैस्ट जो कई वर्ष तक भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण के प्रमुख थे, और जिन्होंने बहुत समय तक खोज की है इस परिणाम पर पहूंचे हैं कि शिमला पहाड़ियां कुछ तो चट्टानों के सहारे खड़ी हैं और कुछ सहारा देकर खड़ी की हुई हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस पुरातन पहाड़ी का कुछ भाग पिछले तीन वर्ष से डूबता जा रहा है; और

(ग) यदि हां तो सरकार इन्हें डूबने से बचाने के लिये क्या पग उठा रही है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

———

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

टाउन हॉल के पास और पार्लियामेंट स्ट्रीट पर पटाखों का विस्फोट

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : मैं गृह-मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक-महत्व के निम्न लिखित विषय की ओर दिलाता हूं और निवेदन करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

"15 और 16 दिसम्बर, 1964 को क्रमशः टाउन हाल, दिल्ली के पास और पार्लियामेंट स्ट्रीट पर पटाखों के विस्फोट।"

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : 15 दिसम्बर, 1964 का लगभग 3-15 म० प० टाउन हाल की परिधि में, जहां कि नगर निगम का कार्यालय भी स्थित है, एक ज़ोर की आवाज़ सुनाई दी। टलीफोन द्वारा थाने में सूचना दी गई और उसी समय वहां पुलिस कर्मचारी पहुंच गये। विस्फोट के स्थान पर कोई पत्थर या लोहे के टुकड़े आदि नहीं मिले। एक दूकानदार को बाईं टांग पर मामूली सी चोट आई फिर भी डाक्टरी परीक्षा से यह ज्ञात हुआ कि यह चोट उसे 24/36 घंटे पहले आई थी। उसमें इस बारे में पूछताछ की जा रही है।

16 दिसम्बर, 1964 को पार्लियामेंट स्ट्रीट पर स्थित बाइबल हाउस की परिधि से एक ज़ोर की धमाके की आज़ आई। स्थानीय पुलिस कर्मचारी तत्काल ही वहां पहुंच गये। इन पटाके के विस्फोट से विलोर हस्पताल के एक डाक्टर को, जो कि वहां सैर कर रहे थे, चोटें आईं। उन्हें विलंग्डन हस्पताल ले जाया गया। वहां पता लगा कि उन्हें मामूली चोटें आई हैं और उनका इलाज करके उन्हें वहां से भेज दिया गया।

ऐसा प्रतीत होता है कि यह विस्फोट शरारत के लिये ही किये गये थे। अनुभवी पुलिस अधिकारियों की यह राय है कि ये मामूली प्रकार के पटाखे थे जो कि आमतौर पर आतिशबाज़ी के लिये प्रयोग में आते हैं। इन में विस्फोट नियम का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है। विस्फोटक पदार्थ निरीक्षक की राय में भी यह पटाखे साधारण प्रकार के ही हैं।

इन दोनों घटनाओं के बारे में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 286/337 के अन्तर्गत मामले दर्ज कर लिये गये हैं।

Shri Yashpal Singh : May I know whether the Government has examined if the same material has been used for these crackers which have been exploded both in Jammu and Kashmir as well as in Delhi? May I also know whether some people in Delhi who do not approve of the present democratic set up and have a new democratic set up in their view are responsible for these explosions?

Shri Nanda : I have already explained that these crackers were of an ordinary type. In so far as the democratic set up is concerned, I have got nothing to say.

Shri Onkar Lal Berwa (Kotah) : Such incidents took place also in 1963-64 and the Government called for police personnel from outside Delhi for this purpose. How far did those police personnel succeed to check these incidents?

Shri Nanda : Such incidents did not take place during the last two years. Now they are again taking place since 15th November. Four cases have taken place since then. Police have also detected such cases where some persons possessed the unexploded crackers.

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) : There was an explosion on Asaf Ali Road also when a conference was being held by the Delhi Pradesh Congress regarding their demand for Legislative Assembly in Delhi. Hon. Home Minister was also present there. At that time I was informed on telephone that some person of the Delhi Pradesh Congress had a hand in that. It is being reported in the Press that the same person is responsible for the explosion on Parliament Street. May I know whether the Government has made any enquiry in this respect?

Shri Nanda : I want to make it categorically clear that the Hon. Member has given an exaggerated version. The Government has no such information.

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : मैं जान सकता हूं कि सरकार को ये विस्फोट, जो पिछले आठ वर्षों से हो रहे हैं, रोकने में कितना समय लग जायगा ?

श्री नन्दा : इसके लिये पर्याप्त प्रबन्ध किये गये थे और पिछले दो सालों से ऐसी कोई घटना नहीं हुई। अब ये प्रबन्ध कुछ ढीले पड़ गये होंगे और इनको कड़ा किया जायगा।

Shri Naval Prabhakar (Delhi-Karol Bagh) : May I know what has become of the police squad which was set up to enquire about these explosions. Has that squad been entrusted with this job now?

Shri Nanda : The strength of that squad is being increased.

श्री प्र० चं० बरुआ (शिवसागर) : मैं जान सकता हूं कि सरकार ऐसी शरारत करने वालों को पकड़ने के लिये क्या उपाय कर रही है ?

श्री नन्दा : ये लोग पकड़े जा रहे हैं।

श्री हेम बरुआ (गौहाटी) : क्या मैं जान सकता हूं कि इन विस्फोटों में पाकिस्तानियों का हाथ है।

श्री नन्दा : इस ओर ध्यान दिया जा रहा है। परन्तु जहां तक इस विशेष मामले का सम्बन्ध है स्थानीय ही यह है।

श्री हिम्मत सिंहजी (कच्छ) : मंत्री महोदय ने कहा कि यह मामूली किस्म का पटाखा था। तो क्या इस के विस्फोट होने से जो चोटें आईं वे जलने के कारण आईं या किसी और वजह से ?

श्री नन्दा : पहले मामले में डाक्टरी परीक्षा के अनुसार पुरानी चोट थीं और इसके पटाखे के विस्फोट से कोई सम्बन्ध नहीं था। दूसरे मामले के बारे में अभी सूचना नहीं आई है।

श्रीमती यशोदा रेड्डी (करनल) : क्या इन मामलों से किसी राजनैतिक दल या किसी विशेष समुदाय का संबंध है ?

श्री नन्दा : ये विस्फोट शरारत के तौर पर ही हुये हैं।

डा० सरोजिनी महिषी (धारवाड़-उत्तर) : नगर निगम के सदस्यों ने इस बारे में पुलिस की आलोचना की है। मैं जान सकती हूं कि सरकार पुलिस को सुदृढ़ बनाने के लिये क्या अतिरिक्त उपाय कर रही है ?

श्री नन्दा : इस के लिये पुलिस का एक दस्ता पहले नियुक्त किया गया था। उसे फिर नियुक्त किया जा रहा है और उसमें कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है।

श्री मा० ल० जाधव (मालेगांव) : क्या इन विस्फोटों से नागरिकों में कोई भय उत्पन्न हो गया है।

श्री नन्दा : इन विस्फोटों को रोकना सरकार का फर्ज है परन्तु माननीय सदस्य को पटाखों आदि से नहीं डरना चाहिये।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती (धनबाद.) : अब तक कितने मामलों की जांच की गई है और कितने व्यक्तियों को सजा हुई है ? और क्या इन विस्फोटों के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों और जासूसों के गिरोह में कोई सम्बन्ध है ?

श्री नन्दा : जहां तक मुझे ज्ञात है इन मामलों में से 75 प्रतिशत की जांच हुई है और बहुत से व्यक्तियों को सजा हुई है।

Shri Balmiki (Khurja) : From the success that the Government have achieved in this respect it appears that they are not taking these incidents seriously and Intelligence Department is not paying proper attention to this problem.

Shri Nanda : The Government have decided to pursue these matters vigorously.

Shri Maurya (Aligarh) : What has been done regarding convicting the ferrous who have been arrested in this connection?

Shri Nanda : Enquiry is being conducted in that connection.

Shri Shiv Charan Gupta (Delhi Sadar) : Regarding these explosions in the past two months, the Chief Commissioner of Delhi has observed that the cases of crime in Delhi are on the increase. In the circumstances, do Government propose to take some steps to prevent such cases.

Shri Nanda : The cases of crime have no doubt increased in Delhi. Every effort is being made to prevent occurrence of such cases in future.

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

मंगनीज और (इंडिया) लिमिटेड, नागपुर का वार्षिक प्रतिवेन आदि

इस्पात तथा खान मंत्री के संसद-कार्य सचिव (श्री तिम्मय्या) : श्री संजीव रेड्डी की ओर से मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) समवाय अधिनियम, 1956 की धारा 619—क की उपधारा (1) के अन्तर्गत मंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड, नागपुर की वर्ष 1963—64 के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित, की एक प्रति।

(दो) उक्त समवाय के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 3653/64]

(2) (एक) समवाय अधिनियम, 1956 की धारा 619–क की उप-धारा (1) के अन्तर्गत नैशनल कोल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, रांची का वर्ष 1963–64 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित, की एक प्रति।

(दो) उक्त निगम के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखीये संख्या एल०टी० 3654/64]

विभिन्न आश्वासनों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही बताने वाले विवरण

संचार तथा संसद-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

तीसरी लोक-सभा के विभिन्न सत्रों में मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही बताने वाले विवरण :—

(एक) विवरण संख्या 1 . . .	दसवां सत्र, 1964
(दो) अनुपूरक विवरण संख्या 2 .	नवां सत्र, 1964
(तीन) अनुपूरक विवरण संख्या 4	आठवां सत्र, 1964
(चार) अनुपूरक विवरण संख्या 7 . .	सातवां सत्र, 1964
(पांच) अनुपूरक विवरण संख्या 10 . . .	छठा सत्र, 1963
(छ) अनुपूरक विवरण संख्या 12 . .	पांचवां सत्र 1963

[पुस्तकालय में रखे गये। देखिये क्रमशः संख्या एल० टी० 3655 से 3660/64]

निर्यात (किस्म नियंत्रण और निरीक्षण) नियम

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : मैं निर्यात (किस्म नियंत्रण और निरीक्षण) एक्ट, 1963 की धारा 17 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत दिनांक 14 सितम्बर, 1964 की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3317 में प्रकाशित, निर्यात (किस्म नियंत्रण और निरीक्षण), नियम, 1964 की एक प्रति सभा-पल पर रखता हूं। **[पस्तकालय में रखी गई।** दीखेंयें संख्या एल०टी 3661/64]

नमक उप-कर (संशोधन) नियम. 1964 आदि

उद्योग तथा सम्भरण मंत्रालय में भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह): मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) नमक उप-कर अधिनियम, 1963 की धारा 6 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत, दिनांक 28 नवम्बर, 1964 की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 4037 में प्रकाशित, नमक उप-कर (संशोधन) नियम, 1964 की एक प्रति।

(2) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 30 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत दिनांक 11 दिसम्बर, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1781 में प्रकाशित औद्योगिक उपक्रमों का पंजीयन और लाइसेंस देना (संशोधन) नियम, 1964 की एक प्रति।

(3) (एक) समवाय अधिनियम, 1956 की धारा 619–क की उपधारा (क) के अन्तर्गत, नैशनल इन्डस्ट्रियल डेंलवपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1963–64 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित, लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित की एक प्रति।

(दो) उक्त निगम के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 3664/64]

वर्ष 1962-63 के लिये केन्द्रीय रेशम बोर्ड के लेखे सम्बन्धी लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : मैं वर्ष 1962–63 के लिये केन्द्रीय रेशम बोर्ड के लेंखे संबंधी लेंखापरीक्षा प्रतिवदन की एक प्रति सभापटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 3665/64]**

राज्य सभा से संदेश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : मुझे राज्यसभा के सचिव से प्राप्त इस सन्देश की सूचना देनी है :—

"कि राज्य–सभा की केरल विनियोग विधेयक 1964 के बारे मे, जो लोक सभा द्वारा 10 दिसम्बर, 1964 को पारित किया गया था, लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है"।

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

संचार तथा संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : श्रीमान् आपकी अनुमति से मुझें यह घोषणा करनी है कि 21 दिसम्बर, 1964 से प्रारम्भ होने वालि सप्ताह के लिये सभा में यह सरकारी कार्य लिया जायेगा :—

(1) भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक, 1964 **(विचार तथा पारित करना)**

(2) समवाय (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1964
(संयुक्त समिति को सौंपने सम्बन्धी प्रस्ताव पर (आगे विचार)

(3) सरकारी प्रन्यासी (संशोधन) विधेयक, 1964, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में **(बिचार तथा पारित करना)**

(4) निरसन और संशोधन) विधेयक, 1964, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में **(विचार तथा पारित करना)**

(5) स्वर्ण (नियंत्रण) विधेयक, 1964, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में **(विचार तथा पारित करना)**

(6) गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा पेश किये जाने वाले प्रस्ताव पर संघ लोक-सेवा आयोग की तेरहवां और चौदहवा प्रतिवेदन पर चर्चा।

(7) बीज विधेयक, 1964, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में **(विचार तथा पारित करना)**

(8) पिछड़े वर्ग आयोग का प्रतिवेदन (खंड 1–3), उन पर की गई कार्यवाही बताने वाले ज्ञापन सहित, पर आगे चर्चा।

(9) **बुधवार, 23 दिसम्बर, 1964 को 4-30 बजे म० प०** मोटर के निर्माण, खपत और मूल्य पर चर्चा का उद्योग मंत्री द्वारा उत्तर।

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : मैंने नागालैंड में शान्तिवार्ता के सम्बन्ध में अपने अनिश्चित दिन वाले प्रस्ताव के बारे में पिछली बार भी पूछा था। क्या मैं जान सकता हूं कि उसे अगले हफ्ते के कार्य में भी क्यों नहीं लिया गया है ?

Dr. Ram Manohar Lohia (Ferrukhabad) : I have moved a motion regarding the Prime Minister. That should also be included in the Business of the House.

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : राष्ट्रपति के निर्देश पर उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये मत के बारे में इसी सत्र में चर्चा होनी थी। उसका क्या हुआ ? मैं सरकार से इस बारे में ठीक ठीक उत्तर चाहता हूं। दूसरे यह कि सरकार ने पिछले सत्र में यह आश्वासन दिया था कि इस सत्र के दौरान एकस्व विधेयक (पेटेंट बिल) सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा। वह विधेयक अभी तक नहीं लाया गया है। अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि कुछ दिन पूर्व संसद-कार्य मंत्री ने सभा में गणपूर्ति (कोरम) बनाये रखने के लिये अपनी असमर्थता प्रकट की थी और यह आश्वासन दिया था कि वे इस उद्देश्य से संविधान में संशोधन करेंगे। इस सम्बन्ध में क्या मैं उन से आशा कर सकता हूं कि अगले सत्र में गणपूर्ति के बारे में कोई कठिनाई नहीं आयेगी ?

Shri Kishan Pattnayak (Sambalpur) : It appears to me that the Prime Minister is obstructi g the proceedings of the House as he is not paying any heed to the censure motion moved against him.

श्री नाथ पाई (राजापुर) : बोनस आयोग के प्रतिवेदन पर भी इसी सत्र में चर्चा होनी थी। उसके बारे में भी कुछ नहीं कहा गया है।

Shri Satya Narayan Sinha : I would reply to Dr. Lohia first. He raised three questions. Two of them *i.e.*, *re.* jeeps and the Ministers' stay in the villages have been discussed in this House in one form or the other. Regarding the third point, *i.e.*, the Statement made by the Prime Minister in connection with China, correspondence is going on. In addition to it, according to the procedure of the House all the No-day-yet-Named motions which are accepted by you are submitted to the Sub-Committee of the Business Advisory Committee for their consideration. We take up them in the House according to the priority fixed by the Sub-Committee. Dr. Lohia's motion has not so far reached the Sub-Committee and, therefore, it cannot now be taken up in the House.

We are contemplating to bring some measure during the next Session to do away with the difficulties which arise because of lack of quorum in the House. In so far as the Opin on given by the Supreme Court is concerned, it is well-known that all the group leaders met last week and discussed this matter. We are meeting tomorrow again and we will act according to the decision that will be arrived at. According to the Minister of Industries, the Patents Bill will be brought in the House during the next Session. The position regarding Nagaland is that the Minister in-charge is not here, and therefore, I would like to request the hon. member to take up this matter during the next Session. Regarding Bonus Commission Report we are waiting for the recommendations of the Sub-Committee consisting of the representatives of the employers and the workers.

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : According to the Minister of Parliamentary Affairs my motion has been discussed. But if you peruse that motion again, you will conclude that that has not been discussed. My motion is regarding self-contradictory Statement. You have admitted that motion. Last time the hon. Minister of Parlimentary Affairs did not advance these arguments but only told that that motion would be taken up after the return of the Prime Minister. I would therefore, submit that a date may immediately be fixed for discussing that motion.

Mr. Speaker : Priority is given only to the no-confidence motions . In so far as the censure motions are concerned, I admit them if they are in order, and it is for the Government to find time for a discussion thereon.

Dr. Ram Manohar Lohia : Then I would like the hon. Minister of Parliamentary Affairs to allot some time for this motion on Monday failing which I shall be constrained to find out some other methods.

दिल्ली स्थित पाकिस्तानी राजनयिक का निष्कासन तथा पाकिस्तान द्वारा बदले की भावना से की गई इस प्रकार की कार्यवाही के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE : EXPULSION OF A PAKISTANI DIPLOMAT IN DELHI AND RETALIATORY ACTION BY PAKISTAN

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : मैंने राजकीय रहस्य अधिनियम की धारा 3 के अधीन सात व्यक्तियों को गिरफ्तार किये जाने के बारे में कल एक वक्तव्य दिया था। मैंने यह भी कहा था कि उपयुक्त राजनयिक कार्यवाही भी की गई है। जिस राजनयिक कार्यवाही की ओर मैंने निर्देश किया था वह यह जी कि 16 दिसम्बर के दोपहर बाद हमारे विदेश सचिव में पाकिस्तानी उच्च आयुक्त से निवेदन किया था कि पाकिस्तान उच्च आयुक्त के द्वितीय सचिव श्री गुलाम मुहम्मद को 24 घंटों के अन्दर अन्दर दिल्ली से भेज दिया जाये। पाकिस्तानी उच्च आयुक्त इस बात को मान गये परन्तु उन्होंने यह प्रार्थना की कि इस बात को किसी को तब तक न बताया जाये जब तक कि वह अधिकारी भारत न छोड़ दे। वह प्रार्थना मान ली गई और इसी कारण मैंने यह सूचना कल सभा में नहीं दी। हमारे पास जो सूचनायें आई हैं उनके आधार पर हमें यह पूर्ण विश्वास है कि द्वितीय सचिव, श्री गुलाम मुहम्मद जासूसी करते थे। इस घटना के मुख्य अभियुक्त के पास, जिसको उनके निवास स्थान के पास गिरफ्तार किया गया था, उस समय कुछ रहस्य के कागजात मिले और उसने मैजिस्ट्रेट के सामने इस द्वितीय सचिव के बारे में कहा। द्वितीय सचिव को अपराधी ठहराने के लिये और भी मौखिक तथा लिखित साक्ष्य मौजूद है।

कल शाम को पाकिस्तानी उच्च आयुक्त द्वारा जो बयान दिया गया है उसमें कहा गया है कि पिछले एक मामले में जिसमें पाकिस्तानी उच्च आयुक्त के पदाधिकारियों में से एक को इस देश से निकाल जाने के लिये कहा गया था, श्री भट्टाचार्य को, जिसके कहने पर यह कार्यवाही की गई थी, जांच करने वाले मैजिस्ट्रेट ने साक्ष्य न मिलने के कारण छोड़ दिया था। सच तो यह है कि श्री भट्टाचार्य पर कोई मुकदमा नहीं चलाया गया और उसे राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में निवारक निरोध में ही रखने का निर्णय किया गया था। माननीय सदस्यों ने यह देखा होगा कि पाकिस्तान सरकार ने बदला लेने की खातिर पाकिस्तान स्थित हमारे उच्च आयुक्त के द्विताय सचिव पर झूठे आरोप लगा कर पाकिस्तान छोड़ने को कहा है।

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) : On a previous occasion also such incident took place when three Pakistanis carrying air force secrets were arrested in a Delhi hotel. On that occasion also our Government, on a request from Pakistan Government, assured them that the matter would not be made public for three days. The Pakistan Government took diplomatic advantage of this and before we had made any announcement, they made an announcement asking three Indian nationals to withdraw from Karachi. We committed a mistake last time and this time again we have done the same thing. May I know how Government commit such mistakes?

Shri Nanda : The hon. member is not making a correct statement. We have not committed any mistake. It is obvious that they have asked the Indian officer to withdraw from Karachi in retaliation. Moreover according to an international convention we have to give them some time to clear up. There is no mistake in it.

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : पिछली बार भी ऐसे एक जासूसी के मामले में सरकार ने गलती की थी और अब भी वही गलती की गई है। मैं जान सकता हूं कि बार बार वही ग़लतियां क्यों हो रही हैं।

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर आ चुका है। वह कहते हैं कि कोई ग़लती नहीं हुई है।

श्री दी० चं० शर्मा : मैं जान सकता हूं कि इन घटनाओं को रोकने के लिये सरकार क्या उपाय कर रही है ?

श्री नन्दा : क्योंकि इस बार रहस्य आदि पाकिस्तान भेजने से पहले ही यह व्यक्ति पकड़े गये हैं इस से पता लगता है कि सरकार इस बारे में काफी सतर्क है।

डा० सरोजिनी महिषी (धारवाड-उत्तर) : यह भी बताया गया है कि इस जासूसी कार्य में सेना के कुछ बड़े अधिकारियों का भी हाथ है। तो क्या इस बारे में और भी सूचना मिली है ?

श्री नन्दा : मेरे पास इस बारे में और कोई सूचना नहीं है।

Shri Jagdev Singh Siddhanti (Jhajjar) : Generally it is seen that whenever such incidents in relation to Pakistan take place and that matter is discussed in the House, some officer from Pakistan High Commission comes to witness the proceedings of the House and takes a copy of the Ministers' statement from the Press Reporters. May I know why no attention is paid to it ?

श्री हेम बरुआ : पिछले ऐसे तीनों अवसरों पर पाकिस्तान के उच्च आयुक्त का पदाधिकारी डिपलोमैट गैलरी में बैठा हुआ था।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बारे में पता करूंगा।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : अध्यक्ष महोदय, यह एक गम्भीर मामला है। मैं जान सकता हूं कि इन गिरफ्तार किये गये लोगों के विरुद्ध राजकीय रहस्य अधिनियम के अन्तर्गत ही कार्यवाही क्यों की जा रही है और इनके विरुद्ध देशद्रोह के लिये भारत सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही क्यों नहीं की जाती ?

श्री नन्दा : इस समय तो इनके विरुद्ध इसी अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है। यदि किसी और अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करने की आवश्यकता हुई तो हमें अवश्य ही उस पर विचार करेंगे।

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : क्या मैं जान सकता हूं कि पाकिस्तान हर ऐसे अवसर पर समय क्यों मांगता है और उस दौरान में हमारे कर्मचारी को वहां से निकाल कर दुनिया को यह क्यों ज़ाहिर करता है कि भारत ने बदला लेने की खातिर कार्यवाही की है ?

श्री नन्दा : तथ्य हमारे सामने थे और उन्हीं के आधार पर यह निर्णय लिया गया था। पाकिस्तान का पदाधिकारी कल पांच बजे यहां से चला गया है और हमारे द्वितीय सचिव आज वहां से चलेंगे। इससे यही पता लगता है कि उन्होंने उनका बदला लेने की खातिर कार्यवाही की है।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : माननीय मंत्री ने इन रहस्यों का ब्योरा देने से इनकार किया है। तो कम से कम वह यह बता सकते है कि इन कागज़ात का भारत की रक्षा से कोई सम्बन्ध है।

श्री नन्दा : इस बारे में अधिक जानकारी नहीं दी जा सकती।

Shri C. L. Chaudhri (Mahua) : In my humble opinion we should not press the Government to give secret information regarding Defence etc. I would request the hon. members of the Opposition not to ask such questions here.

Shri Nath Pai : We understand our duty well.

श्रीमती यशोदा रेड्डी (करनूल) : माता का पत्र आने के बाद अपराधियों को पकड़ने में इतनी देर क्यों की गई। मैं यह भी जानना चाहूंगी कि जासूसों के पूरे गिरोह को पकड़ लिया गया है अथवा नहीं ?

श्री नन्दा : इस बारे में किसी माता का प्रश्न बिल्कुल भी उत्पन्न नहीं होता।

भारतीय प्रशुल्क संशोधन विधेयक

INDIAN TARIFF (AMENDMENT) BILL

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय प्रशुल्क अधिनियम, 1934 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय प्रशुल्क अधिनियम, 1934 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री मनुभाई शाह : श्रीमन्, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : श्रीमन्, संसद्-कार्य मंत्री ने पिछले आय-व्ययक सत्र में यह आश्वासन दिया था कि किसी सत्र में ऐसे किसी विधेयक पर विचार नहीं किया जायेगा जो कि उस सत्र की पहली कालावधि में पुरःस्थापित न किया गया हो। इस विधेयक को आज पुरःस्थापित किया गया है और सोमवार या अगले सप्ताह में किसी समय इस पर चर्चा होगी। यह उनके आश्वासन के विरुद्ध है।

अध्यक्ष महोदय : इस विधेयक पर चर्चा के समय आपके प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

विनियोग (रेलवे) संख्या 3 विधेयक, 1964

APPROPRIATION (RAILWAYS) NO. 3 BILL, 1964

रेल्वे मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम सुभग सिंह) : श्रीमन् मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तिय वर्ष 1964-65 में रेलवे के निमित्त सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान और विनियोजन का प्राधिकार देने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1964-65 में रेलवे के निमित्त सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान और विनियोजन का प्राधिकार देने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

डा० राम सुभग सिंह : श्रीमन्, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : श्रीमन्, कल मैं ने रेलवे उपमंत्री से नये रेलवे खण्ड पर किये जाने वाले निर्णय के बारे में पूछा था परन्तु उन्होंने कोई भी उत्तर नहीं दिया । परन्तु आज समाचार-पत्रों में लिखा है कि सरकार ने यह नया खण्ड बनाने का निर्णय कर लिया है । यदि ऐसा है तो कल सभा को यह सूचना क्यों नहीं दी गई ?

श्री रंगा (चित्तूर) : वह निर्णय बाद में किया गया होगा ।

डा० राम सुभग सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1964-65 रेलवे के निमित्त सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान और विनियोजन का अधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष रेलवे के निमित्त सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों का भुगतान और विनियोजन का प्राधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खण्डशः विचार करेंगे ।

श्री रंगा (चित्तूर) : मैंने और बहुत से अन्य सदस्यों ने सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया है कि चौकीदार न होने के कारण रेलवे फाटकों पर बहुत सी दुर्घटनायें हो रही हैं । कई ऐसे स्थान है जहां कि लाइन के पार करने के स्थान के समीप ही कुछ सब-वे हैं । मैंने अपने निर्वाचन-क्षेत्र में कुप्पम के स्थान पर एक ऐसे मामले की ओर सरकार का ध्यान दिलाया है । इस स्थान पर बैल गाड़ियों को गुज़रने से रोकने के लिये एक खम्बा गाड़ दिया गया है । उसे हटा करके इस मार्ग को काम में लाया जा सकता है । सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये क्योंकि स्थानीय पंचायत इस बारे में कुछ धन खर्च करने में असमर्थ है । यदि इस बारे में नियम सम्बन्धी कुछ बाधा हो तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा की वह नियमों में परिवर्तन करे ।

डा० राम सुभग सिंह : इस विधेयक में हमने डांटेवाडा और भद्राचलम को प्रस्तावित रेल लाइन द्वारा मिलाने के लिये प्रारम्भिक इंजीनियरी और अन्तिम रूप से स्थान ढूंढने सम्बन्धी सर्वेक्षण के बारे में केवल दस हज़ार रुपये की मांग की है । इस विधेयक पर चर्चा के समय श्री रंगा ने फाटकों का प्रश्न उठाया है । उन्हें ज्ञात है कि इस समय देश में 33,000 फाटक हैं ।

अध्यक्ष महोदय : वह 33,000 फाटकों के बारे में नहीं बोल रहे हैं । उन्होंने तो केवल एक के बारे में ही कहा है । उस पर विचार किया जा सकता है ।

डा० राम सुभग सिंह : हम इस की जांच करेंगे और यदि इस बारे में कुछ हो सकता हो तो किया जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय : श्री नम्बियार ने नया रेलवे खण्ड बनाये जाने के बारे में जो समाचार प्रकाशित हुआ है उस सम्बन्ध में प्रश्न पूछा था ।

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : इस विषय पर माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न पूछे जाने के बाद चर्चा हुई थी ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, 2, 3, अनुसूची, तथा अधिनियमन सत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 1, 2, 3, अनुसूची तथा अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 1, 2, 3, the Schedule, the Enacting Formula and the title were added to the Bill.

डा० राम सुभग सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

समवाय (दूसरा संशोधन) विधेयक—जारी

COMPANIES (SECOND AMENDMENT) BILL—*Contd.*

अध्यक्ष महोदय : सभा अब श्री ति० त० कृष्णमाचारी द्वारा 17 दिसम्बर, 1964 को प्रस्तुत किये गये निम्न लिखित प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा करेगी, अर्थात् :

"कि समवाय अधिनियम 1956 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को दोनों सभाओं के 45 सदस्यों की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाये जिसमें इस सभा के 30 सदस्य....."

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : कल मैं यह बता रहा था कि विधि द्वारा काफी शक्तियां दिये जाने के बावजूद भी सरकार कदाचारों को रोकने के लिये पर्याप्त उपाय नहीं कर सकी है। समवाय विधि प्रशासन इस कार्य में असफल रहा है । मूंदड़ा काण्ड का पता भी निदेशकों द्वारा मामले दर्ज कराये जाने के बाद लगा था और इसका श्रेय समवाय विधि प्रशासन को नहीं जाता ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये ।]

[**Mr. Deputy Speaker in the Chair.**]

दफ्तरी समिति ने समवायों द्वारा किये जाने वाले झूठे सौदों के बारे में कहा है परन्तु इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाती हालांकि समवाय अधिनियम 1956 की धारा 49 में ऐसी बातों के लिये पर्याप्त दण्ड देने का उपबन्ध है । इस बात का यही इलाज है कि इस अधिनियम के उपबन्धों को ठीक प्रकार लागू किया जाये और अपचारी निदेशकों को दण्ड दिया जाये । यदि सरकार ऐसा नहीं करेगी तो इस विधेयक के पारित हो जाने से भी कोई विशेष परिणाम नहीं निकलेंगे ।

वित्त मंत्री महोदय को यह बताना चाहिये कि इन विधियों का प्रभावपूर्ण ढंग से लागू करने के लिए समवाय विधि प्रशासन का पुनर्गठन किस प्रकार किया गया है ।

दफ्तरी-शास्त्री समिति ने कुछ सिफारिशें की हैं जिनमें कहा गया है कि प्रबन्ध पर नियंत्रण करने के लिए शेयरो में गड़बड़ की जाती है । इन समवायों में जो आम हेराफेरी चलती है वह अनाम हस्तान्तरण तथा अंशों को ब्लॉक्स में सुरक्षित रखे जाने के कारण होती है जिससे अंशधारियों को हानि उठानी पड़ती है । इसके अतिरिक्त समवायों को परस्पर जोड़कर और असम्बन्धित समवायों के विस्तार करके भी हेराफेरी की जाती है ।

मेरे विचार में प्रबन्धक अधिकरण पद्धति ही इस परेशानी की मूल जड़ है । अतः वित्त मंत्री महोदय को उक्त पद्धति समाप्त कर देनी चाहिए । इस प्रणाली के कारण कारोबार में अंशधारियों का न तो हाथ ही होता है और न उनकी कोई आवाज ही सुनी जाती है ।

स्टॉक एक्सचेन्जों के बारे में भी सरकार को अनुशासन तथा निर्देशक सम्बन्धी व्यवस्था करनी चाहिये ताकि उद्योगों का विकास हो सके ।

विधेयक के खण्ड 5 के बारे में भी वित्त मंत्री जी को स्पष्टीकरण करना चाहिए । दफ्तरी-शास्त्री समिति की एक मुख्य सिफारिश यह है कि जब कभी समवाय के उद्देश्यों में परिवर्तन करना हो तो समवाय का आरम्भ करने तथा उद्देश्यों के बारे में बताने वाला एक विज्ञापन समाचार पत्रों में प्रकाशित कर देना चाहिये और यदि वे कोई अन्य नया कारोबार आरम्भ कर रहे हों तो भी उसी तरह प्रमुख रूप से प्रकाशित किया जाना चाहिए । अतः प्रस्तुत विधेयक में इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए ।

विधेयक के खण्ड 9 की धारा 69 में संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है । धारा 69 के अन्तर्गत नियमों के उल्लंघन किये जाने पर 5,000 रुपये जुर्माना किये जाने की व्यवस्था की गई थी । किन्तु प्रस्तुत विधेयक की धारा 69 की उपधारा (4) के स्थान पर एक नई उपधारा रखी जा रही है जिस में ऐसी कोई व्यवस्था नही की गई है । धारा 73 में भी, जिसका संशोधन किया जा रहा है, उसका कोई उल्लेख नहीं है । अतः वित्त मंत्री महोदय इस विशेष व्यवस्था के हटाये जाने के कारणों के बारे में स्पष्ट रूप से बतायें ।

मूल्यों पर नियंत्रण रखने के लिए भी एक लागत-लेखा अनुभाग (कॉस्ट अकाउंटिंग सेल) स्थापित किया जाना चाहिये ।

श्रीमती रेणुका राय (माल्दा) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत विधेयक के कुछ उपबन्ध अति सराहनीय हैं, जांच आयोग के प्रतिवेदन तथा दफ्तरी-शास्त्री समिति की सिफारिशों के परिणाम स्वरूप इस बात का पता चला है कि समवायों में जो गड़बड़ होती है उनमें कुछ लोगों का अप्रत्यक्ष हाथ होता है और दोषी अन्य व्यक्तियों को ठहराया जाता है । अतः इस विधेयक में की गई विस्तृत परिभाषा के आधार पर वास्तविक दोषी पकड़ा जायेगा ।

[श्रीमती रेणुका राय]

विधेयक का खण्ड 5 बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें समवाय के मुख्य एवं सहायक उद्देश्यों की व्यवस्था की गई है। मुझे विश्वास है कि संयुक्त समिति प्रस्तुत उपबन्धों में कोई परिवर्तन नहीं करेगी।

खण्ड 13 विधेयक का वास्तव में एक आवश्यक तथा महत्वपूर्ण खण्ड है। इसमें अनाम हस्तान्तरण को रोकने की व्यवस्था की गई है जिससे बुराइयों को पैदा करने वाले कई कार्य रूक जायेंगे। लागत लेखा पालन के लिए भी एक विभाग स्थापित किया जाना आवश्यक है, और मुझे हर्ष है कि विधेयक में इसकी समुचित व्यवस्था की गई है। मैं श्री मसानी तथा श्री मुरारका की इस बात से सहमत नहीं हूं कि अब हालातों को देखते हुये ऐसे उपबन्धों की कोई आवश्यकता नहीं रही। क्योंकि समवायों तथा निगम क्षेत्र में कदाचरण सम्बन्धी सभी प्रकार के कार्य अर्थात्, अनुशासन हीनता, कर अपवंचन, धन छिपाकर रखा जाना, विदेशी मुद्रा-सम्बन्धी नियमों का उल्लंघन आदि, होते रहते हैं। अतः सरकार को इन उपबन्धों द्वारा दोषी का पता लगाने में आसानी हो जायेगी, मेरे विचार में सच्चे एवं ईमानदार व्यापारी तथा सम्बन्धितवर्ग को इस विधयक की सराहना करनी चाहिए क्योंकि इसका उद्देश्य गर-सरकारी क्षेत्र को कम करने अथवा दबाने का नहीं अपितु उसे नियमित करके औद्योगिक विकास की और भी प्रगति करने का है।

प्रस्तुत विधेयक के कई खण्ड प्रक्रिया को सरल बनाने के बारे में हैं, परन्तु इस प्रक्रिया को और भी सरल किया जा सकता है। कानून को सरल बनाना चाहिए। यह भी नितान्त आवश्यक है कि बुराइयों को रोकने के लिए उपबन्धों को कठोर किया जाना चाहिए।

मुझे आशा है कि संयुक्त समिति प्रस्तुत विधेयक में प्रक्रिया को सरल बनाने के बारे में विचार करेगी और आवश्यकता समझने पर अन्य उपायों का भी सुझाव देगी ताकि समवाय अधिनियम को बार-बार संशोधन न करना पड़े। मैं विधेयक का संयुक्त समिति को सोंपे जाने का समर्थन करती हूं।

श्रीमती शारदा मुकर्जी (रत्नागिरी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत विधेयक का स्वागत करती हूं। पिछले कुछ वर्षों में देश में बड़े पैमाने पर औद्योगिक प्रगति हुई है और जनता द्वारा इस क्षेत्र में पूंजी लगाये जाने में काफी वृद्धि हुई है, अतः सरकार द्वारा ऐसे कदम उठाये जाने परम आवश्यक हैं जिनसे कि अंशधारियों को पर्याप्त संरक्षण मिल सके।

कुछ सार्वजनिक सीमित समवायों में अन्धाधुन्ध तरीके से होने वाले कामों को यदि रोका न गया तो देश की सम्पूर्ण अर्थ व्यवस्था खतरे में पड़ जायेगी। इस विधेयक के पारित किये जाने पर, जैसा कि इसके उद्देश्य तथा कारणों के विवरण में कहा गया है, पूंजी का विनियोजन करने वालों के हित में समवायों की निधि तथा आस्तियों का समुचित प्रशासन सुनिश्चित किया जायेगा। इससे सरकार का विनियोजन सम्बन्धी मामलों पर नियंत्रण रहेगा उनकी प्रभावपूर्ण लेखा-परीक्षा की जायेगी तथा प्रक्रिया सम्बन्धी मामलों को भी सरल बनाया जायगा।

विधान को खण्डशः समय-समय पर लागू करने से धन बाज़ार में कोई असर नहीं पड़ता है। किन्तु यदि थोड़े समय के लिये मन्दी आती है तो उसका कारण वे लोग हो सकते है जिनका उसमें स्वार्थ निहित है और यदि वह मन्दी अधिक समय तक चलती है तो उसके कुछ और ही गम्भीर आर्थिक कारण हो सकते हैं; चाहे कुछ भी हो, इसका सम्बन्ध उस सरकारी नियंत्रण को कठोर किये जाने से कुछ भी नहीं होता है जो कि प्रबन्ध सम्बन्धी शक्तियों तथा विशेषाधिकारों के दुरुपयोग को रोकने के लिए किया जाता है।

नियमित निधि (कार्पोरेट फंड) अन्य लोगों की धनराशि होती है जो विश्वास पर रखी जाती है। अतः उसका उपयोग किसी व्यक्तिविशेष की इच्छा पर नहीं किया जा सकता है।

इस धन का व्यक्तिगत हित में उपयोग किया जाना विश्वासघात है। इसी प्रकार–निगम की शक्तियों का प्रयोग भी अंशधारियों के हित में होना आवश्यक है इसलिए खण्ड 46, जिसमें प्रबन्धकवर्ग द्वारा समवाय को अथवा एक समवाय द्वारा दूसरे समवाय को प्रदत्त पूंजी तथा उन्मुक्त रक्षितनिधि के आधार पर 20 प्रतिशत तथा 30 प्रतिशत ऋण देने की व्यवस्था की गई है, एक महत्वपूर्ण खण्ड है।

मैं समझती हूं कि खण्ड 15 में यह उपलब्ध करना महत्वपूर्ण नहीं है कि एक आम बैठक में अंशधारियों की स्वीकृति एक संकल्प पारित करके ली जाये, क्योंकि प्रबन्धकवर्ग का प्रभाव अंशधारियों से कहीं अधिक होता है और उनकी इच्छानुसार ही काम होता है।

विनियोजकों के धन का उचित प्रयोग के बारे में प्रबन्धकवर्ग आवश्यक रूप से उत्तरदायी है। धन का दुरुपयोग किये जाने पर, श्रमिक, संभरणकर्ता, क्रेता तथा उपभोक्ता सभी पर बुरा असर पड़ता है। इससे लागत-मूल्य और उपभोक्ता के लिये वस्तु की उपलब्धता आदि पर भी असर पड़ता है। अतः आधुनिक प्रजातंत्रीय समाज में समवायों पर राज्य नियंत्रण अति अनिवार्य और महत्वपूर्ण है।

विधान का समुचित व प्रभावी ढंग से लागू किया जाना ही सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। प्रशासनिक कुशलता तथा न्यायाधिकरणों द्वारा प्रदत्त अधिकारों का सही-सही प्रयोग किये जाने पर ही विधेयक की उद्देश्यों की पूर्ति होती है, समाज का सहयोग भी इस कार्य में आवश्यक होता है। मुझे आशा है कि सरकार संसद द्वारा दिये गये विस्तृत अधिकारों का प्रयोग सावधानी एवं उत्तरदायित्व की भावना से करेगी।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करती हूं।

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मंदसौर) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत विधेयक गैर सरकारी क्षेत्र के कार्यों में बाधा उत्पन्न करने वाला है। इसका स्थान वास्तव में तब सुनिश्चित किया गया था जब हमने कल्याणकारी राज्य का सिद्धान्त स्वीकार किया था। सम्भवतः सरकार ने उस समय ऐसा सोचा था कि कोई भी गैर-सरकारी क्षेत्र नहीं रहने दिया जायगा और केवल सरकारी क्षत्र ही रहेगा।

प्रस्तुत विधेयक के द्वारा वास्तव में एक ऐसी स्थिति आ जायेगी, जब यह कहा जा सकेगा कि हमारे पास व्यापारीवर्ग को भगाने की अधिक शक्ति है। क्योंकि व्यापारियों को सभी छोटे छोटे कामों के लिए किसी न किसी रूप में मंजूरी लेने के लिए सरकारी पदाधिकारियों के पास जाना पड़ेगा।

प्रस्तुत विधेयक से यदि लाभ होगा तो केवल उन अधिकारियों को जो इसे लागू करेंगे।

खण्ड 3 (दो) एक नितान्त भ्रामक और और गन्दा उपबन्ध है। यह आम बात है कि हरएक व्यक्ति सलाह मांगता है और अन्य व्यक्ति सलाह देते हैं। इस विधेयक में यह उपबन्ध है कि यदि कोई व्यक्ति सलाह नही मांगता और उसे जो व्यक्ति सलाह देगा वह दूसरें व्यक्ति द्वारा किये गये कार्य के लिये उत्तरदायी होगा। समुचे कदाचारों का मुल कारण बेईमानी और भ्रष्टाचार है जो दूर-दूर तक फैला हुआ है। इसे दूर करना चाहिए। प्रस्तुत विधेयक द्वारा यह दूर नहीं किया जा सकता।

खण्ड 13 द्वारा मूल अधिनियम की धारा 108 में जोड़ा जाने वाला प्रस्तावित नया उपखण्ड (1क) के कारण सम्बन्धित अधिकारी विलम्ब करने वाले तरीके अपनायेंगे। इससे प्रत्येक व्यापारी

[श्री उ० मू० त्रिवेदी]

तथा प्रत्येक व्यक्ति के लिये, जो अंशों के हस्तान्तरण द्वारा कुछ धन जुटाना चाहेगा, बाधा पैदा होगी, क्योंकि अब यह काम सरकारी अनुमति से निर्धारित ढंग से ही करना पड़ेगा। सम्बन्धित अधिकारी इन लोगों को बाधा पहुंचाते हैं और जब तक ऐसा नही किया जायेगा वे काम नही करेंगे।

संयुक्त समिति को इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या इस विधेयक के उपबन्धों में संशोधन करके इसको अधिक उपयुक्त, कम प्रतिबन्ध वाला तथा निगमित क्षेत्र के प्रगति के लिए सहायक बनाया जा सकता है।

श्री व० ब० गांधी (बम्बई नगर-मध्य दक्षिण) : गत कुछ वर्षों में इस देश में समवाय विधान बनाने का हमारा रिकार्ड काफी सराहनीय रहा है। लेकिन भय होता है कि अधिनियम में बहुत संशोधन करने के परिणाम स्वरूप अनेक अनावश्यक उपबन्ध न ज़ोड़ दिये जाये जिससे अधिनियम अधिक जटिल बन जाये। समवायों के विनियमन करने के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिये यह आवश्यक है कि हमें उन लोगों का सहयोग प्राप्त हो जो इन समवायों को चलाते हैं। उनके कानून के पालन के स्वभाव में परिवर्तन होना चाहिये तथा उनके नैतिक व्यवहार स्तर में सुधार होना चाहिये। हम देखते हैं कि व्यापार तथा उद्योग के सामाजिक दायित्व और निजी आवश्यकताओं तथा स्थिति के बीच समंजन की इच्छा बढ़ती रही है। 1956 तथा 1960 में बनाये गये व्यापक विधान के परिणामस्वरूप बहुत प्रगति व सुधार हुआ है तथा समय पर समवाय कानून का नियमित पालन के स्वभाव तथा नैतिक व्यवहार के स्तर में वृद्धि हुई है। संयुक्त समिति को इस ओर ध्यान देना चाहिये तथा विचार करना चाहिये कि प्रस्तावित विधान आवश्यक है या नहीं और इससे अतिद्वादित या दोहरा विधान न बनें। इस प्रश्न पर भी विचार करना चाहिये कि क्या विधेयक के उपबन्धों में रुपभद किया जा सकता है जिससे वे निगम-क्षेत्र के विकास में अधिक सहायक हो सकें।

जिन निजी समवायों के अंश भारत के बाहर निगमित निकाय निगमों के पास हैं उनको धारा 43क के उपबन्धों से विमुक्त करने का केन्द्रीय सरकार को शक्ति देने सम्बन्धी संशोधन का स्वागत करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि संयुक्त समिति अनाम हस्तान्तरण संबंधी खंड 13 की पूरी जांच करे। ब्रिटेन को छोड़कर सभी देशों में यह प्रणाली प्रचलित है। यह कहा जाता है कि इसके कारण लाभान्वित मालिक का अस्तित्व छिपा रहता है और इससे कर-अपवंचन होता है। इन त्रुटियों को काफी हदतक पहले से विद्यमान 1956 के समवाय अधिनियम 1956, 1956 के प्रत्याभूतियाँ (नियमन तथा नियंत्रण) अधिनियम और आय-कर, अधिनियम के उपबन्धों के द्वारा दूर किया जा सकता है।

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : विवियन बोस तथा दफ्तरी-शास्त्री समितियों के प्रतिवेदन तथा माननीय वित्त मंत्री के समवाय (संशोधन) विधेयक पर 1963 के भाषण से हमने समझा था कि वह एक विधेयक रखेंगे जिससे समवायों के कामों के सभी दोष दूर हो सकेंगे किन्तु इस विधेयक से भी ऐसी बातें दूर होने की सम्भावना नहीं। इस समवाय विधान के पीछे धोखा है। पहले के समवाय विधि प्रशासन के एक गवेषणा अधिकारी ने एक पत्र तैयार किया है जिसमें उसने कहा है कि समवायों की वास्तविक स्थिति का पता न तो अधिकारियों को चलता है और न ही उपभोक्ताओं को। यह कहना कि उपायों को कठोर बनाने के लिये अधिक कानून बनाना समवायों को उनके वास्तविक अस्तित्व से वंचित करना है, सर्वथा अनुचित है। बल्कियें इतने कठोर होने चाहिये कि कदाचार करने वाले व्यक्तियों को दंड दिया जा सके।

अधिकांश कदाचारों का प्रमुख कारण अनाम हस्तान्तरण है। विवियन बोस आयोग के अनुसार पहली बुराई वास्तविक रुप से लाभान्वित मालिक के अस्तित्व को उसके द्वारा मनोनीत व्यक्तियों की आड़ में छिपाना है। दूसरी बुराई यह है कि अनाम हस्तान्तरण करने पर अंशों में लगाये गये गुप्त लाभ की राशि को छिपाकर कर-अपवंचन किया जाता है। तीसरे, समवाय जनता से कुछ तथ्थों को छिपाने के लिये अनाम हस्तान्तरण करते हैं। चौथी बात यह है कि समवायों के खातों में जाली अथवा

पूर्व तिथि के सौदों की प्रविष्टियां की जाती हैं ताकि कर लगने योग्य लाभ की राशि को कम करने के लिये विनियोजन में झूठी हानि दिखाई जा सके। इन चारों बुराईयों को रोकने के उपाय करने चाहिए। मंत्री महोदय को चाहिये कि अनाम हस्तान्तरण पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगायें जिससे काले धन के चलन में आने तथा कर-अपवंचन को रोका जा सके।

अन्तर्समवाय ऋणों के सम्बन्ध में ऐसे प्रतिबन्ध लगाने का प्रस्ताव है कि यदि ऋण एक विशिष्ट सीमा से अधिक बढ़ जायें तो ऋण मंजूर करने वाले सरकारी अधिकारी को सूचित कर के, इसे कम किया जा सके। मेरा विचार है इस प्रतिबन्ध से कदाचार बढ़ेगा क्योंकि समवाय संकल्पों के द्वारा कुछ भी पास करवा सकते हैं। इससे समवायों पर कोई प्रभाव नहीं होगा।

जहां तक लेखा-परीक्षा का सम्बन्ध है, लेखा-परीक्षक और समवायों के संचालक मिल जाते हैं और फलस्वरूप समवायों द्वारा प्रस्तुत सन्तुलन-पत्र बहुधा झूठे होते हैं। लेखा-परीक्षा का राष्ट्रीयकरण होना चाहिये। इससे सरकार को करों के रूप में भारी हानी हो रही है। प्रस्ताविक संशोधन से इसमें कोई सुधार नहीं होगा। कानूनों की संख्या चाहे सीमित हो लेकिन विधान के भाव व दृढ़ता एसी होनी चाहिये जो ऐसी बातों को रोकने में कार्य-साधक हो।

भारत में प्रदत्त पूंजी 1960-61 में बढ़कर 1814.9 करोड़ रुपये हो गई जबकि 1957-58 में यह 1306.3 करोड़ रुपये थी। इससे श्री मुरारका का यह कथन कि सरकार निगम-क्षेत्र के प्रति उदासीन है, सिद्ध नहीं होता है। जैसा कि मंत्री महोदय ने पहले स्वयं ही कहा कि काला धन इस देश में एक समानान्तर अर्थ-व्यवस्था बना रहे हैं। इसलिये मेरा अनुरोध है कि संयुक्त समिति को कुछ ऐसे संशोधन करने चाहिये जो अधिक कठोर हो; और यह सुनिश्चित करने के लिय भी व्यवस्था होनी चाहिये कि उनको क्रियान्वित किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम गैरसरकारी सदस्यों के विधयकों पर चर्चा करेंगे।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

चौवनवा प्रतिवेदन

श्री हेम राज (कांगड़ा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के चौवनवें प्रतिवेदन से, जो 16 दिसम्बर, 1964 को प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के चौवनवें प्रतिवेदन से, जो 16 दिसम्बर, 1964 को प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक

(नई धारा 298-क आदि का रखा जाना)

INDIAN PENAL CODE (AMENDMENT) BILL

Insertion of new Sections 298-A etc.

श्री गोपाल दत्त मैंगी (जम्मू तथा काश्मीर) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारतीय दण्ड संहिता, 186 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पूर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री गोपाल दत्त मैंगी : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं ।

संविधान (संशोधन) विधेयक

(अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 आदि का संशोधन)

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(Amendment of Articles 1, 2, 3, 4 etc.)

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) : I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

Shri Prakash Vir Shastri : I introduce the Bill.

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—जारी

(धारा ७ का संशोधन)

REPRESENTATION OF THE PEOPLE (AMENDMENT) BILL—*Contd.*

(Amendment of section 7)

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा श्री दी० चं० शर्मा द्वारा 4 दिसम्बर, 1964 को पेश किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार करेगी :—

"कि लोग प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय ।"

श्री दी० चं० शर्मा (गुरुदासपुर) : यह विधेयक रजवाड़ों के विरुद्ध द्वेष अथवा शत्रुता की भावना के कारण नहीं लाया गया है। रजवाड़ों को कर-मुक्त निजी थैलियां मिलती हैं और उनकी उपाधियों, गरिमा, विशेषाधिकारों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। भारतीय रियासतों के भूतपूर्व शासकों को वे उसी प्रकार के विशेषाधिकार प्राप्त हैं जो इंग्लैंड में पियरों को प्राप्त हैं, जो हाउस आफ कामन्स के लिये चुनाव नहीं लड़ सकते। आपको याद होगा कि इंग्लैंड में पियरों के विशेषाधिकार समाप्त करने के सम्बन्ध में कड़ा संघर्ष हुआ था। सर डाग्लस ह्यम, लार्ड हैल्शाम आदि अनेक नेताओं ने चुनाव लड़ने के अधिकारी बनने के लिये पियर के पद का त्याग किया। भारत के रजवाड़े भी पियरों के समान हैं और मेरा विचार है कि उन्हें संसद् तथा राज्य विधान मंडलों के लिये चुनाव लड़ने का विशेषाधिकार नहीं होना चाहिये।

मैंने यह विधेयक रियासतों के भूतपूर्व शासकों से आशंकित होने के कारण नहीं प्रस्तुत किया है। भूतपूर्व शासकों को देश के साधारण नागरिकों के समान बनाने के लिये उन्हें निजी थैलियां देने की प्रणाली समाप्त की जानी चाहिये। इस मद पर प्रतिवर्ष ५ करोड रुपये व्यय हो रहे है। उदाहरणों की कमी नहीं है। ब्रिटेन में पियरों ने जन साधारण के समान अधिकार प्राप्त करने के लिये अपना पियरेज छोड़ दिया है। भूतपूर्व शासक अपनी निजी थैलियों का त्याग करके अपने मार्ग की सारी बाधाओं से मुक्त हो जायेंगे।

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि श्री दी० चं० शर्मा ने भूतपूर्व शासकों की निजी थैलियां समाप्त करने का सूअवसर प्रदान किया है। इस प्रणाली से राजनैतिक जीवन भ्रष्ट होता है।

Shri Yashpal Singh (Kairana): I cannot support this Bill. If the princes and ex-rulers are getting privy purses, the Ministers, M. Ps. and M.L.As. are also getting salaries. This will be contrary to the provisions of the Constitution regarding equality of opportunity. We must give due credit to the ex-rulers who renounced and sacrificed their property and life to their states without any hesitation.

[श्री खाडिलकर पीठासीन हुये।]

[Shri Khadilkar in the Chair]

We should not lose sight of the fact that these rulers belonging to the marshal races shed their blood in defending every inch of the territory of this country. This is an attempt to crush the marshal element in the country. I will appeal that an opportunity should be given to these men to defend the country and they will prove their worth. With these words I oppose this Bill.

श्री मा० ल० जाधव (मालेगांव) : मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। यह विधेयक शायद इस धारणा पर लाया गया है कि राष्ट्रपति भूतपूर्व राजाओं को शाही दान दे रहे हैं। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो इन राजाओं ने अपनी इच्छा से अपने राज्य भारत संघ में मिला दिये थे। सरदार पटेल, जिन्होने भारत के एकीकरण के लिये महत्वपूर्ण कार्य किया, ने भी भूतपूर्व शासकों पर विश्वास किया था। इस सबको देखते हुए, मेरा विचार है कि उनको निजी थैलियां इसलिये दी जा रही है क्योंकि उनके राज्य भारत में मिला दिये गये है। विलयन के पश्चात्, यदि हम उनके चुनाव लड़ने के अधिकार को छीन लेते है तो यह संविधान के विरुद्ध होगा। भारत के सभी लोगों को समान अधिकार प्राप्त हैं। कोई भी शासक इस सदन में इसलिये नहीं आता क्योंकि वह शासक है अपितु इसलिये कि वह 9 लाख व्यक्तियों का प्रतिनिधि है। अतः यह मेरा विचार है कि यह विधेयक संविधान तथा मूलभूत अधिकारों के विरुद्ध है। अतः मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

श्री मान सिंह पृ० पटेल (मेहसाना) : मैं अपने माननीय मित्र द्वारा प्रस्तुत विधेयक का समर्थन नहीं कर सकता। उन्होंने ब्रितानिय में हाउस आफ कामन्स का उदाहरण दिया है जहां निजी थैली की तरह एक विशेष प्रकार का दान दिया जाता है। जब क्रिप्स मिशन ने डोमीनियन स्थिति का सुझाव दिया था, तो उन राजाओं ने भारत संघ का एक ही भावना से साथ दिया था। कुछ राज्यों में बहुत अच्छी लोकतंत्रात्मक और सामाजिक संस्थायें थी, जिनके लिये हमें अभिमान होना चाहिये। यह उस समय की विचारधारा का परिणाम है कि वर्तमान प्रभुत्व सम्पन्न गणराज्य बन सका। कुछ सदस्यों का विचार है कि भूतपूर्व राजाओं को कुछ विशेष लाभ प्राप्त हैं जैसे कि धन और पहली सद्भावना। परन्तु उद्योगपतियों को भी तो बहुत से विशेषलाभ प्राप्त है जिनके पास व्यय करने के लिये अतुल धन है। और अब तो विशेष विधान भी बन गया है कि कम्पनियां राजनैतिक दलों को आर्थिक सहायता दे सकती हैं।

धारा 7 के अनुसार कोई भी निर्योग्यता किसी विशेष वर्ग पर नहीं परन्तु सभी लोगों पर एक समान लागू होनी चाहिए। यदि जिन लोगों को निजी थैलियां मिलती हैं उनसे चुनाव लड़ने का अधिकार छीन लिया जायगा तो यह एक विशेष वर्ग पर लागू होगा। मेरे मित्र ने यह भी कहा कि एक जगह पर यह रिवाज़ है कि यदि कोई व्यक्ति अपना लार्ड का पद त्याग दे तो वह चुनाव लड़ सकता है, उसी तरह यदि कोई भूतपूर्व राजा अपनी निजी थैली त्याग दे तो उसको भी चुनाव लड़ने का अधिकार मिल जाना चाहिये। तो यह अधिकार उन 700 या 800 उद्योगपतियों से भी छीन लेना चाहिये जिनकी आय 10 लाख रुपये से अधिक है। यह निजी थैलियां घूस नहीं अपितू प्रतिफल हैं। यह प्रतिफल उनके एक विशेष प्रकार के जीवन के त्याग करने के लिये है। यह वंशागत नहीं बल्कि एक विशेष अवधि के लिये है। अतः मैं इस विधेयक के कारणों तथा उद्देश्यों से सहमत नहीं हूं, और मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

श्री नारायण दांडेकर (गोंडा) : इस विधेयक में किसी के चुनाव लड़ने के अधिकार दांव पर नहीं है, अपितु देश का सम्मान तथा शुद्ध अन्तःकरण दांव पर है। इस विधेयक में, सर्वप्रथम, हम देश के 500 नागरिकों को नागरिकता के अधिकारों से वंचित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। हम यह एक गंभीर प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे हैं कि देश के 500 या 600 व्यक्तियों को, जिनको निजी थैली मिल रही है, नागरिकता के इस अधिकार से वंचित कर रहे हैं कि वह लोक सभा या राज्य सभा के सदस्य नहीं बन सकते। मेरे विचार में यह निपट असंवैधानिक है। यदि उसकी तकनीकी जांच की जाय तो यह मूलभूत अधिकारों के विरुद्ध होगी। धारा 7 के अन्तर्गत कुछ लोगों को संसद् के लिये चुनाव लड़ने के अधिकार से वंचित किया गया है। इसके लिये 6 खंड हैं और वह सभी लोक हित से सम्बन्धित हैं। उदाहरण के तौर पर दंडित व्यक्ति, वह लोग जो सरकार से ठेके लेते हैं, और वह लोग जो लाभ-पद पर हैं इस अधिकार से वंचित हैं। इन कारणों को देख कर यह कोई भी समझ सकता है कि वह लोक हित के लिये क्यों आवश्यक हैं। परन्तु इन 500 या 600 व्यक्तियों को वंचित करके कौन सा लोक हित होगा? मैं प्रस्तावक के इस आश्वासन पर विश्वास करता हूं कि उन्होंने विधेयक इस डर से प्रस्तुत नहीं किया कि उड़िसा या राजस्थान में स्वतंत्र दल का बहुमत हो जायगा। यदि कोई निजी प्रयोजन भी सिद्ध नहीं होता और न ही कोई लोक हित तो मुझे समझ में नहीं आता कि इन भद्र पुरुषों को वंचित करने से क्या लाभ होगा। 1947 से 1949 तक देशी राज्यों के विलयन से मेरा सम्बन्ध रहा है। भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम की धारा 7 के अन्तर्गत यह शासक पूर्ण रुप से स्वतन्त्र हो गये। इसके बाद यथा-पूर्व स्थिति समझौता हुआ। इसके बाद प्रवेश संलेख (इंस्ट्रूमेंट आफ एक्सेशन) हुआ जिसके द्वारा सभी देशी राज्यों के शासकों ने भारत डोमीनियन में प्रवेश किया और इसके बाद विलय संलेख हुआ। वह बहुत ही व्यग्रतापूर्ण दिन थे, हमें न केवल देश की एकता को बनाना था अपितु देश की पाकिस्तान से रक्षा भी करनी थी। देशी राज्यों के लोगों तथा शासकों के लिये भी

परेशानी के दिन थे। उनको यह निश्चय करना था कि वह किसके साथ मिलेंगे। यह एक ऐतिहासिक निर्णय था; बिना इसके देश के टुकड़े टुकड़े हो जाते। इस सब का मुख्य श्रेय तो सरदार पटेल को जाता है, परन्तु देशी राज्यों का श्रेय भी कम नहीं है। यह कहना बिलकुल उचित नहीं होगा कि हम उनसे बलपूर्वक राज्य छीन सकते थे। यह सब कुछ 1964 में तो कहा जा सकता है परन्तु 1947, 1948 और 1949 में यह नहीं कहा जा सकता था। उस समय के शासकों ने समय की गति और इतिहास का प्रवाह देखते हुये राज्य की बागडोर छोड़ दी। यह बहुत बड़ा त्याग था।

उनको जो अश्वासन दिये गये थे कि न केवल उनके विशेषाधिकारों की रक्षा की जायगी, बल्कि इसके साथ दो मूल आश्वासन यह भी थे की उनको निजी थैली के रुप में एक निश्चित राशि दी जायगी और उनको पूरे मूलभूत अधिकारों और नागरिकता के विशेषाधिकारों के साथ नागरिकता दी जायगी। यह देश के लिये सम्मान की बात होगी यदि ऐसा विधान न बना।

श्री अन्सार हरवानी (बिसौली) : यदि श्री दांडेकर का भारतीय असैनिक सेवा का सदस्य होने के नाते राज्यों के विलयन के साथ निकट सम्पर्क था और वह इसके बारे में कुछ जानते हैं, तो यहां पर ऐसे भी संसद्-सदस्य हैं जो उस बारे में उनसे अधिक जानते हैं। यह प्रायः कहा जाता है कि देशी राजाओं ने देश-भक्ति की भावना के कारण ही अपने राज्यों को भारत में मिलाना स्वीकार किया था। हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि देश-भक्ति के कारण नहीं अपितु मजबूरी के कारण यह कार्य किया था, जैसा कि जम्मू और कश्मीर और हैदराबाद के मामले से स्पष्ट है। ट्रावन कोर कोचीन के मामले में वहां के दिवान, जो आजकल एक वरिष्ट राजनीतीज्ञ हैं, इसे पाकिस्तान से मिलाने के लिये बातचीत कर रहे थे। सरदार पटेल ने उनको यह रुपया दान के रुप में दिया था क्योंकि वह जानते थे कि वह कोई भी काम करने के योग्य नहीं हैं। परन्तु 17 वर्ष की स्वतन्त्रता के बाद उनको भी साधारण व्यक्ति की तरह काम करना सीखना चाहिये। हम जानते हैं कई भूतपूर्व राजा अपने महलों पर राष्ट्रीय ध्वजा नहीं फहराते। रक्षको के रुप में यह लोग अपनी निजी सेनायें भी रखते हैं। अतः जब ये लोग चुनाव लड़ते हैं तो इनको कुछ अधिक सुविधायें प्राप्त होती हैं। मैं इनको मत देने के अधिकार से वंचित नहीं करना चाहता परन्तु यदि वह चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उनको निजी थैलियां त्याग कर साधारण नागरिक की तरह लड़ना चाहिये। एक सदस्य ने कहा है कि वह व्यापारी, जिनके पास अतुल धन, चुनाव लड़ सकते हैं, परन्तु उनको पता होना चाहिये कि जिन व्यापारीयों का सरकार से सम्बन्ध है चुनाव नहीं लड़ सकते। क्योंकि यह भूतपूर्व राजा भी राज्य के कोष से धन पाते हैं, इनको भी चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिये। इन शद्वों से मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री शामलाल सर्राफ (जम्मू तथा काश्मीर) : यह विधेयक भूतपूर्व राजाओं के सम्बन्ध में है। मैं भी उन्हीं में से एक राज्य का रहने वाला हूं। यह कहा गया है कि हमारे भूतपूर्व राजा बहुत बड़े देशभक्त थे, परन्तु मेरे विचार में कुछ राजाओं को छोड़ कर बाकी सब राजाओं का कार्य निन्दाजनक रहा है। हम भारतीय यह भी नहीं भूल सकते कि 1947, 1948, 1949 में क्या हुआ। अंग्रेज उन राजाओं को अपने हाथ की कठपुतली बना कर देश को फिर गुलाम बनाना चाहते थे, परन्तु उन्होंने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया। और मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि यदि यह भूतपूर्व राजा सरदार पटेल की सहायता न करते तो वह कभी भी सफल न हो पाते। अतः मैं कह सकता हूं कि अधिकतर राजा देशभक्त थे। इस बात का ध्यान रखते हुए कि, उस समय सरकार और राजाओं में जो समझौते हुये थे और जो उनको वचन दिये गये थे उनका पालन होना चाहिये, हमें कुछ अन्य बातें भी ध्यान में रखनी चाहियें। जम्मू और कश्मीर के स्वर्गीय महाराजा की थोड़ी सी हिचकिचाहट ने सारे देश को मुसीबत में डाल दिया है। निस्संदेह, उन्होंने वही किया जो वह चाहते थे और अन्य लोग चाहते थें। परन्तु यही कार्य उन्होंने एक या दो मास पहले किया होता तो स्थिति बिलकुल

[श्री श्यामलाल सर्राफ]

भिन्न होती। अतः जब कि कई भूतपूर्व राजाओं के लिये हमारे मन में आदर है, हम उन राजाओं को भी नहीं भूल सकते जिन्होंने निन्दाजनक कार्य किये थे। श्री यशपाल सिंह ने हमारे भूतपूर्व राजाओं की वीरता का उल्लेख किया। निस्संदेह, उन दिनों के राजपूतों ने इतिहास बनाया था, परन्तु उस पर अब निर्भर करना मूर्खता होगी। अतः, मेरी यह सविनय प्रार्थना है कि फिलहाल तो हमें उन सब समझौतों का पालन करना चाहिये जो हमने उस समय भूतपूर्व राजाओं से किये थे; और जो निजी थैलियां देने का वचन दिया था उसका भी भी पालन करें।

श्री दि० चं० शर्मा ने जिस प्रयोजन के लिये यह विधेयक प्रस्तुत किया है वह यह है कि देश में प्रत्येक व्यक्ति को राजनैतिक, आर्थिक तथा सामाजिक समानता प्राप्त होनी चाहिये, और मैं इससे पूर्ण रूप से सहमत हूं। अतः मेरा उन राजाओं से निवेदन है कि वह धीरे धीरे निजी थैलियों में अपने आप कटौती करें। और सरकार से मेरी यह प्रार्थना है कि उन राजाओं के जीवन पर्यन्त इनको पूरी राशि मिलनी चाहिये और यह उनकी इच्छा पर छोड़ दिया जाय कि वह कितनी राशि छोड़ देते हैं। परन्तु सरकार को उनके उत्तराधिकारियों की राशि धीरे धीरे इतनी कम कर देनी चाहिये कि वह शेष देश के समान हो जाय। और इन विशेष अधिकारों के कारण वह न केवल राजनैतिक फायदा उठाते हैं अपितु कुछ समाज विरोधी कार्य भी करते हैं।

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) : I begin my observation with Jammu and Kashmir. There were two reasons why the integration of Jammu and Kashmir was delayed. The first one was about the award given by Radcliffe regarding fixing of boundaries. No decision could be taken about a tehsil in Pathankot, whether it should go to India or Pakistan. The second one was that the Maharaja of Jammu and Kashmir didn't want that Sheikh Abdullah should be made the first Premier of Jammu and Kashmir, while the Government of India was bent upon making him the Prime Minister. When a mission under the leadership of the Gandhiji went to London, the English put this question before them that if India is freed what will be the fate of 500 Indian Princely States. Nobody could reply to this question and looked towards Raja Hari Singh who was the representative of Indian Princes. He unhesitatingly replied that if the independence of India is stopped because of Indian States, then I declare as representative that merge all the states in India. The Independence Act of India freed the States from all obligations towards India. If they had wanted, there wouldn't have been one Kashmir but 500 Kashmir in India. It was with this sense of patriotism that they merged their States with India unhesitatingly. Even after a lapse of so much time, these rulers bow their heads at the very name of Sardar Patel who merged their States with the Indian Union. They are doing it because they know he did all this to maintain the unity of the Country. Sardar Patel also knew their traditions and gave them the Privy-Purse.

I will advice the people, who are presenting such Bills to do some self-examination. These rulers were being abused by the public before 1947, but what is the reason that they are winning the elections everywhere. It means your activities during the last seventeen years have created an adverse feeling among the public. It is well a known fact of history that due to popularity and influence of late Maharaja of Jodhpur, his party won 32 seats in these constituencies which he toured in Mewar. This shows how popular these princes are. The Indian Constitution has provided the maharaja and the labourer, the rich and the poor the same rights of citizentship and every citizen can contest the elections ; then how can you deprive him of this fundamental right. The persons who should be deprived of the right to contest the elections are persons like Jai Prakash Narayan

who talk against the interests of country, persons who are passing our secrets to Pakistan and China, persons who are worshipping Mao-Tse-Tung. But Mr. Sharma is talking of debarring those 500 princes who happily given away their States in the interest of the country. Therefore I oppose this Bill and would request that it should be withdrawn.

Shri A. S. Saigal (Jaujgir) : Our Country is being run on democratic principles. According to our constitution any Indian citizen can contest elections. But if Mr. D. C. Sharma now, wants to debar the Ex-Rulers from contesting elections by amending the constitution, I want to know from him whether it is at all justifiable if any Indian citizen is deprived of this right. We must honour the agreement we made with them. As far as Privy Purses are concerned we can talk it over with them. If they find that curtailment in their Privy purses will be in the interest of the country they will definitely agree. In many of the princely states the administration was much better than it is in some of the States now. I will request the mover of the Bill not to make ex-rulers a separate class by introducing this Bill. I would request Shri Sharma to withdraw this Bill and with these words I oppose this Bill.

Shri Ram Sewak Yadav (Barabanki) : The aim of Mr. Sharma in bringing forward this Bill is to demonstrate the fact that our rich people can become the members of the Parliament. I will appeal to Mr. Sharma that he should impress upon his own party regarding this. But in spite of it I feel that the object of the Bill is really laudable. But I am of the opinion that the problem will not be solved by stopping the privy purses of the Indian ex-Rulers. They should not be deprived of the right to fight the elections for the Parliament. We cannot deprive any citizen of his or her constitutional right.

Together with that we should realize that mere stoppage of privy purses will not be effective, because now the ex-rulers have become very rich. They have acquired enormous property in addition to privy purses. In my opinion what is essential is to take immediate steps in order to remove the economic dispartiy which is prevalant in the country. And we may march towards our goal of establishment of Socialistic Pattern of Society.

I feel that the Bill is neither in accordance with the constitution and nor it carries the spirit of real democracy. It is also against our established Conventions.

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा (खम्मम) : रानी झांसी ने भारतीय स्वतन्त्रता की ज्योति को लाखों भारतियों के हृदयों में जगाया था। यह भी ठीक है कि राजों और नबाबों ने लोगों को तंग भी खूब किया था। हैदाराबाद में तो निज़ाम के समय में बहुत अत्याचार होते रहे हैं। रज़ाकारों के काल में मेरे भाई को गिरफ्तार कर उन्हें मारने का प्रयास किया है। वह जेल से भाग गये थे और शासक से उन्होंने काफी संघर्ष किया था।

यह सब बाते सत्य है परन्तु भारतीय रियासतों के भूतपूर्व शासकों के अत्याचारों अथवा उस समय के लोगों द्वारा कष्ट सहने के कारण उन्हें आज लोकतंत्रीय अधिकारों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। उन्हें इस कारण चुनाव में भाग लेने से रोका नहीं जा सकता क्योंकि उन्हें निजी थैलियां मिलती है। यदि लोग राजाओं को चुने तो वे विधान मंडलों में आ सकते हैं। राजा की निजी थैली लाभ का पद नहीं है। हमने तो नियमों को काफी उदार और ढीला कर दिया है। पहिले तो एक सरकारी अधिकारी की पत्नी भी चुनाव नहीं लड़ सकती थी राजनीति में भाग नहीं ले सकती थी, परन्तु अब ऐसी कोई बात नहीं है। मैं विधेयक का समर्थन करती हूं।

Shri P. L. Barupal (Ganga Nagar) : Different views have been expressed by different members on this Bill put forward before the House at present. Only people living in the former Indian States can tell you what the ex-Rulers of the Indian States have been doing during pre-independence days. I am not in favour of stopping their Privy purses, but they must know that it is not money by which they will be respected. If they desire to be respected by the masses, they should raise their character very high and inculcate the spirit of service of the people.

I cannot support this suggestion that former princesses should be barred from fighting the election. And also that their privy purses may be stopped. But we must also know that even today in the state of Rajasthan, the Rajas have won by creating terror. But to stop their purses would mean that we exhibiting the revengeful spirit. This against our spirit, history and Conventions. We want to rule the country by peaceful methods. But in the interest of the country this special privileges of the ex-rulers should be withdrawn.

डा० म० श्री अणे (नागपुर) : मैं श्री शर्मा का आदर करता हूं और उनके इस विधेयक की सराहना करता हूं। परन्तु इस विधेयक से जो उद्देश्य सिद्ध करना चाहते हैं वह होगा नहीं। वह निजी थैलियां तो बन्द करना ही चाहते हैं, साथ में यह भी चाहते हैं कि उन्हें चुनाव में खड़ा होने से भी रोक दिया जाय। निजी थैलियों का तो संविधान के अनुच्छेद 291 और 362 में उल्लेख हैं। और उसके अनुसार ही यह व्यवस्था है। हमने संविधान में इसकी व्यवस्था करके उन्हें यह आश्वासन दिया था कि उन्हें यह निजी थैलियां मिलेंगी।

इसके साथ ही मेरा यह भी निवेदन है कि निजी थैलियां लेने वाले व्यक्तियों को संसद के लिए चुनाव में खड़े होने के अयोग्य ठहराने अथवा उनको संविधान के अंतर्गत प्रत्याभूत अधिकारों और विशेषाधिकारों से वंचित करने का कोई लाभ नहीं होगा। 500 के लगभग राजों अथवा महाराजों ने स्वतन्त्रता के समय काफी देशभक्ति का सबूत दिया, और आज के रूप में भारत की एकता स्थापित हो सकी। इस पृष्ठभूमि में राजाओं को उनके विशेषाधिकारों से वंचित करना ठीक नहीं। मैं श्री दी० चं० शर्मा के विधेयक का विरोध करता हूं।

Shri Kashi Ram Gupta (Alwar) : Shri Sharma is putting forward this Bill actuated by the wrong politics. In 1952 it was decided under the guidance of late Shri Jawahar Lal that ex-rulers may be given the right to fight the elections. Shri Nehru was of the opinion that collectively it is in the interest of the country. After 15 years we cannot accept principally. Shri Sharma has cited the case of the House of Lords. But he should know that there is nothing in Common in between the Ex-rulers of India and the members of the House of Lords in England.

[डा० सरोजिनी महिषी पीठासीन हुई।]

[Dr. Sarojini Mahishi in the Chair.]

I am of the opinion that this Bill is neither in the interest of country nor of the party to which Shri Sharma belongs. Also the way in which the Bill has been brought before the House is also bad. It is not going to creat any good effect on the people as a whole. It would have been better if the mover had first discussed the whole matter in the party. As the party has always been of the view that the ex-rulers should not be disqualified to seek elections to Legislatures.

I humbly submit that Socialism cannot be brought about by taking measure which have been suggested in the Bill. I am of the opinion that the only way to achieve Socialism is to take steps to remove the prevalent poverty in the country. I think he should withdraw his Bill.

Shrimati Sabodrabai Rai (Demoh) : It is wrong to say that Rajas kidnapped the girls, but the fact is that they liked the Rajas and liked to be eloped with them. There is a historical fact of Sanyokta and Prithivi Raj. They used to receive messages from the girls that they liked to go with them. I am of the opinion that Bill has not been brought forward after very serious consideration. I am of the opinion that privy purses should be stopped.

The English men were of the opinion that if they have the Country, their Rajas will quarrel among themselves and there will be civil war. Indian people will not be able to retain their freedom. But thanks to the Rajas and the great talent shown by Sardar Patel that unity of the Country was established. The Rajas showed remarkable sense of Patriotism. And I feel that it is due to their patriotism that we are enjoying this democracy. Therefore I feel that it would be injustice to deprive the Rajas of their privileges and the rights. I would also like to appeal to the Maharaja, that they should help the Congress Government.

I oppose this measure and appeal Shri Sharma to withdraw this Bill.

Shri Raghunath Singh (Varanasi) : Shri Sharma has come before the House with the Bill and I hope we will withdraw it. It has been rightly pointed out that at this dawn of Independence if these 600 Rajas would not have helped us, we had been in great difficulties. We were struggling against the British and Pakistan. The Third Front would have been of Maharajas. We must carry out the promises and assurances which have been given to the Maharajas. If we don't act like this, nobody in the world will believe us.

I cannot support this Bill. This is also against fundamental rights. The ex-rulers also enjoy the same rights which are enjoyed by the other citizens of the Country. The Bill is also against the Constitutional provisions relating to the adult suffrage. Together with that I am of the opinion that Ex-rulers have made a definite contribution in the achievement of the Country's freedom, we should not be ungreatful to them.

We can join any party. If some Rajas are against the Congress it does not mean that their privy purses should be stopped. This is not a moral attitude. I think morally we should pass this Bill. I urge upon Shri Sharma to withdraw the Bill.

Shri R. S. Tiwari (Khaujraho) : I have been interested in this work since its incentive. Late Sardar Patel sent me to Bundel-Khand to take charge of the State. While quiting the country the English people gave the foreign rights to the Rajas. At that time the ex-rulers showed a remarkable sense of Patriotism and spirit of cooperation.

I think it is improper to think now in terms of abolishing the Privy purses or disqualifying them from Contesting elections to the Legislative bodies.

I am of the opinion that if Rajas and Maharajas are disqualified from becoming members of Legislatures, that is not going to help the cause of the Country. We will not be able to promote Socialism in the Country. If the ex-rulers come out to fight the elections, the cause of Socialism will be strengthened.

[Shri R. S. Tiwari]

They will have to go to the common man in the Country to seek his vote. This will be big change in their outlook and in the Country.

Looking to all the above mentioned things, I would like to request Shri Sharma to withdraw the Bill. We must appreciate that at the time of Chinese Invasion Rajas themselves offered a ten per cent cut in their Privy purses.

विधि तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री (श्री अ० कु० सेन): इस विधेयक पर जो विवाद हुआ है वह काफी रोचक तथा लाभदायक सिद्ध होगा। इतिहास का काफी विवेचन हुआ है और इस बात का प्रयत्न किया गया है कि राजाओं को वर्तमान समाज में एक लाभदायक अंगों की तरह उपयुक्त बनाया जाय। परन्तु एक बात आपको समझ लेनी चाहिए कि हम जो आश्वासन इन लोगों को दे चुके हैं उससे वापिस नहीं जा सकते। उन वचनों को तोड़ा नहीं जा सकता।

एक शताब्दी से ऊपर की बात है जब 1858 में इन राजाओं ने अंग्रेज के विरुद्ध विद्रोह का झंडा उठाया था। फिरोजशाह कोटला में आज भी बहादुरशाह के दो लड़कों की स्मृति सजीव है। इन्हीं लोगों ने भारत की स्वतन्त्रता का प्रथम युद्ध लड़ा था। भारत की साधारण जनता के साथ वे कन्धे से कन्धा मिला कर चले थे। इसके बाद 15 अगस्त 1947 को जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ा तो बहुत से भारतीय राजे भारत संघ के अंग बन गये थे। हमने उनको भारतीय लोकतंत्र में पूरा भाग दिया है।

हमें इस बात की प्रसन्नता है कि हमने इस देश में ठोस आधारों पर लोकतंत्र का निर्माण किया है। और इस लोकतंत्रीय व्यवस्था में उन लोगों का भी पूरा भाग है जो कि अतीत में इसके विरोधी रहे हैं। इसके अतिरिक्त बहुत से शासकों ने समय समय पर पूर्ण देश भक्ति का परिचय दिया है। यह हो सकता है कि उन्होंने कभी कभी अंग्रेज का भी साथ दे दिया हो। परन्तु आज उन्हें केवल इस आरोप पर ही उनके अधिकारों से उन्हें वंचित नहीं किया जा सकता है। इन लोगों की संख्या लगभग 500 की है। चीन के आक्रमण के समय सभी लोगों ने देश की प्रतिरक्षा के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझा और जो कुछ सम्भव था वह उन्होंने किया।

इनके जैसा कि आप सब को पता है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति और स्वतन्त्र संविधान अपनाये जाने से हमारे देश की स्थिति कुछ बदल गयी है। वैसे भी हम सदा सहिष्णुता तथा उदारता के ही प्रतीक रहे हैं। हमने तो हमेशा यही प्रयत्न किया है कि विरोधियों को प्रेम से अपना बनाया जाय। अतः आज नैतिक, कानूनी और ऐतिहासिक दृष्टि से इसका कोई कारण दिखाई नहीं देता कि एक वर्ग के सभी व्यक्तियों को केवल इस कारण उनके अधिकारों से वंचित किया जाय कि वे भूतपूर्व शासक रहे हैं। पूर्णतः राज्य विषयक दृष्टिकोण से भी देखा जाय तो उनके साथ किये गये करार को दृष्टि में रखते हुए वर्तमान नीति को बदलने का कोई कारण नहीं है। ये लोग अतीत में भी और भविष्य में भी भारत की प्रगति में अपना पूर्ण अंशदान देते रहेंगे।

इन शब्दों से मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं और श्री दी० चं० शर्मा से निवेदन करना चाहता कि उन्हें यह विधेयक वापिस ले लेना चाहिए।

श्री दी० चं० शर्मा: हमारे विधि मंत्री महोदय ने एक विधि विशारद के रूप में नहीं एक तत्वज्ञानी के रूप में बातचीत की है। सहिष्णुता की बात मेरी भी समझ में आती है। परन्तु मैंने यह विधेयक संविधान में दिये गये कुछ मूल हितों को ही दृष्टि में रखकर प्रस्तुत किया है। मैंने अपने दल के हित को दृष्टि में रख कर भी यह विधेयक प्रस्तुत नहीं किया। वैसे मैं भी राजाओं और महाराजाओं को लोक सभा तथा विधान सभाओं में लाने का समर्थक हूं। परन्तु मेरा मत यह है कि यदि ये राजे, महाराजे अपनी निजी थैलियों को त्याग दें तो जनता में इनका आदर बहुत बढ़ जायेगा। और वे अपने लिए स्वतन्त्र राजनीतिक जीवन को चुन सकेंगे। कानों में सोने के बाले पहिन कर समाजवाद की बातें करने से आम लोगों पर प्रभाव कम होता है। वैसे राजे महाराजे देशभक्त हैं और मैं उनका इस दिशा में स्वागत ही करता हूं।

प्रश्न केवल देश भक्ति का ही नहीं सिद्धान्त का है। उसी तरह जिस तरह हम सरकारी कर्मचारियों को लोक सभा के लिए खड़े होने की अनुमति नहीं देते। वे विधान मंडलों के चुनाव में भी खड़े नहीं हो सकते।

श्री जगन्नाथ राव : सरकारी कर्मचारी सेवा-निवृत्ति के बाद ऐसा कर सकते हैं।

श्री दी० चं० शर्मा : यदि आप इतने उदार चित्त हैं और भारतीय संविधान का विवेचन करने के हक में हैं, तो फिर आप ऐसा करते क्यों नहीं हैं? श्री दांडेकर यहां दस या बीस वर्ष पहले क्यों नहीं आए? वह पैंशन लेने के बाद ही क्यों आए? आपको उनके गुणों का पहले भी पता था? बात यह है कि आप बालिग मताधिकार के बारे में कल्पित बात करते हैं। आखिर बालिग मताधिकार है क्या? इसका मतलब है मत देने का अधिकार, निर्वाचन के लिये खड़े होने का अधिकार। फिर कुछ मनुष्यों को इन अधिकार से वंचित क्यों किया जाता है। मैं तो कहता हूं कि सरकार के कार्यालयों में जितने सचिव और दूसरे अधिकारी हैं उन सब को चुनाव लड़ने का अधिकार होना चाहिए ताकि हर व्यक्ति को मताधिकार का असली हक हो। आपने सरकार के उन अधिकारियों को तो इस अधिकार से वंचित कर दिया जिन्हें 2000रु०, 1000रु०, 600रु०, 500रु० और 50 रुपया मिलते हैं फिर उन व्यक्तियों को इससे वंचित करने में क्या हानि है जो निजी थैली (प्रिवी पर्स) ले रहे हैं? मैं अपने मित्र श्री हरवानी के साथ सहमत हूं कि यदि कुछ महाराजा अपने आप ही इस निजी थैली के अधिकार को छोड़ दें तो यह एक बड़ी ही प्रशंसनीय काम होगा। यदि बीकानेर तथा पटियाला के महाराजा ऐसा कर दें तो उनके लिये यह बहुत शोभनीय काम होगा। अब रहा यह प्रश्न कि संविधान में बार बार क्यों संशोधन किया जाता है। इसके बारे में मेरा मत है कि संविधान कोई अपरिवर्तनीय वस्तु नहीं है। यदि कोई चीज अपरिवर्तनीय है तो वह है भारत के हित। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने पहले भी संविधान में कई बार संशोधन किया है। मुझे बड़ा दुःख है कि मेरे दल के सदस्य भी इसमें मुझ से सहमत नहीं हैं। और तो और मेरे दल के सचिव भी मेरे साथ नहीं हैं। इसलिये मैं इस विधेयक को वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं।

सभापति महोदय : क्या वह इस पर मतदान चाहते हैं?

श्री नम्बियार : स्वीकृति व्यक्ति करने के हक में है।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को वापिस लिये जाने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was Adopted

श्री दी० चं० शर्मा : मैं विधेयक को वापिस लेता हूं।

विधेयक सभा की अनुमति से वापिस लिया गया।

The Bill was, by leave, withdrawn.

राजनीतिक पीड़ित सहायक विधेयक के बारे में

RE : POLITICAL SUFFERERS AID BILL

सभापति महोदय : राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 117(3) के अन्तर्गत श्री स० च० सामन्त के राजनीतिक पीड़ित सहायक विधेयक पर विचार करने की अनुमति नहीं दी है। इसलिय इस विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक

(धारा 3, 4 आदि का संशोधन)

SALARIES AND ALLOWANCES OF MINISTERS (AMENDMENT) BILL

(Amendment of Sections 3 and 4 etc.)

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि मंत्रियो के वेतन तथा भत्ते अधिनियम 1952 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये."।

ऐसा विधेयक की बहुत दिन से आवश्यकता थी। इस सदन के सदस्यों तथा बाहर लाखों व्यक्तियों के मन में यह बात तब आई जब पिछले साल मार्च या अप्रैल के महिने में श्री मेहेर चन्द खन्ना, निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री ने सभा पटल पर मंत्रियों के बिजली, पानी के आंकड़े रखे। उसके बाद में एक और विवरण उन्हों ने सभा पटल पर रखा जिसमें यह बताया गया है कि मंत्रियों, उपमंत्रियों तथा संसद सचिवों को फालतू फर्नीचर देने पर कितना खर्च आया।

इस सदन को भली भान्ति पता है कि इस समय मंत्रियों की संख्या 53 है जिसमें संसद सचिव शामिल नहीं है और यह तो सदन के कोरम से भी 2 अधिक हैं।

वैसे तो उस अधिनियम में ही जिसका संशोधन मैंने प्रस्तुत किया है मंत्रियों को बहुत सी वस्तुएं मुफ्त दी गई हैं। वैसे तो मैं भी दूसरे सदस्यों की तरह यह मानता हूं कि उन्हें कुछ सुविधायें मिलनी चाहियें परन्तु जो व्यक्ति गांधी जी की विचारधारा से प्रेरित हैं उन्हें इतने आराम की आवश्यकता क्या है? इसलिये राज्य कोष पर यह अनावश्यक खर्च है।

जिस समय श्री मेहेरचन्द खन्ना ने मंत्रियों के बिजली पानी के खर्च के भेद खोले तो उन से विधि मंत्री बिगड़ गये कि इस बारे में आंकड़े नहीं बताने चाहियें थे जब तक कि दूसरे सहयोगियों से परामर्ष न कर लिया जाता। ऐसा ही श्री लाल बहादुर शास्त्री ने किया जो उस समय बिना विभाग के मंत्री थे और अब प्रधान मंत्री हैं।

टौनी नामक एक समाजवादी विचारक ने एक उपार्जनशील समाज का उल्लेख किया है परन्तु हमारे मंत्रियों ने तो अपरी आमदनी वाला समाज बना रहे हैं और यह लोकमान्य तिलक, महर्षि अरविन्द, स्वामी विवेकानन्द, रामकृष्ण परमहंस, महात्मा गांधी तथा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के देश में हो रहा है।

गीता के लेख के अनुसार यह मंत्रि-पदों पर विराजमान महाजन हैं। हम चाहते हैं कि वे अच्छा उदाहरण प्रस्तूत करें और यदि वे चाहें तो कर भी सकते हैं। आज के आपात काल को देखते हुए जब कि चीनी दस्ते हिमालय पर बैठे हैं और जब कि वे दूसरों से कहते हैं कि कमर कस लो, उन्हें स्वयं अच्छे उदाहरण प्रस्तुत करने चाहियें।

अब मैं अपरी आमदनी की चीजोंपर आता हूं। इनमें मुफ्त फर्नीचर, मुफ्त बिजली और आतिथ्य-भत्ता हैं। मुझे संदेह है कि वे आतिथ्य-भत्ते को उस काम पर व्यय कर रहे हैं जिसके लिये वह दिया गया था। क्योंकि इस प्रकार के समाचार आते रहते हैं कि बहुत से मंत्री तथा कुछ राज्यपाल इस भत्ते को लगभग अपना जेब खर्च समझते हैं। पुराने अधिनियम के अनुसार हर एक मंत्री को जिसमें उप मंत्री शामिल नहीं है, 500 रुपया प्रति मास यह भत्ता मिलता था। अभी हाल में केन्द्रीय सरकार ने एक अधिसूचना जारी की है जिसे "इण्डियन फाइनैन्स" नाम के जुम्मेवार पत्रिका ने छापा है। उसके अनुसार मंत्रि मंडल के सदस्यों को आतिथ्य-भत्ता 12 अगस्त 1952 से लेने का अधिकार है यदि उन्हों ने पहले से

ऐसा नहीं किया है। पूरी विनय के साथ मैं कहूंगा कि यह जनता के रुपये की यह एक नियोजित लूट है। यदि 12 अगस्त 1952 से हिसाब लगाया जावे तो यह 72,000 रुपया बैठेगा। यह तो मैं ने केवल एक उदाहरण दिया है। इस से पूर्व कि मैं आगे बढ़ूं मैं उन से प्रार्थना करूंगा कि वे अपनी आत्मा टटोलें और बतायें कि क्या गांधी जी इस निर्धन देश में उन से ऐसी आशा रखते थे। अभी जो बिजली पानी का जिक्र किया उसके बारे में जो सरकारी आंकड़े मिले है उसके अनुसार एक मंत्री का खर्च 500 रुपया था और एक दूसरे का 600 रु० था। यह तो केवल बिजली और पानी की बात है और इस सब का भुगतान सरकार ने किया। जब पिछले वर्ष यह आंकड़े सभा के पटल पर रखे तो मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र का दौरा कर रहा था। वहां कुछ अपढ़ गांव वालों ने मुझ से पूछा कि क्या यह मंत्री बिजली पीते हैं जो बिजली पर एक एक मंत्री का पांच सौ, छ सौ और सात सौ तक खर्च होता है। मुझे उन्हें बताना पड़ा कि बिजली खाने या पीने की वस्तु नहीं है। मेरे इस विधेयक का भी यही आशय है कि मंत्रीगण, अपनी अपरी आय समाप्त कर दें। पहले के एक महालेखा परीक्षक ने हिसाब लगाकर बता था और कोई दो वर्ष हुए वह समाचार पत्रों में भी आया कि यदि मंत्रियों पर यह सारे खर्च उनके वेतन में मिला लिये जावें तो यह सुगमता से 6000 रु० प्रति मास हो जायेगा। मैं चाहूंता हूं कि वित्त मंत्री इस बात की छान बीन करें। उन्होंने हाल ही में कुछ छापे मारे हैं। अब मैं चाहता हूं कि वह महालेखा परीक्षक की फाईलों पर भी छापा मारें और बतायें कि वह इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे।

मुझे पता है कि जब इस सदन के पटल पर यह आंकड़ें प्रस्तुत किये गये थे यहां पर खूब आपत्ति की गई थी। मुझे आशा है कि सदस्य गण अब भी इन चीजों के उतने ही विरुद्ध हैं जितने जब थे।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं।

इसके पश्चात लोक-सभा सोमवार, 21 दिसम्बर, 1964/30 अग्रहायण, 1886 (शक) क ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, December 21, 1964/Agrahayana 30, 1886 (Saka).

GIPN—S4—13 Lok Sabha/65—22-7-65—600.